again. I had raised the point on Friday last that one or two members **of** the **A.I.C.C.** staff had been arrested for espionage. There is a lot of misapprehension in the country and it would be better if the Home Minister will kindly make a statement on the entire facts, so that the matter is clarified. Now the newspapers publish so many things about it, and once the Home Minister makes a categorical statement on it probably the entire thing would be clarified.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AF FAIRS (SHRI JAISUKHLAL HATHI) : Sir, the question of clarification could be dealt fith only after the investigations are over. The investigations are being carried out by the West Bengal Government; the arrest also is made by the West Bengal Government, and so long as the investigations are not complete, I do not think I can clarify the points raised by Members, and as to who were involved in it and how and where these things happened, it would not be even in the public interests to give the clues at present.

MOTION *RE* REPORTS OF THE COMMISSIONER FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES FOR 1962-63 and 1963-64— *contd.*

MR. CHAIRMAN: Shrimati Pushpa-ben Mehta.

SHRI JAGANNATH PRASAD PAHADIA (Rajasthan) : Sir., the time given for considering the Reports is very short and I request that you extend the time at least by six hours.

MR. CHAIRMAN : No, no, I am proceeding. The time is allotted by the Business Advisory Committee, and there is still time and I will carry on.

SHRI JAGANNATH PRASAD PAHADIA : We are considering two Reports at one time, Sir, and so the time allotted is short to the requirement. '

MR. CHAIRMAN : I am sorry I am not in a position to concede that question at this stage. The time for this discussion had been fixed and I shall see, when that time is over, whether the time should be extended or not.

श्रीमती पुष्पाबेन जनार्दनराय मेहता (गुजरात) : माननीय सभापति, आज जो रिपोर्ट पर हम बहस कर रहे हैं वह दो साल की है। मैं जानती हूं कि हमारे संविधान के अनुसार हर साल कमीशन को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिये लेकिन यह रिपोर्ट दो साल के बाद प्रस्तुत हो रही है इसलिये आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वह पिछले सालों की बातों पर कर रहे हैं, चालू साल में क्या होता है और 1964-65 में क्या हुआ वह भी हम नहीं जानते हैं। फिर हमारा जो यहां डिसकशन होगा वह भी 1962-63 और 1963-64 का होगा। यह बात आपके समक्ष रखने की मैं इजाजत लेती हूं और आपसे हमारी एक विनती है कि जो यह रिपोर्ट है यह हर साल प्रस्तुत होनी चाहिये और संविधान के आर्टिकिल 338 पर अमल होना चाहिये जो कि नहीं हुआ है।

[THE DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.]

दूसरी बात इस रिपोर्ट में हम यह देखते हैं कि कमिश्नर ने बार बार शिकायत की है कि हमको जो सहयोग स्टेट्स का मिलना चाहिये वह पूरा नहीं मिलता है तो हम जानना चाहते हैं कि उस सहयोग के न मिलने का क्या कारण है। क्या स्टेट्स लापरवाह हैं या हमारे काम में कोई लापरवाही है या सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से भी उनको कोई सहयोग मिलता नहीं है, यह हम जानते नहीं हैं। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहती हूं कि लापरवाही किस की ओर से है और उसका कारण क्या है यह बताने की कृपा करें।

तीसरी बात यह है कि हमारी जो ग्रांट है वह लैप्स हो जाती है, उनका पूरा उपयोग नहीं होता है। इसमें मेरे खयाल में दो बातें

[श्रीमती पुष्पाबेन जनार्दनराय मेहता]

आती हैं, एक तो यह कि जब हमारी प्लानिंग बनती है, जो ब्लयु प्रिंट तैयार करते हैं उसमें जितनी ग्रांट का प्रोविजन रखते हैं उतनी ग्रांट हम खर्च नहीं कर सकते हैं। स्टेट्स से भी ऐसा जवाब मिलता है कि जितना प्रोविजन किया है उतना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से रिलीज नहीं होता है इसलिये जो पैसा खर्चने की हमारी जिम्मेदारी होती है वह हम पूरी तरह से पूरी नहीं कर सकते हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि जो प्लान प्रोविजन होता है उतना पैसा रिलीज होता है या नहीं? और जो रिलीज होता है उसे खर्च करने के बारे में स्टेट्स को क्या दिक्कतें हैं? यह दिक्कत भी है कि जो खर्चा होता है उसको जानने में भी बड़ी मुश्किल होती है। इसके साथ-साथ यह भी है कि कितनी ऐसी स्टेट्स हैं जो कि डेफिसिट स्टेट्स हैं और वह अपना पूरा खर्चा नहीं कर सकती हैं? तो डेफिसिट स्टेट्स के बारे में यहां से ज्यादा सहयोग देना चाहिये जिससे वह अपना काम अच्छी तरह से कर सकें।

शेड्यूल्ड कास्ट के लिये काम तो ठीक हो रहा है लेकिन अभी तक हम जितना करना चाहते हैं वे उस लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाये हैं, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं लेकिन जहां तक होना चाहिये था वह नहीं हो सका, प्राथमिक शिक्षा के लिये अभी तक थोड़ा सा हुआ है और उच्च शिक्षण के लिये तो हमारे पास बहुत कम सुविधा है, जितनी छात्रवृत्तियां वगैरह देनी चाहिये वहां तक हम नहीं पहुंच पायेंगे।

तीसरी बात शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में यह है कि हमारी बात तो यही है कि हम उनको ज्यादा शिक्षण दें लेकिन उनके सामाजिक स्टेट्स के लिये कुछ नहीं होता है। शिक्षित वर्ग की थोड़ी बात हम सोचते हैं लेकिन आज भी हम देखते हैं कि 1966 साल में भी हमारे जो भंगी भाई बहन है वह हमारा जो नाइट-स्वायल है उसको अपने सिर पर लिये घूमते फिरते हैं। यह हमारे लिये बड़ी दुख की बात है। क्या हम जो हमारी म्युनिसिपैलिटीज हैं, कार्पोरेशंस हैं, नगर पंचायत वगैरह हैं उनको फोर्स नहीं कर सकते कि किसी तरह यह नाइट-स्वायल सिर पर ले कर हमारे जो हरिजन भाई बहन हैं वे इधर उधर न घूमें। आज हम बोलते हैं, मैंने अभी एक प्रश्न के उत्तर में सुना कि उनको जागीरदारी है। जागीरदारी तो अब खत्म हो गई, सब राजे चले गये, जागीरदार चले गये तो क्या यह सिर्फ मैला ढोने की, नाइट-स्वायल उठाने की, जागीरदारी है और वह हम नहीं निकाल सकेंगे, क्या वह उससे भी बड़ी जागीरदारी है। हमारे दिल में यह दुख की चोट नहीं लगती है, हमारे दिल में वह दुख नहीं है कि नाइट-स्वायल का एक बर्तन सिर पर रखकर हमारे ही एक भाई या बहन इधर-उधर घूमते हैं, हमारे दिल पर पूरे दुख की चोट नहीं है इसलिये वह जागीरदारी अभी तक है और अगर हमारे दिल पर चोट आई तो हम कभी भी वह जागीरदारी रखने को तैयार नहीं होंगे। तो मैं यहां थोड़े से लफ्जों में कह कर आपसे प्रार्थना करती हूं कि यह जो हमारी नाइट-स्वायल की व्यवस्था है उसको खत्म कर देना चाहिये और हमको सोचना चाहिये कि हम जो काम हरिजन भाइयों के उत्थान के लिये करते हैं वह उनकी सामाजिक स्टेट्स देने के लिये करते हैं और उनका सामाज में जो गिरा हुआ स्थान है उसको ऊंचा उठाने के लिये कार्य कर रहे हैं। तो हमारी प्रार्थना है कि हर एक कार्पोरेशन को, म्युनिसिपैलिटी को, नगर पंचायत को, सब को एक नोटिस दे देना चाहिये कि हम यह बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि प्रथा को खत्म करो। जब तक हमारे दिल में उनके सोशल स्टेट्स की बात नहीं होगी तक तब चाहे हम कितना उनको शिक्षण दें और आगे बढ़ायें मगर उनके दिल में जो इसका एक प्रभाव पड़ना चाहिये वह नहीं पड़ेगा और हमारे सामाज का जो कलंक है वह नहीं जायेगा। मैं सोचती हूं कि गांधी जी की जन्मशताब्दी 1969 में होने

वाली है और हमें आज निश्चय करना चाहिये कि उसके पहले जो यह नाइट-स्वायल की बुरी प्रथा है वह खत्म कर देंगे । मुझे आपको यह कहने में खुशी होती है कि गुजरात राज्य ने ऐसा निश्चय किया है कि 1969 से पहले यह सब खत्म कर देंगे ।

आदिवासियों के बारे में मुझे एक दो बातें कहनी हैं । वह अपनी संस्कृति के रूप में रहते हैं, वह जंगल में बसते हैं और जो यह सोचा है कि उनका समाज जो आज चल रहा है वह संस्कृति के खिलाफ नहीं आता है, उनके लिए बहुत सा काम हो रहा है, लोग भी काम कर रहे हैं और इंस्टीट्यूशंस भी हैं, वह सब कुछ होता है मगर एक बात यह है कि हमारे यहां उन लोगों के लिये जो काम होना चाहिये वह नहीं होता है और इस तरह से जो पढ़े लिखे हैं उनके दिल में अविश्वास पैदा हो रहा है और जो बहुत पिछड़े हुए हैं उन तक हम नहीं पहुंच पाये हैं और बात यह है कि अभी तक हम चाहते हैं कि जैसा का तैसा थोड़ा सा उनका नृत्य वगैरह हो, उनकी जो संस्कृति है, उनका जो पहिनने का तरीका है वह सब देखते हैं और यह थोड़ा सा समाजशास्त्र और प्राचीन रहन सहन से परिचित रहने के लिये, उनमें थोड़ा रहना चाहिये, यह आज हमारे दिल में है, हमारी विचारधारा है । मगर जब तक बाहर के सारे समाज का एक चित्र नहीं होगा तब तक मुश्किल ही पैदा होगी । शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये कुछ हो रहा है । आज हम प्रोग्रेस के पथ पर हैं और मुझे आशा है कि थोड़े समय के बाद हम वह काम कर सकेंगे और ज्यादा दिलचस्पी से कर सकते हैं । बहुत से कार्यकर्ता और इन्स्टीट्यूशन्स वगैरह इस काम में लगे हुए हैं और गवर्नमेंट का ध्यान उन पर केन्द्रित हुआ है मगर एक सबसे बड़ी बात की ओर हमारा लक्ष्य केन्द्रित नहीं हुआ है । जो नोमेडिक और सेमी नोमेडिक हैं जो कोई खास ट्राइबल नहीं हैं मगर जो नोमेडिक हैं, उनके लिये हम अभी तक कुछ नहीं कर सके हैं । वे लोग कब तक नोमेडिक की तरह से इधर-उधर घूमेंगे, उसके प्रति हमारी एक जिम्मेदारी है । मैंने देखा है कि नोमेडिक की जो व्याख्या है वह बहुत संकुचित व्याख्या है । किसको हम नोमेडिक कहें और कैसे हम उनके उत्थान के लिये सहयोग करें ? यह स्पष्ट नहीं है? तो उनके उत्थान के लिये क्या सोचना है ! आप जानते हैं दो चार साल पहले उदयपुर में जिनको गाड़लिया बोलते हैं वे वहां के असली रहने वाले थे उनको रिहैबिलिटेट करने का प्रोग्राम बना वह मुझे मालूम है, पर योजना निष्फल हुई, उस से कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि हम जिसको वास्तव में रिहैबिलिटेट करना चाहते थे उसको हम रिहैबिलिटेट नहीं कर सके । नोमेडिक का प्रश्न बड़ा गहन है । नोमेडिक की अनेक प्रकार से व्याख्या करते हैं कोई उनकी घूमने फिरने वाली जाति कहते हैं । लेकिन अभी तक कोई चौकस काम उनके लिये हम नहीं कर सके इसलिये मैंने आपको बतलाया कि इस प्रश्न पर बहुत जोर देना चाहिये । 1964-65 में क्या हुआ हमें मालूम नहीं हुआ है लेकिन 1965-66 में नोमेडिक के लिये कुछ नहीं हो सका है । मेरे दिल में एक बात हमेशा आती है कि काश्मीर, यू० पी०, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात तक की बात मैं जानती हूं, वहां नोमेडिक ब्रीडर्स बहुत अच्छे हैं, जो शीप, गोट, गाय, कैमल लेकर इधर-उधर घूमते हैं । वे अच्छे ब्रीडर्स हैं, अच्छा काम करते हैं । लेकिन सीजन में उन को परिभ्रमण करना पड़ता है क्योंकि उनके पास पशुओं को खिलाने के लिये घास नहीं है, पानी नहीं है और इसके वास्ते उनको इधर-उधर घूमना पड़ता है । तो उनके लिये हमने अभी तक कुछ नहीं सोचा । नोमेडिक ब्रीडर्स अच्छे ब्रीडर्स हैं कैसे हम उनका उत्थान करें आज भी उनका जीवन आदिवासियों से भी बदतर है, इधर-उधर जाते हैं, और निश्चित कायदा, कानून और मार्गदर्शन न मिलने के कारण उनको कोई बैठने को जगह नहीं मिलती है, रहने को जगह नहीं मिलती है, लोग उनका पैसा ले जाते हैं और परेशान

[श्रीमती पुष्पाबेन जनार्दनराय मेहता]

करते हैं। उनकी सबसे ज्यादा दिक्कतें हैं। उनकी संख्या, उनके स्टेटिस्टिक्स हमारे पास नहीं हैं मगर उनकी संख्या बहुत बड़ी है। तो जिस तरह से ब्रीडर्स इधर-उधर घूमते हैं उनको देख कर दुख होता है। उनके बच्चों की जिन्दगी कुछ नहीं होती तो अगर हम उनके लिये ज्यादा से ज्यादा कुछ न कर सकें तो कम से कम उनके बच्चों के लिये आश्रमशाला का जुगाड़ करना चाहिए। इससे मैं समझती हूं कि उनकी कुछ मदद होगी। दूसरी बात यह है कि हम देखते हैं कि हमारे शिक्षण में भी ऐसा होता है कि आश्रमशालाएं तो बन रही हैं मगर उन आश्रमशालाओं में रहने के लिये बड़ी मुश्किल है। ठीक है वहां पढ़ाई होती है पर जो नोमेडिक हैं उनके लिये वह भी नहीं है। तो उनके लिये आश्रमशाला बनानी चाहिये और उनकी दिक्कतों को दूर करने के लिये इंतजाम करना चाहिये।

एक बात मेरे दिल में आती है कि हमने शिड्यूल्ड ट्राइब्स का कमीशन बनाया और वह कमीशन इसलिये हमने रखा कि वह इस बात को जाकर देखे, और कांस्टीट्यूशन से हमने रीजनल कमिश्नर भी नियुक्त किये, ताकि जगह-जगह जाकर वे देखें कि राज्यों में क्या होता है। उनका स्टेट के साथ सहयोग नहीं है इसलिए स्टेट को उनको जो सुझाव देना चाहिए वह नहीं दे सकते हैं मैं यह जानती हूं, लेकिन जितना इफेक्टिव्ह वह होना चाहिये उतना नहीं है, यह मेरा अनुभव है क्योंकि मैं दो तीन स्टेट्स की बात जानती हूं कि रीजनल कमिश्नर को जितना सहयोग और कोआपरेटिव होना चाहिये और जो स्टेट पर प्रभाव डालना चाहिये उतना वह नहीं डाल सकते हैं इसलिये बहुत से काम हैं जो अभी तक हमारे यहां उच्च कक्षा तक नहीं पहुंचे हैं।

मैं जानती हूं कि गुजरात स्टेट में गिरी प्रदेश है, सब कोई वहां सिंह देखने जाते हैं टूरिस्ट भी वहां आते हैं। साढ़े चार सौ मील का उसका विस्तार है लेकिन वहां एक ही स्कूल है जो सौराष्ट्र स्टेट ने 1951 में मंजूर किया था। उसमें तब से 30 लड़के हैं। उतने विस्तार में इस शाला को आश्रमशाला में परिवर्तित नहीं किया गया। इसके लिये हमारे रीजनल कमीशनर ने कुछ सोचा नहीं है। इससे मुझे लगता है कि क्या काम कब करना चाहिये, कैसे करना चाहिये, वह हम नहीं देख पाते। इसलिये अब तो ऐसा समय है कि कौन से प्रदेश में कितना काम नहीं हुआ है वह देखना चाहिये।

आरोग्य सेवा के लिये भी इतनी ही दिक्कतें हैं। कभी-कभी मैं देखती हूं हमारे आदिवासी स्त्रियां मैटरनिटी के समय मर जाती हैं और न हमारे पास मोबाईल वैन हैं न ऐसी सुविधा है कि जिससे वहां जाकर देखें कि उनका क्या होता है। जब श्री ढेबर कमीशन गुजरात आया था उनको मैंने कहा था कि हर एक आदिवासी विस्तार में आयोग्य के लिये, सुविधा होनी चाहिये और मिड्वाइफ की नियुक्ति की जानी चाहिए और उनके लिये मोबाइल वैन की सुविधा दी जानी चाहिये। संकट के समय उनके पास ऐसी कोई सुविधा नहीं रहती। जहां हमारी ट्रेनें नहीं जाती हैं। जहां डिस्पेन्सरी नहीं हैं, जहां डाक्टर नहीं हैं, वहां ऐसा इंतजाम करने की बहुत जरूरत है। आप जानते हैं कि उनके जो अपने कूडवेज हैं वे भी बड़े खतरनाक हैं।

कमीशन ने जो जोनल विस्तार में भाई और बहिन काम करें उनके लिये स्पेशल काडर की मांग की है। उनके साथ मैं सहमत हूं। मैं जानती हूं कि एक शिक्षक जो अच्छे गांव में, देहात में, काम करे उस काम और दूसरा जो जंगल के विस्तार में काम करे उन दोनों के काम में बड़ा अंतर होता है इसलिये मैं चाहती हूं कि उनके लिये एक स्पेशल काडर होना चाहिये। तब तक हमारा काम

इफेक्टिव नहीं होगा जब तक कोई आकर्षण सामने न हो । तीन प्रकार के कार्यकर्ता होते हैं, एक तो सेवा भाव से करते हैं, दूसरे जिसके दिल में कर्तव्य की भावना होती है वे काम करते हैं और तीसरे वह होते हैं जो प्रलोभन के लिये करते हैं । तो उन सबको आकर्षित करने का एक ही तरीका है कि उनको उचित वेतन देना चाहिये । सिर्फ फारेस्ट अलाउन्स, बैड क्लाइमेट अलाउन्स देने से वह हल नहीं होगा । उनका स्पेशल कैडर बनाकर उनको काम करने के लिये भेजना चाहिये, जिससे काम अच्छी तरह से हो सके और वे ठीक तरह से रह सकें, उनके बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिये क्योंकि अगर मां बाप काम करना चाहते हैं और उनके बच्चों के लिये कोई इंतजाम न हो तो उनका दिल नहीं लगेगा और काम का कुछ प्रभाव नहीं होगा ।

मैंने अभी आपको नोमेडिक के लिये कुछ काम करने की बात बतलाई थी । इसके साथ एक बात मेरे दिल में यह है कि बैकवर्डस के लिये अभी कुछ नहीं हुआ है । मेरे खयाल में हमारे कांस्टीट्यूशन का एक आर्टिकल है 340 लेकिन कांस्टीट्यूशन में वह आर्टिकल रहने के अलावा बेकवार्डस के लिये अभी तक कुछ नहीं हुआ है कि उस बैकवर्ड क्लास को कितनी मदद देनी चाहिये, इसके लिये एक कमीशन नियुक्त करना चाहिये, जो बहुत से हमारे बैक्वर्ड क्लास के लोग हैं उन के लिये कुछ इफेक्टिव करना चाहिये । शैड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के बारे में तो नीति निश्चित है मगर बैक्वर्ड के लिये कोई नीति नहीं है ।

मैं देखती हूं कि एक्स क्रिमिनल्स के लिये अभी तक कोई एफेक्टिव कार्य हुआ है ऐसा मेरे खयाल में नहीं है । उनके बारे में जो करना चाहिये था वह नहीं हुआ है । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि एक्स क्रिमिनल की व्याख्या होनी चाहिये और एक्स क्रिमिनल्स के लिये कुछ करना चाहिये क्योंकि कभी वे हैरान भी होते हैं और हैरान भी करते हैं ।

इसके साथ मुझे एक बात यह भी कहनी है कि जो ये सब काम हो रहा है उसके संबंध में जब तक हमारे प्रदेशों में क्या कुछ करना चाहिये इसके लिये इवैल्यूएशन नहीं करेंगे तब तक वहां का काम इफैक्टिव नहीं होगा, ऐसा मैं मानती हूं ।

आखिर में मुझे यह कहना है कि जो काम हुआ है वह ठीक है मगर बैकवर्ड, नोमेडिक और एक्स क्रिमिनल्स के बारे में कुछ ज्यादा करने के लिये प्रार्थना करती हूं । आदिवासियों के लिये श्री ढेबर कमीशन की जैसे नियुक्ति हुई है वैसी ही एक नियुक्ति आप को कमीशन फार बैक्वर्ड, नोमेडिक एन्ड एक्स क्रिमिनल के लिए करनी चाहिए ।

धन्यवाद ।

श्री निरंजन वर्मा (*मध्य प्रदेश*) : उप सभापति महोदया, कमिशनर महोदय की तरफ से 12 वीं और 13वीं रिपोर्ट प्रस्तुत है और इस विषय में उन्होंने अपने प्रतिवेदन में दो चार बातें बतलाई हैं । इन बातों में प्रमुख यह है कि आदिवासी जातियों के लिए, शिड्यूल्ड कास्ट के लिये, दोनों के लिये, भिन्न-भिन्न प्रकार की योजनाएं बताई गई हैं । किन्तु इस प्रतिवेदन में जहां पर उन्होंने पिछले आंकड़े दिये हैं, उन आंकड़ों को देखने से यह बात सर्व-विदित हो जाती है कि हमारे शासन की ओर से दो स्थानों पर, एक केन्द्रीय शासन द्वारा और दूसरा राज्यों द्वारा अधिक-से-अधिक धन तथा अधिक-से-अधिक उपाय शिड्यूल्ड कास्ट के लिये ही होते हैं, जबकि ट्राइब्स के बारे में बिल्कुल अवहेलना की गई है । श्रीमन्, मैं जिस राज्य से आता हूं उस राज्य में अधिकतर जन जातियों के निवासी हैं और वे जन जातियां ऐसी हैं जो अभी तक सामाजिक और ऐतिहासिक दृष्टि से बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकी हैं ।

[श्री निरंजन वर्मा]

सरकार की ओर से इन 8 या 10 वर्षों में जितने भी यत्न किये गये हैं, वे यत्न केवल कागजों पर ही आंकित हैं वास्तव में वहां तक कोई पहुंचा नहीं है। जहां तक शिड्यूल्ड कास्ट का प्रश्न है उनमें से ऐसे बीच की सोसाइटियों का निर्माण किया गया है जिनके लिये धन और दूसरी तरह की सहायता पहुचती रहती है और इस तरह से यह सहायता एक विशेष जाति तक ही सीमित है। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश में शिड्यूल्ड कास्ट में जितनी चमार जातियां हैं, उनकी एक विशेष समस्या है। अधिकांश में जितने बोर्डिग हाउसेज हैं, धन देनेवाली समितियां हैं और शासन की तरफ से जो कुछ उनको अनुदान दिया जाता है वे सब उसी जाति तक सीमित है। हमारे यहां जो अनटचेबिलिटी का प्रश्न है, वह केवल दो जातियों तक ही सीमित है। एक तो भंगी जिन्हें मेहतर कहते हैं और दूसरी बसौड़ जाति है।

श्री के० एस० चावड़ा (गुजरात) : यह बात सही नहीं है कि और भी जातियां नहीं हैं।

श्री निरंजन वर्मा : और जातियों का जबर्दस्ती निर्माण किया गया है। हमारे यहां दो इन जातियों के सिवाय और अछूत जातियां नहीं हैं। हमने भी इन लोगों के बीच में काम किया है और जातियां इसलिये छोड़ दी गई हैं ताकि उन्हें अधिक-से-अधिक धन मिल सके, अधिक-से-अधिक वजीफे मिल सकें तथा वे अपना राजनैतिक उद्देश्य प्राप्त कर सकें। इसी कारण और जातियों को छोड़ा गया है। उदाहरण के लिये मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि रायसेन और भोपाल के सिहोर जिले में अनटचेबिलिटी में धोबियों तक को शामिल कर लिया गया है जबकि भारतवर्ष में धोबियों को कहीं भी किसी प्रकार भी अनटचेबिल नहीं माना जाता है। इसी तरह से और दूसरी जातियों को जैसे कोली और कोरी हैं, इन्हें भी अनटचेबिल में माना गया है। इसी तरह की जो दूसरी जातियां हैं जैसे चमार, जाटव और धानुक हैं, ये जो जातियां हैं, ये अनटचेबिल में नहीं हैं। अनटचेबिल में केवल वही जातियां हैं जिन्हें छूने तक में एतराज किया जाता है। इसलिए हम समझते हैं कि सबसे पहले इनकी दशा ठीक की जानी चाहिये तथा इन्हें ऊंचे उठाने का प्रयत्न किया जाना चाहिये। लेकिन इन जातियों के लिए कोई कार्य विशेषरूप से सम्पन्न नहीं किया गया है। जो भी कार्य किया गया है वह अधिकांश उन लोगों के लिये किया गया है जो असेम्बलीज और लोक सभा में चुनकर आते हैं। इन्हीं लोगों के लिये सरकार की ओर से कार्य किया गया है। उदाहरण के लिये चमार और जाटव हैं जो चुनकर असेम्बलियों और लोक सभा में जाते हैं। हमारे प्रदेश में जितने बोर्डिंग हाउसेस हैं और जितने वजीफे दिये जाते हैं अधिकांश में वे चमार और जाटव जाति के लोगों को दिये जाते हैं और अन्य जातियों को लाभ नहीं मिलता है।

इस रिपोर्ट में मध्य प्रदेश के बारे में यह बात बतलाई गई है कि रतलाम जिले में और देवास जिले में तो अनटचेबिलिटी अधिक है। मेरा नम्र निवेदन यह है कि वास्तव में ऐसी बात नहीं है। हमारे कमिश्नर साहब ने रिपोर्ट दी है उसमें उन्होंने यह आंकित कर दिया है कि वास्तव में वहां पर अस्पृश्यता दूर होती जा रही है और अस्पृश्यता नामक कोई चीज नहीं है। कुछ लोग गांवों में रह गये हैं जिनकी ओर शासन का ध्यान आकर्षित किया गया है। लेकिन हम यह कहना चाहते हैं कि इन लोगों के नाम पर तरह-तरह की सुविधा देने के लिये शासन की ओर से बीच का कोई ऐसा वर्ग न उत्पन्न कर दिया जाय जो स्वयं भी एक वर्ग होकर आगे चलकर अपने अधिकार के लिए लड़े।

SHRI K. S. CHAVDA : Public wells and hotels are not open to Harijans in rural areas and it is in an acute form in rural areas. Do you deny that ?

SHRI AKBAR ALI KHAN (Andhra Pradesh) : Even now?

SHRI K. S. CHAVDA : Yes; even now.

श्री निरंजन वर्मा : श्रीमन् हमारे मित्र की जो कुछ भी धारणा है, जानकारी है, उससे मुझे बड़ा दुःख होता है । रूरल एरियाज में तो हमारे यहां कोई होटल होता ही नहीं है । ऐसा मालूम पड़ता है कि वे दूसरे एरिया में रहते हैं जहां के बारे में उनको इस तरह का ज्ञान है । लेकिन जहां तक हमारे यहां होटल इत्यादि का प्रश्न है वह शहरों तक ही सीमित है, गांवों में होटल नहीं मिलते हैं और इसलिये गांवों में इस प्रकार की अनटचेबिलिटी का प्रश्न ही नहीं है। हमारे यहां 21 जिलों में इस बारे में जो सर्वे हुआ था उनमें से तीन जिलों में थोड़े अंश में इस तरह की समस्या अब भी है । विदिशा में देवपुर नामक कुंड में ब्राह्मण और हरिजनों के बीच स्नान करने के संबंध में कुछ झगड़ा हो गया था मगर वह समस्या भी अब दूर हो गई है। इसी तरह और भी कई स्थान थे, जहां पर इस तरह की समस्याएं थीं, मगर अब वहां पर कोई विशेष समस्या नहीं है । इसलिये अब हम अपने मित्र तथा शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित करेंगे कि कहीं आगे चलकर सामाजिक सुरक्षा के नाम पर, सामाजिक भलाई के नाम पर ऐसा न हो जाय कि हम एक और नई जाति न बना ले ताकि बाद में ये जातियां आपस में लड़ती रहें। भिन्ड और मुरैना जिलों में भी इन जातियों और सवर्ण जातियों में बराबर झगड़े होते रहते थे और राजनैतिक कार्यकर्त्ता इस तरह के झगड़े कराते थे, लेकिन अब वहां पर इस तरह की समस्या दूर हो गई है।

इसलिये मेरा सरकार से निवेदन है कि उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि ऐसे व्यक्ति जो रुपया पाने के उद्देश्य से, धन लने उद्देश्य से आगे के चलकर कहीं जन जातियों के नाम पर, शिड्यूल्ड कास्ट के नाम पर, ट्राइब्स वालों के नाम पर अधिक-से-अधिक धन न ले लें। हम रिपोर्ट की इस बात से सहमत हैं कि जितना रुपया इन लोगों की भलाई के लिए खर्च किया जाना था, जितनी योजनाएं इन लोगों की भलाई के लिए बनाई गई थीं उनमें से बहुत सी सर्वांगीण रूप से सफल नहीं हुई हैं और पूरा रुपया उनकी भलाई के काम में नहीं दिया गया ।

महोदया, एक बात और भी है कि शिड्यूल्ड-कास्ट और अस्पृश्य लोगों के लिये जितना धन मिला है उसका उपयोग तो हुआ है, लेकिन जहां तक जन जातियों का सवाल है उनके लिए तो निश्चित रूप से कोई विशेष फायदा नहीं हुआ है। सब से प्रथम एक बात मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि हमारे यहां शिड्यूल्ड ट्राइब्स शब्द का जो अनुवाद किया गया है उसके लिये "आदिवासी" शब्द रखा गया है । यह जो आदिवासी शब्द है वह स्वयं में एक बहुत बड़ा अर्थ है। आदिवासी शब्द का तात्पर्य यह है कि जो अपने को पहले से आदिवासी कहते और यहां रहते आये हैं। इन लोगों में यह भावना हो गई है कि और जो लोग हैं वे बाहर से आये हैं और उन्होंने ही हमारे इतिहास को पलटा है। वे हम लोगों को बाहर का आया कहते हैं और अपने को यहां का मूल निवासी बतलाते हैं और इसीलिए उनका नाम "आदि-वासी" है। मैंने इस बारे में मध्य प्रदेश के एक आदिवासी मिनिस्टर से पूछा था कि क्या आप यह बात समझायेंगे कि आप यहां आदि-वासी हैं? तो उन्होंने कहा कि हम निश्चित रूप से पहले से निवास करते आये हैं और आर्य तथा हिन्दु बाहर से आये हैं । इसलिये आदि-वासी नाम का जहर धीरे-धीरे काम कर रहा है और शासन को इस ओर अवश्य ध्यान देना चाहिये। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि "आदिवासी" शब्द की जगह "वनवासी" शब्द रखा जाना चाहिये। अगर "आदिवासी" शब्द से एक बार जहर घुस गया तो इससे कई प्रकार के झगड़े भविष्य में उत्पन्न हो

[श्री निरंजन वर्मा]

जायेंगे जैसे कि जातियों के दंगे स्थान-स्थान पर हो रहे हैं ।

दूसरी बात हमें यह निवेदन करनी है कि जंगली क्षेत्रों में जो वनवासी जाति के लोग हैं उनको चार-पांच कष्ट हैं और इस रिपोर्ट में कहीं भी उसके बारे में आंकलन नहीं किया गया है, ना ही प्रकाश डाला गया है । बस्तर जिले में जो जंगली जाति के लोग रहते हैं उनके लिए कोई सुविधा नहीं है । और दुख तो इस बात का है, महोदया, कि शासन ने वहां पर उनकी जानकारी के लिये, उनकी संस्थाओं में और दशाओं में सुधार करने के लिये एक कमिश्नर की जो नियुक्ति की थी, वह कमिश्नर महोदय वहां पर कभी जाते ही नहीं । बड़े-बड़े कांड वहां पर हो गये तब भी उन कमिश्नर महोदय ने वहां जा कर के दर्शन नहीं दिये और वहां से प्रेसीडेंट महोदय को, भारत के राष्ट्रपति जी को किसी प्रकार की रिपोर्ट या हमारे शासन के लिये किसी प्रकार की रिपोर्ट उन्होंने नहीं दी । इतना ही नहीं, जब उनसे इस विषय में लिखा-पढ़ी की गई तो उन्होंने जो मौन धारण किया, उससे ज्यादा दुख की बात और कोई हो ही नहीं सकती ।

वहां पर जंगलों में पहले आदिवासियों का यह हाल था कि वे प्रातः काल से सांयकाल तक मजदूरी करते थे और जंगलों से लकड़ियां लाते थे । उन लोगों के लिये लकड़ियां लाना वहां से बन्द कर दिया गया है । लकड़ियां लाना बन्द करना बहुत अच्छा है और अच्छा होता, लेकिन उनके जीविकोपार्जन के साधन अन्यत्र कोई दूसरे उनके लिये दे देते, तब इस प्रकार की पाबन्दी की गई होती तो अच्छी होती ।

इसी प्रकार से परम्परागत शैकड़ों और सहस्रों वर्षों से वे अपनी खाइयां बनाते आ रहे हैं । खाइयां कहते हैं छोटे-छोटे खेतों को जो अपने हाथों से, कुदालियों से वे बनाते हैं और बनाने के पश्चात उनमें मक्का, ज्वार इत्यादि धान्य बो देते हैं और उसके पश्चात् उसको काट लेते हैं । चूंकि उनका कोई घर नहीं होता, इस लिये जहां पर अच्छा पानी बरसता है उस इलाके और क्षेत्र में वे चले जाते हैं और वहां पर वे खाइयां बना कर अपना जीवनयापन करते हैं । लेकिन हमारी सरकार ने इसके ऊपर भी प्रतिबन्ध लगा दिया कि अब कोई भी आदमी खेती नहीं कर सकता वहां पर और जितनी जमीनें उन्होंने बना कर रखी थीं, वहां पर तहसीलदारों ने, नायब तहसीलदारों ने दूसरे व्यक्तियों को वह जमीनें दे दीं । इस-लिये उनके सामने वहां पर बड़ी कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं और उन कठिनाइयों का शासन की तरफ से कोई हल नहीं हुआ है ।

ठीक इसी तरह से जहां तक कि आदिवासियों में सामाजिक रीतियों का सम्बन्ध है, वहां हमारे मंत्रालय के द्वारा कोई इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई है जिस के द्वारा उनकी तमाम सामाजिक कुरीतियों में किसी प्रकार से हेर-फेर हो सके । यह बात सही है कि किसी के धर्म के विषय में हम अनुचित हस्तेक्षप नहीं कर सकते और न करना चाहिये, लेकिन तब भी यह देखना चाहिये कि जो उनमें भूतप्रेत की मान्यता है, जिस का कारण शिक्षा का अभाव है, और जिस के कारण उन जन-साधारण में जाग्रति का अभाव दृष्टि-गोचर होता है, उसके लिये इस प्रकार का कार्य किया जाना चाहिये कि उन लोगों की जो अन्धकार युक्त प्रवृत्तियां हैं उनको किसी हद तक दूर किया जा सके ।

इसी प्रकार से खरगोन जिले में, रतलाम जिले में और दूसरे स्थानों में जो सब से ज्यादा इन्दौर कमिनशनरी का क्षेत्र है और जहां पर वनवासी बहुत अधिक तादाद में रहते हैं, वहां पर भी कमिशन के पैर बहुत कम गये हैं और वहां पर अगर दूसरे लोगों ने इस प्रकार का कार्य करने का प्रयास किया तो उन लोगों

को रोकने के लिये शासन की तरफ से बार-म्बार अड़ंगे लगाये गये, कभी-कभी राजनीति के नाम पर, कभी-कभी राजनैतिक दलों के नाम पर। इस प्रकार की ठेस वहां की जन जाग्रति में मारी गई और उनको पूरी तरह से नष्ट करने के उपाय किये गये। मैं, महोदया, आपके सामने निवेदन करूंगा कि पिछले साल वहां पर जंगली लकड़ियों और खेतों को ले कर के एक बड़ी समस्या उत्पन्न हुई थी और उसके लिये वहां राजतंत्र के प्रमुख जितने मंत्री थे, उन सब को प्रार्थना पत्र दिये गये, श्री द्वारिका प्रसाद मिश्र जी से मौखिक रूप से डेपुटेशन जा कर के मिला। लेकिन उसका परिणाम यह हुआ कि उन लोगों के लिये यह समझ लिया गया कि वहां के कांग्रेस पक्षपाती व्यक्ति नहीं है। इस लिये उन लोगों के घरों में जा कर के अधिकारियों ने आग लगा दी, वहां जितनी उनकी फसल खड़ी थी, उस फसल में आग लगा दी गई और यह उस समय किया गया जिस समय कि अपने देश में फसल के बारे में, अन्न और खाद्य के बारे में बड़ा अभाव खटक रहा था। हमारे बहुत से मित्रों के पास ऐसे फोटो रखे हैं। शासन को सब बताया गया और एक पुस्तिका भी प्रकाशित की गई, तब जा कर के इसके लिये कुछ राहत देने का यत्न किया गया। इस तरह से वास्तव में इन दीन जातियों के प्रति जो घोर उपेक्षा का व्यवहार हो रहा है, उस घोर उपेक्षा के व्यवहार के कारण उनकी जनजाग्रति आगे नहीं बढ़ी है और आगे बढ़ने के लिये जो उनकी सुविधाएं दी गई, उन सुविधाओं का बीच के लोगों ने लाभ उठा लिया और उनको वे सुविधाएं नहीं मिल सकीं। इसलिये कमिश्नर और शासन से हम प्रार्थना करेंगे कि वहां पर वे स्वयं ऐसी ऐजंसियों को समाप्त कर के, सारे दलों को इकट्ठा बुला कर के और उनके द्वारा जहां जो कार्य किया जा सके, वहां उसके लिये योजनाएं बनायें।

एक बात मैं और निवेदन करूंगा। हमारी बहन ने अभी एक बात बताई और वह भंगियों के बारे में है। भंगियों के बारे में गुजरात में जागीरदारी प्रथा कही जा सकती है। हमारे प्रांत में उसे वृत्ति समस्या कहते हैं और यह वृत्ति समस्या सब से ओल्ड मानी गई है। एक मेहतर दूसरे के यहां नहीं जा सकता है और अगर कहीं चला जायगा तो वह सिविल राइट्स के द्वारा उससे अपना काम वापस ले सकता है। इस प्रकार की वहां पर व्यवस्था है। तो यह वृत्ति जागीरदारी इत्यादि की जितनी भी समस्याएं हैं, यह शीघ्रातिशीघ्र नष्ट होनी चाहिये। अब उनकी कोई आवश्यकता नहीं है और यदि ये समस्याएं कहीं तो भंगी भाइयों का, मेहतरों का हम निश्चित-रूप से कोई लाभ नहीं कर सकते। ऐसा मेरा निवेदन है।

SHRI K. S. CHAVDA: Madam Deputy Chairman, we are discussing **the** Reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the years 1962-63 and 1963-64. It is regrettable that the annual Report for 1962-63 is being discussed today, in 1966. This is not the first time that we are discussing the Report very late. It has happened in the past. At the time of discussion of the last Report attention of the Ministry had been drawn in **this** House as well as in the other House to the fact that the discussion on the Report had been very late. In spite of that no efforts were made by the Ministry for **the** timely presentation and discussion of the Report. This is an annual report and it reviews the position of Scheduled Castes and Scheduled Tribes every year. Therefore, it must be presented and discussed every year regularly in this House. If this is not done, how can the Ministry of Social Welfare expect good results by the implementation of their welfare schemes for Scheduled Castes and Scheduled Tribes by the States ? Of all the schemes undertaken by the Government, namely, for education, economic uplift, health, housing and other schemes for the welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, the more popular and extensive in terms of coverage and successful is **the** scheme for their educational development and **for** this the Government

[Shri K. S. Chavda.]

deserves congratulations. According to 1961 census, the literacy rate of the entire country is 24 per cent and that of the Scheduled Castes is 10.27 per cent and Scheduled Tribes 8.54 per cent. This shows that more efforts are Acquired to [increase literacy amongst the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, so as to bring them up to the level of :he rest of the population, in the country. This will serve two purposes. Firstly, it will increase the literacy percentage of the entire country and secondly, it will encourage integration with and will discourage ihe separatist tendencies from, the non-Scheduled Castes and non-Scheduled lribes. No pollution by touch is observed in primary schools, in high sctioois and in colleges, but discriminatory r- geneially observed in primary schools in rural areas regarding drinking water. It is also observed, to some exteoi, in high schools, but it is not observed in colleges. The Central Government should, therefore, advise the State Governments to take necessary steps to remove this discrimination. Article 46 of the constitution is very important in tins regard, It runs thus :

1 P.M.

> "The State shall promote with special care the educational and economic interests of the weather sections of the people, and, in •■'articular, of the Scheduled Castes and the .Scheduled Tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation."

But here the Ministry of Social Welfare has not mentioned it correctly in their report for 1965-66, page 6, paragraph 3. I will read only one line :

> "Article 46 of the Constitution lays down that the State will promote with special care" etc., etc.

The Ministry has used the term "will" instead of "shall" used in the Constitution. "Shall" is obligatory while "will'* is not. Therefore, the Ministry should be very careful in quoting the articles from the Constitution.

Another point is regarding the means test. Means test has been applied by the Government to the Scheduled Castes while awarding post-matric scholarships. At present scholarships are given to the Scheduled Caste students whose parents'/ guardians' income does not exceed Rs. 400 per month, and there is a slab system :

In the case of students whose parents'/guardians' income does not exceed Rs. 3 JJ per month:	Full scholarship,
Exceeds Rs. 300 pur month but does not exceed Rs. 4JO per month:	two-thirds
Exceeds Rs. 400 per month:	no scholarship

It is good that it is not applied to the Scheduled Tribes, and I should say that it should not be applied to the Scheduled Castes also because the economic position of the Scheduled Castes has not improved very much. Secondly, the basis on which it is not applied to the Scheduled Tribe students is the same. Thirdly, ihe cost of living has gone up very much since 1960. Fourthly, the percentage of educated among the Scheduled Castes is very low as compared with that of the rest of the population in the country. Therefore, the means test as applied to the Scheduled Caste student is not justified at all. Therefore, the means test should not be applied to them. But if the Ministry intends to continue the means test, then there should not be any slab system and the post-matric scholarships should be given to those whose parents'/guardians' income does not exceed Rs. 600 per month. The question will arise with regard to resources. I will suggest two things in this regard. First, the amount provided for other schemes for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and remaining unspent should be utilised for awarding post-matric scholarships to the Scheduled Castes. For example, every year the amount provided for construction and maintenance of hostels is not fully utilised. In 1961-62 the amount which remained unspent was Rs. 11.93 lakhs; in 1962-63 it was Rs. 2.77 lakhs: in 1963-64 it was Rs. 15.74 lakhs

Therefore, in the first three years of the Third Plan the net amount which remained unspent was Rs. 29.44 lakhs. This unutilised amount could have been utilised for awarding post-rnatric scholarships to the Scheduled Caste students.

Secondly, instead of giving grants-in-aid to the voluntary agencies for removal of untouchability the amount should be diverted to education, because educa-t.on is the essential prerequisite for all-round development of the Scheduled Castes. But if the Government intends to give grants to the voluntary agencies for removal of untouchability, they can do so, but my main point is that there should not be any means test applied to the Scheduled Caste students. If it is to be continued, there should not be any slab system and post-matric scholarships should be given to students whose parents'/Guardians' income does not exceed Rs. 600 per month. This concession should be allowed to continue till we bring them up to the level of the rest of the population in our country.

Another point is regarding the reservation of posts in the Cen'ral Government Services and the State Government Services. The reservation of posts for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Central Government Services is dealt with by the Ministry of Home Affairs. The representation of Scheduled Castes in Centra] Government Services on 1-1-57 in Class I was 0.71 per cent; in Class II, 2.01 per cent; in Class III, 7.03 per cent. As on 1-1-1963 it was in Class I 1.31 per cent; in Class II, 2.61 per cent; in Class III, 7.91 per cent. These figures show that from 1957 to 1963 the representation has gone up steadily but not adequately and not significantly looking at the enormous increase in the number of posts since 1956. The population of Scheduled Castes is about 15 per cent according to the 1961 census. Therefore, at least 15 per cent of the services should be filled by them. No statistical information regarding the intake of Scheduled Castes ;md Scheduled Tribes in the Services under the Union Territories or under the States is available. So, in the absence of statistical data, how can we decide whether they are adequately represented in the Government Services or not ? This shows that the Ministry of Home Affairs is very apathetic towards the interests of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and is not discharging its constitutional obligations as contained in articles 16(4) and 335 of the Constitution. I would like to know what effective steps the Government has taken or proposes to take to secure quicker progress in the representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Government Services.

Another point is regarding Panchayati Raj. The implementation of the welfare schemes for Scheduled Castes and Scheduled Tribes has been entrusted to the Panchayati Raj. Fear was expressed in the 1960-61 Report that

> 'Due to the existing pattern of concentration of social and economic power in tl\e hands of a dominant section of the population in the country, the democratic decentralisation may lead to more intensive exploitation of the Scheduled Cas'es and Scheduled Tribes."

Madam, that fear has come true. The Panchayats can play a very important role in the matter of eradication of untouchability, if they tak$_e$ real interes' in the problem. Public wells, hotels and temples are not open to the Scheduled Castes in the rural areas. Untouchability prevails in a very acute form in the villages. Therefore in the Report for the year 1962-63 the Commissioner has recommended—

> "It is, therefore, necessary to give some sort of supervisory authority over the Panchayat Bodies to the District Magistrates/Collectors, as already recommended in 1958-59 Report. Where the Panchayats neglect the welfare work of the Scheduled Caste/ Tribe or where the Scheduled Castes/ Tribe[5]; are not given due priority in the allotment of waste lands vesting in the Panchayats, the Dis[f]rict Magistrate/Collectors may be given the power of vetoeing the decisions of the Panchayat Samities. ;f such deci-

[Shri K. S. Chavda.]

sions are detrimental to the interests of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes."

I would, therefore, like to know whether this recommendation repeatedly made by the Commission since 1958-59 has been implemented. It is a very important recommendation of the Commissioner and the Government should implement it as early as possible.

श्री जगन्नाथ प्रसाद पहाड़िया : उपसभापति महोदया, अनुसूचित जातियों और आदिमजातियों के कमिश्नर की इस रिपोर्ट पर बहस करते समय कुछ समझ में नहीं आता कि रिपोर्ट के बारे में कुछ कहूं या रिपोर्ट में जो कुछ लिखा है उसी को इम्पलीमेंट करने के बारे में कुछ कहूं । लगभग पांच साल पुरानी यह रिपोर्ट है और ऐसा मेरा मानना है कि इसको भी हर साल यहां पर बहस के लिये नहीं लाया जाता, वैसे तो मेरी ऐसी मान्यता है कि इस पर बहस हो या न हो कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि जिस तरह से सरकार की नीति इन जातियों के बारे में या इन कबीलों के बारे में चल रही है उससे ऐसा लगाता है कि शायद सदियां बीतेंगी तब कहीं जाकर इस समस्या का समाधान होगा । मुझे ताज्जुब तो इस बात पर होता है कि इस महकमे की उपमंत्री जी ने इस रिपोर्ट को पेश करते समय यह दलील दी कि इस रिपोर्ट को हम यहां हर साल नहीं ला सके या जल्दी से नहीं ला सके क्योंकि एजेंडे पर दूसरे बहुत जरूरी मामलात सामने थे । इस सदन में बहुत सारी चीजें आती हैं जो कि जरूरी होती है लेकिन उपसभापति महोदया, हम ऐसे आइटम भी सदन में देखते हैं जिनकी कोई आवश्यकता भी नहीं होती है और फिर जब हर साल सोशल सिक्योरिटी के महकमे की रिपोर्ट इस सदन में आती है तो मेरी समझ में नहीं आता है कि इस कमिश्नर की रिपोर्ट क्यों नहीं सदन में आ सकती । इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आगे से इस बात का खयाल रखा जाय कि कम से कम हर साल यह रिपोर्ट सदन में आये ताकि इस पर विचार कर के हम अपने मन की बात कह सकें, जो होने वाला है वह तो होगा ही लेकिन कम से कम अपने मन की भावना को तो व्यक्त कर सकें, सरकार तक उन विचारों को पहुंचा सकें जिन्हें हम देहातों में, सर्विस वालों से, मजदूर क्लास से, किसानों से या और दूसरे लोगों से सुनते हैं और जिन्हें केवल सुनते ही नहीं बल्कि भुगतते भी हैं । तो भुक्तभोगियों की बात को सुनने की आवश्यकता हमें नहीं मालूम होती लेकिन कम से कम जो लोग समाज में काम करते हैं, सामाजिक संस्थाओं में काम करते हैं और सरकार के जो अफसर वहां घूमते हैं उनके जरिये से तो रिपोर्ट आती है उनका इम्पलीमेंटेशन कुछ हो सके । यही मैं कहना चाहता हूं ।

दूसरी बात उन्होंने कही थी कि सारे स्टेट्स से हम सूचना मंगाने की कोशिश करते हैं लेकिन सूचना समय पर नहीं आती, राज्य सरकारें हमारे मातहत नहीं हैं । राज्य सरकारें आपके मातहत नहीं हैं मैं इस बात को मानता हूं लेकिन इतनी सारी रकम आप राज्य सरकारों को देते हैं खर्च करने के लिये तो क्या उसके कारण उन सरकारों से यह पूछने का अधिकार नहीं कि उन सरकारों ने क्या किया, क्या उसका हिसाब किताब मांगना आपके हाथ में नहीं है, यह मेरी समझ में नहीं आता है । तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं और आपके द्वारा खास तौर से मंत्री जी से, सरकार से, कि जो रकम आप देते हैं कम से कम उसके बारे में राज्य सरकारों से पूछताछ की जानी चाहिये कि आपको यह रकम दी गई आपने क्या किया जिस मद के लिये दी गई उस मद के लिये खर्च की गई और अगर कोई राज्य सरकारें उस रकम का हिसाब किताब नहीं देतीं तो या तो उन सरकारों को रकम देना बन्द कर देना चाहिये या कैबिनेट में इस बात का फैसला करना चाहिये

है क्योंकि आजाद हिन्दुस्तान का जो जब संविधान बना और उस संविधान के आधार पर हमको कुछ संरक्षण मिले और उसके आधार पर हमारी तरक्की की योजनायें बनी तो इन योजनाओं को ताक पर रखे रहें, इन रिपोर्टों को अलमारियों में उनकी शोभा के लिये रखे रहें और उनके बारे में अमल न करें, तो इसका फैसला मंत्री जी को करना पड़ेगा और अगर वह नहीं कर सकते हैं तो इसको कैबिनेट के सामने ले जाना चाहिये, प्रधान मंत्री जी या राष्ट्रपति जी जिनके भी जरिये से करा सकते हैं, कराना चाहिये और इन पर पूरा अमल करना चाहिये । यों आप बिल्कुल समर्थ हैं अगर आप थोड़ा कड़ाई से काम लें या अगर समझें तो नर्मी से बर्ताव करें, प्रेम से, मुहब्बत से, जैसे भी हो उनको कहिये कि जो स्कीमें आप देते हैं---स्कीमें वे बनातें है, जो रकमें आप देते हैं वह रकमें उन्हीं मदों में लगे जिनके लिये दी हैं और उनका हिसाब किताब दो । तो इसके बारें मे वह जानकारी करें और उसको यहां पर भी दें ।

इसके साथ-साथ अब मैं दूसरी बात पर आता हूं । मैं कोई खास बात नहीं लेना चाहता हू, अगर एक-एक बात को लूं जो कि इस रिपोर्ट में कही गई है तो समय बहुत लगेगा क्योंकि रिपोर्ट में ऐसी कौन सी बात है जिसको कि हम कहना चाहते हैं वह इसमें नहीं दी गई हो, छूआछूत से ले कर शिक्षा तक, नौकरी से लेकर सभी बातें इसमें दी हैं, इनको डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहता लेकिन केवल यह आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जो कुछ आपके कमिश्नर ने इस रिपोर्ट में कहा है मेहरबानी करके कभी आप भी उनको पढ़िये और पढ़ करके जो उन्होंने करने के लिये कहा है उस काम को करिये भी, क्योंकि कदिम्नूर साहब को जो नियुक्त किया है उसके सम्बन्ध में ऐसा मैं महसूस करता हूं जैसा कि मैंने हरिजन एडवाइजरी बोर्ड में भी कहा था कि शहद वह केवल एक डाकखाना है कि हम कोई शिकायतें भेज दें, कोई चिठ्ठी भेज दें और वह उन चिठ्ठियों को इधर-उधर महकमे वालों को भेज दें और महकमे वाले उन्हें रद्दी की टोकरी में डाल दें या किसी फाइल में फाइल कर दें, अगर यही काम शेड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर का है तो हर साल उनकी यहां रिपोर्ट आती रहे, उनको हम पढ़ते रहें, देखते रहें कोई फायदा नहीं और मेरा निवेदन यह है कि आगे से सरकार का रुपया इस पर खर्च नहीं किया जाना चाहिये और अगर खर्च किया जाता है, रिपोर्ट मंगाई जाती है, रिपोर्ट लिखी जाती है, रिपोर्ट पेश की जाती है तो उन पर कुछ अमल भी किया जाना चाहिये ।

तो अव्वल तो यहां पर इस रिपोर्ट पर बहस नहीं की गई लेकिन बहस न करने की बात के साथ-साथ एक बात का और मैं ध्यान में लाना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले यह महकमा होम मिनिस्ट्री के तहत था और अब इस मिनिस्ट्री के तहत है, महोदया, मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता कि ऐसा क्यों है क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी संयुक्त है, मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी संयुक्त है, चाहे सोशल सिक्योरिटी के मातहत रहे चाहे गृह मंत्रालय के साथ रहे कोई बात नहीं, लेकिन गृह मंत्रालय के साथ में था तो उसका एक कायदा था कि कम से कम लोगों को, राज्य सरकारों को डर था, चीफ मिनिस्टर्स सतर्क रहते थे लेकिन अब ऐसा लगता है कि वह डर शायद निकल गया है, वैसे हमारे मंत्री जी गृह मंत्रालय से भी ज्यादा पावरफुल हैं इस मामले में कि राज्य सरकारों की योजना आप बनाते है, राज्य सरकारों को योजनाओं का पैसा आप देते हैं, इसलिये मेरा निवेदन है कि मेहरबानी कर के आप अपनी शक्ति का कुछ सदुपयोग कीजिये, उस शक्ति को आंकिये और उस शक्ति के आधार पर राज्य सरकारों को, खास तौर पर मुख्य मंत्रियों को लिखिये कि जो आपन जिम्मदारी ली है, संविधान ने जो जिम्मेदारी आप पर डाली है उसको अच्छी तरह से वह अनुभव करें औ अगर वह इस जिम्मदारी को ठीक तरह से नहीं

[श्री जगन्नाथ प्रसाद पहाड़िया]

निवायें तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, जसा कि मैंने निवेदन किया, कि अलमारियों में सजा कर इस रिपोर्ट को नहीं रखना चाहिये, अगर इस तरह रखेंगे तो एक समय आयेगा कि आपकी आलोचना इस सदन म ही नहीं होगी बल्कि हमें बाहर भी इसकी आलोचना करनी पड़ेगी और यह कहना पड़ेगा कि यह रिपोर्ट इनको दिखाने के लिये, बहकाने के लिये या दबाने के लिये है और अगर सब बातें मरी गलत नहीं हैं तो मैं निवेदन करना चाहता हूं जैसा कि बार बार मैंने कहा कि इसको इम्प्लीमेंट कीजिये और राज्य सरकारों को भी यह कहिय ।

दूसरी बात मैं यह दिवेदन करना चाहता हूं कि आपने कुछ सेंट्रेल एडवाइजरी कमेटी, कुछ स्टट एडवाइजरी कमेटी वगैरह बनाई हैं लेकिन रिपोर्ट को देखन से पता चलता है कि, जैसा कि पज 3 में आपकी रिपोर्ट में कहा गया है, उनकी मीटिंग करने की आवश्यकता नहीं समझते, आपकी सेंट्रल एडवाइजरी कमटी तीन साल के अन्दर एक बार मिली, मैट ओनली वंस, और दूसरी कमेटी जो है वह शायद मिली नहीं । कोआर्डिनेशन कमेटी के बारे म कहा गया है कि उनकी तो अब तक कोई मीटिंग हुई ही नहीं । यह मालूम नहीं होता है कि जब उनम बैठकर बहस और विचार नहीं करना चाहते तो आखिर उनको बेकार में बनाई क्यों । उनमें आपके अफसर लगते होंगे, फाइलें बनती होंगी, समय बर्बाद करते होंगे, इसलिये मरा निवेदन है कि या तो इन कमेटियों को आप बनाते नहीं और अगर बनाते हैं हैं तो उनकी मीटिंग बुलाइये और उनसे कुछ काम लीजिये और उनकी सलाह पर कुछ अमल कीजिये । इसी तरह से कोआर्डिनेशन कमेटी के कुछ सैल्स बनाये हैं, उसके बारे में पेज 5 में कहा गया है, लेकिन उन्होंने आज तक कोई फंक्शन नहीं किया । उनका क्या फंक्शन है वह भी डिफाइन नहीं किया । डिफाइन करें या न करें लेकिन यह तो डिफाइन करें कि सैल बने हैं तो वह रिपोर्ट क्या नहीं भज रहे हैं । इसकी आपको थोड़ी सी जानकारी मिलनी चाहिये और इस सदन को भी इसकी जानकारी मिलनी चाहिये ।

दूसरी बात मैं डेमोक्रेटिक डिसंट्रलाइजेशन के बारे में निवेदन करना चाहता हूं । हमने बड़े विश्वास के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ, इस प्रजातंत्र के आते ही कुछ देहातों के अन्दर, शहरों के अदर, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात कही और वह डिसट्रलाइजेशन इसलिये किया जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसका फायदा उठा सकें, ज्यादा से ज्यादा जनता के लोग उसमें शामिल हो सकें और शामिल होकर जिन स्कीमों को सरकार बनाती है उनको स्वयं बनाएं लेकिन देखने में ऐसा लगता कि कुछ राज्य सरकार ऐसी हैं जहां हरिजनों के लिये और आदिवासियों के लिये रिज़रवेशन नहीं रखा गया, जब कि आपकी असेम्बली और पार्लियामेन्ट में रिज़रवेशन संविधान के तहत बनाया गया है—और एक गाइड लाइन दी गई है कि इन सारे इन्स्टीट्यूशन्स में रिज़रवेशन होना चाहिये लेकिन आपकी रिपोर्ट स्पष्ट करती है—मैं कोट करने की आवश्यकता नहीं समझता—कि बहुत सी राज्य सरकारों ने जो उनके पंचायती राज इन्स्टीट्यूशन्स हैं उनमें रिज़रवेशन नहीं किया । इसलिये मेहरबानी करके उनको लिखियेगा कि कम से कम संविधान की व्यवस्था का तो पालन करें। अगर उन्होंने इस व्यवस्था का पालन नहीं किया तो श्रीमन्, हमको नुकसान होने वाला है । मैं ज़ोर नहीं देना चाहता हूं केवल आपसे निवेदन करना चाहिता हूं ।

अनटचेबिलिटी के बारे में मैं आगे जाकर निवेदन करूंगा । आज मैं देखता हूं, खासकर मेरे अपने प्रान्त में, और दूसरे प्रान्तों के बारे में भी मैं कह सकता हूं, लेकिन अपने प्रान्त के बारे में कहता हूं कि ये जो पंचायतें आपने बनाई हैं अगर कहीं रिज़रवेशन रखा

गया है तो जो सदस्य पंचायतों के इस प्रकार चुने गये हैं या नियुक्त किये गये हैं, उनके साथ इस तरह से व्यवहार होता है जैसा पहले किसी अछूत के साथ होता था। आज उनको कुरसी पर नहीं बैठने दिया जाता, उनको नीचे बैठने दिया जायेगा, अगर फर्श बिछा हुआ है तो सवर्ण को फर्श पर बैठने दिया जायेगा और हरिजन अथवा आदिवासियों को नीचे बैठना पड़ता है। यह आपका कैसा प्रजातंत्र है, कैसा आपका असमाजवाद है, इसके बारे में आप स्वयं विचार कर सकते हैं। श्रीमान् आप सबसे बड़े समाजवादी हैं मगर समाजवाद की व्यवस्था अगर परिभाषा में होती रहेगी, केवल 'थियरी' में रहेगी, इसका कोई इम्प्लीमेन्टेशन नहीं होगा तो मैं समझता हूं यह दिखावा मात्रा होगा और आपके विचार मात्र होकर रह जायेंगे। मैं चाहता हूं आपके समाजवाद की स्थापना का संकल्प पूरा हो। इसके लिये समाजवाद को देहात तक ले जाइये, हरिजनों तक ले जाइये, आदिवासियों तक ले जाइये चूंकि आपके हाथ में बहुत बड़ी शक्ति है, वैल्थ आपके हाथ में है, इस वैल्थ के कारण ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते हैं।

इसके साथ ही साथ मैं एक और निवेदन आपसे करना चाहता हूं, वह है स्कालरशिप के बारे में। स्कालरशिप के बारे में बार बार कहते हैं कि जो पोस्ट मैट्रिक विद्यार्थी पढ़ते हैं वे सेन्टर के तहत गवर्न होते हैं लेकिन स्टेट्स से शिकायतें आने के बावजूद स्कालरशिप समय पर नहीं मिलता और समय पर मिलता रहे तो अच्छा हो। लेकिन इतनी महंगाई के जमाने में, जब कि मंहगाई इतनी बढ़ी हुई है, क्या कोई विद्यार्थी 27 रुपये की स्कालरशिप में खर्चा चला सकता है। आज कमरा भी 27 रुपये महीना किराये पर नहीं मिलता है तो वह अपनी भर्ती का, पढ़ने की फीस का, आने-जाने के किराये वगैरह का खर्चा कहां से उठा सकेगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि जैसे जैसे आप सरकारी कर्मचारियों का भत्ता बढ़ा रहे हैं और दूसरी चीजों की कीमतों में वृद्धि हो रही है, वैसे-वैसे स्कालरशिप की कीमतों में वृद्धि होनी चाहिये। अगर स्कालरशिप की कीमत में वृद्धि नहीं हुई तो स्कालरशिप बेकार हो जायंगे हरिजनों के लिये और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के लिये, क्योंकि वे जो आपके यहां से पैसा मिलता है उस पर निर्भर करते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है, इस पर आपका ध्यान जाय और आप ज्यादा से ज्यादा पैसा स्कालरशिप पर अलाट करें जिससे जो रकम 'पर स्टूडेन्ट' रखी है उसमें बढ़ोत्तरी हो सके।

तीसरे, जितने होस्टल, छात्रावास, आपने खोले हैं वे पृथक खोले जाते हैं, उनमें न कोई सवर्ण रह सकता है और न सवर्णों के छात्रावास में कोई हरिजन या आदिवासी रह सकता है। अभी विरोधी दल के हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा था कि कहीं एक वर्ग ऐसा न बन जाय जो अपने को यह समझने लगे कि हम अलग वर्ग हैं। इसलिये उचित है कि इस तरह के छात्रावासों को समाप्त किया जाय और अगर समाप्त नहीं किया जाता है तो कुछ एक में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये जिससे सवर्ण छात्र भी हरिजनों के साथ छात्रावास में रह सकें और सवर्णों के लिये जो छात्रावास हैं उनमें हरिजन और आदिवासी छात्र रह सकें और उनका खर्चा आप उठाएं। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं होगी तो संस्कार नहीं बदलेंगे और अलगाव की, पृथकत्व की जो भावना हमारे मन में चली आ रही है, जो आज भी बनी हुई है, वह भी बनी रहेगी और हमारे नीच खयाल भी बने रहेंगे। इसलिये अच्छा होगा कि जनरल छात्रावास म ऐसी व्यवस्था करें कि हरिजन और आदिवासियों को सवर्णों के साथ रहने को मिले। इसके साथ ही साथ हरिजन और आदिवासियों के लिये जो छात्रावास आपने खोले हैं वे चलते रहें लेकिन ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिये जिसमें सवर्ण छात्र भी वहां रह सकें जिससे संस्कारों में परिवर्तन हो।

[श्री जगन्नाथ प्रसाद पहाड़िया]

इसके साथ साथ, छात्रावास में जैसे खाने-पीने की, रहन सहन की, पढ़ने की, अनुशासन की व्यवस्था है, उससे कम से कम मैं संतुष्ट नहीं हूं। कोई भला आदमी उसे देख नहीं सकता। आप खुद जायं और मुलाहिजा फरमायें तो आप देखेंगे कितनी गंदगी में उन छात्रों को रखा जाता है, कैसा गंदा खाना दिया जाता है। उसका मेन कारण यह है कि उन छात्रावासों में खाने-पीने के सामान की सप्लाई शायद ठेकेदारों के जरिये होती है और वे ठेकेदार साल भर के लिये होते हैं। ठेकेदार पैसा कमाता है और वह कैसा गंदा सामान सप्लाई करता है वह मैं जानता हूं, मैं भुक्तभोगी हूं और मैं रात-दिन शिकायत सुनता हूं। इसलिये मेहरबानी करके इसकी व्यवस्था ठीक कराइये और जो ठेकेदारों के जरिये से आपने यह सप्लाई देनी शुरू की है उसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिये। अच्छा तो यह होगा आपके डिपार्टमेन्ट के जरिये से पूरा सामान खरीदा जाये और सारे प्रान्त के लिये, सारे जिले के लिये उसकी सप्लाई हो जाय। पिछले दिनों यह शिकायत मिली थी कि किसी-किसी छात्रावास में गेहूं खाने को नहीं मिला और उसकी जगह जौ और बाजरा छात्रों को दिया गया। जब छात्रावास में गेहूं का राशन नहीं मिलेगा तो दूसरी जनता को कहां से मिल सकेगा यह अंदाजा आप लगा सकते हैं। इसलिये उनके लिये अच्छा राशन मिल सके, अच्छा खाना मिल सके और रहन-सहन की व्यवस्था हो सके। (Time bell rings) अभी तो मैंने शुरू किया है। अभी तो बहुत प्वायंटस हैं, मैं पहली बार बोल रहा हूं इस विषय पर।

इसके बाद में आपका ध्यान पबलिक स्कूल और सैनिक स्कूल की तरफ खींचूंगा। पबलिक स्कूल्स की रिपोर्ट से पता चलता है कि पिछले साल तक, इस साल की तो रिपोर्ट सदन में आई नहीं, केवल 6 शिड्यूल्ड कास्ट के और 3 शिड्यूल्ड ट्राइब्स के छात्रों को छात्रावृत्ति दी गई। अगर सारे हिन्दुस्तान में जिनकी संख्या 300 के लगभग है, इन छात्रों को पबलिक स्कूल में छात्रवृत्ति दे सकते हैं और उसमें से 6 शिड्यूल्ड कास्ट के लिये और 3 शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये मिलेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं रिज़रवेशन का क्या मतलब हुआ। आपकी रिपोर्ट में बताया है कि लगभग 7 प्रतिशत स्कालरशिप हमने रिज़र्व रखी हैं लेकिन इसके साथ-साथ अगर अंदाज लगाएं तो शायद वह संख्या 50 तक पहुंचेगी लेकिन आपने दिये 6 तो शिड्यूल्ड कास्ट वाले को और 3 शिड्यूल्ड ट्राइब वाले को। इस गड़बड़ी के लिये कौन जिम्मेदार है। इसकी जांच की जानी चाहिये और जो कमी अब तक रही है उसको पूरा किया जाना चाहिये। हर साल के छात्रों को जितना एड्मिशन मिलना चाहिये था वह पांच साल के अंदर जिन-जिन को मिलना चाहिये था उसके हिसाब से जब तक स्थानों की पूर्ति नहीं हो जाय तब तक अन्य छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दी जाय। इसके साथ-साथ सैनिक स्कूलों के बारे में कहा गया है, डिफेन्स मिनिस्ट्री ने जो रिपोर्ट लिखी थी उसमें, कि इन सैनिक स्कूलों में कोई रिज़रवेशन नहीं किया जा सकता। जब सब जगह रिज़रवेशन है, पबलिक स्कूल में रिज़रवेशन है, आपकी सरकार में, पार्लियामेन्ट में रिज़रवेशन है तो सैनिक स्कूल में क्यों नहीं होता। जब चाइना का अग्रेशन हुआ था और जब पाकिस्तान से लड़ाई चल रही थी उस समय फौज में भर्ती होती थी तो शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के लोगों को यह कह कर भगा दिया जाता था कि आपके लिये भर्ती नहीं खुली है। मैं नहीं जानता, ऐसा सरकार का कोई कायदा या कानून है, लेकिन अगर इसके लिये वे आफिसर जिम्मेदार हैं जो बिना कायदे कानून के भर्ती कर रहे थे तो उन पर ऐक्शन होना चाहिये और अगर सरकार का नियम ऐसा है जिसके तहत हरिजनों और आदिवासियों की भरती नहीं की जाती तो उसमें परिवर्तन

किया जाना चाहिये। हमने इसकी शिकायत रक्षा मंत्री को लिखित में भेजी, रक्षा मंत्री ने जवाब दिया था कि हम इस पर विचार कर रहे हैं। लेकिन उस पर कोई ऐक्शन नहीं हुआ। मेरी लेटेस्ट इन्फारमेशन यह है कि आज भी सैनिक भर्तियों में हरिजनों और आदिवासियों को यही कह कर भगा दिया जाता है। मेरा निवेदन है कि या तो इसको आप सरकारी स्तर पर दूर करायें और इसके लिये हम आपसे मिन्नतें करें नहीं तो दूसरा जरिया निकालना पड़ेगा और वह जरिया होगा एजिटेशन का। मैं समझता हूं सरकार हमको उस हद तक नहीं ले जाना चाहती। मगर इस चीज को सभी सरकारी स्तरों में और जरूरत पड़े तो कैबिनेट में भी जाना पड़े तो वहां ले जाकर इस संबंध में रूल्स को चेन्ज कराना होगा।

मेरे पूर्ववक्ताओं ने इसका जिक्र किया है कि आज देहातों के अंदर अस्पृश्यता किस तरह बढ़ती जाती है। आज भी हरिजनों के लिये कुंए से पानी लेना दुर्लभ है, नाई बाल नहीं बनाता, धोबी तक कपड़ा नहीं धोता। ये सब बातें कैसे चलती रहेंगी। शहर में आप कुछ लोगों को देख लें और अंदाज लगाएं कि छुआछूत दूर हो गया तो यह सही नहीं है। तो आपने जो कानन बनाया अस्पृश्यता निवारण का कानून, उस कानून का क्या हो रहा है? उससे कितने लोगों ने फायदा उठाया है? इस रिपोर्ट को देखने से पता चलता है कि जितना पैसा रखा था उसका केवल 7 प्रतिशत खर्च किया है। या तो लोगों को जानकारी नहीं मिली अस्पृश्यता कानून की, या आपने जानकारी देने की कोशिश नहीं की, या आपके आफिसर इसके लिये जिम्मेदार हैं। अब मैं सर्विसेज की ओर ध्यान दिलाऊंगा।

उपसभापति: अब आप समाप्त कीजिए, 20 मिनट ले लिये हैं।

श्री जगन्नाथ प्रसाद पहाड़िया: हमारी कितनी अच्छी स्थिति है वह मंत्री जी ने स्वयं रखी थी। उन्होंने बतलाया कि एक परसेन्ट के लगभग क्लास I में हमारी सर्विसेज में लोग आते हैं, शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब। क्लास II की स्थिति भी यही है। क्लास IV का विवरण देते समय आप म्यूनिसिपैलिटी में जो सफाई का काम करते हैं मेहतर वगैरह उनका भी हिसाब लेते हैं लेकिन तब भी आपका रिज़रवेशन पूरा नहीं होता है। इसके बारे में मेरा निवेदन है कि चाहे सरकार हो चाहे आटोनोमस बोर्ड या कारपोरेशन हो, या चाहे संसद में हो, चाहे अपर हाउस में हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो, जब तक उन सबमें रिज़रवेशन पूरा नहीं होगा तब तक संविधान की व्यवस्था पूरी नहीं होगी। इसके साथ ही साथ हमें इन लोगों की आर्थिक स्थिति की ओर भी ध्यान देना होगा क्योंकि जब इस जाति के लोग कोई लाइसेंस या परमिट लेने जाते हैं तो उन से पहले इन्कम टैक्स का सार्टिफिकेट दिखलाने के लिये कहा जाता है। इसलिये, माननीय मंत्री जी इस बात को स्वयं विचार कर सकती हैं कि हरिजन और आदिवासियों में कितने इन्कमटैक्स देने वाले होंगे। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि अगर हरिजन तथा आदिवासी लोगों में से कोई एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट का लाइसेंस या परमिट लेना चाहता है तो उसके लिए इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिये कि उसे बगैर इन्कमटैक्स का सार्टिफिकेट दिखाये ही इस तरह का लाइसेंस और परमिट मिल जाय।

इस रिपोर्ट में जो बातें बतलाई गई हैं और जिनकी ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है अगर उन्हें ही सरकार इम्पलिमेंट कर देगी तो ये लोग इतने में ही संतुष्ट हो जायेंगे।

(Time bell rings.)

एक बात अंत में मिनिस्टर आफ इन्फारमेशन और ब्राडकास्टिंग जी से कहना चाहता हूं और वह यह है कि आपकी रिपोर्ट में बतलाया गया है कि इस बारे में प्रोपेगन्डा होना चाहिये, मगर इस तरह की कोई बात नहीं

[श्री जगन्नाथ प्रसाद पहाड़िया]

की गई है। जब संविधान में इस तरह की व्यवस्था है, इसके लिए पैसे की भी व्यवस्था की गई है तो उस पैसे का उपयोग क्यों नहीं किया गया है? इस संबंध में बहुत सी वालंटरी एजेन्सियां काम कर रही हैं, वे क्या काम कर रही हैं, उन्हें कितना पैसा दिया गया है, अगर उनका काम देखा जायेगा, तो पता चलेगा कि इन ऐजंसियों ने कुछ काम नहीं किया और सरकार का पैसा इसी तरह बरबाद कर दिया इस तरह की जो एजेन्सियां बनी हुई हैं वे केवल पैसे लेने के नाम से ही बनी हुई हैं और जिस काम के लिये यह रुपया रखा गया है उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है। इसलिये मेरा निवेदन है कि आपके सामने जो सवाल उठाये हैं उनकी ओर आप अवश्य ध्यान देंगे। मैं आप से इस तरह की एजेन्सियों तथा दूसरे कामों के बारे में कमिशन तथा इन्क्वायरी बैठाने के लिये नहीं कहता हूं क्योंकि आपके पास वैसे ही काफी काम है। मेरी तो इस हुकूमत से यह शिकायत है कि कम से कम वह इस बात का अवश्य ख्याल रखे कि जो कोटा नौकरियों में इन लोगों के लिये रखा गया है वह तो पूरा किया जाना चाहिये। आपके स्टेट्स में जो शिड्यूल्ड कास्ट के असिस्टेंट कमिशनर के दफ्तर हैं उन तक में हरिजनों तथा आदिवासियों का कोटा पूरा नहीं हुआ है। इसलिये मेरा निवेदन है कि सरकार कम से कम इस कोटा को तो पूरा करे ताकि हम समझ सकें कि इस ओर कुछ आप तरक्की कर रहे हैं। इतना कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

THE DEPUTY CHAIRMAN : Mr. Lokanath Misra will speak in the afternoon. The House stands adjourned till 2.30.The House then adjourned for lunch at thirty-two minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at half-past two of the clock, the VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI TARA RAMCHAN-DRA SATHE) in the Chair.

SHRILOKANATH MISRA (Orissa): Madam Vice-Chairman, I think before discussing any points in the Report itself, I would like to bring to your kind notice the seriousness which is attached to the discussion of this Report by the House itself. I thought hon. Members of the ruling party particularly would take more interest in *this.*

SHRI N. SRI RAMA REDDY (Mysore) : We are taking.

SHRI LOKANATH MISRA : Whatever is being sa'd in this House has to be attentively listened to, because the subsequent promotion of the fate of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes would very much more depend on the ruling party than on the Members of the Opposition. Now, Madam, this is how the House deals with it. I shall come to how the Government deals with it. In the Report itself, in this very second paragraph, the Commissioner says :—■

"It has been noticed that there has been a long gap between the presentation of this Report to the President and its placing before Parliament. The reasons for this are delay in the priming of the Report and absence of regular arrangements for translating it into Hindi. If permanent adequate arrangements for attending specifically to this work could be made, the Report could be presented to Parliament without any avoidable delay."

Madam, this Report goes through a lot of hurdles. The first hurdle as enumerated by my previous speakers, are the State Governments, They do not pass on the information necessary to the Comm'ssioner. Subsequently, when the Commissioner has sorted out and tried to find out what informations he could gather, it cannot be compiled in the Report because of inefficiency of the Home Ministry so much so that tiiey

do not have even competent men' to translate it into Hindi.

SHRI MULKA GOVINDA REDDY (Mysore*) ; It is no longer the Home Ministry.

SHRI LOKANATH MISRA : Now if the Government is really serious about promoting the condition of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, thty should have left it to the Commissioner 1 whole. They should make arrangements for this particular Report to be presented to the House because, under the Constitution, the Government is bound to place this on the Table of the House. There is a certain lacuna of course, there is no time limit specified in the Constitution for presentation of this Report, and the particular Ministry incharge takes advantage of it and pre-sents, three years or four years after, some reports together. Here the Reports of two years have been placed together, and that places the Members of Parliament, Members of this House particularly, at a disadvantage, because they cannot give that specific attention to each Report of the Commissioner, which they could have done if they were separately placed on the Table of the House and taken up for consideration.

Now, Madam, after eighteen years of independence we are still considering the question of untouchability in this country. I think the hon. Ministers who owe their everything, owe their very existence to Mahatma Gandhi, should have done a little better in th'.s respecl. Now what I find, Madam, is that Ministers^—even if a Minister who is supposed to look after the Scheduled Castes and Scheduled Tribes—he or she—might belong to the Scheduled Castes or Sche-Jii.ixl Tribes—become a class by themselves, the rulers' class, and even the legislators, the Members of Parliament, even they become untouchable for them. I allege that because, in certain cases, the Mnisters live in such a condition that it is impossible for even Members of Parliament or even Members of Legis-latures to approach them and to apprise them of the actual conditions of people, the general people, the non-Scheduled people.

SHRI SHEEL BHADRA YAJEE (Bihar) : Your arguments for what you are saying about M.P.s are ridiculous.

SHRI LOKANATH MISRA: Since Mr. Yajee never belonged to the section of the disciples of Mahatma Gandhi, naturally he would not have that idea in his mind.

SHRI SHEEL BHADRA YAJEE : And you people of the vested interests of the Swatantra Party, do you believe in Gandhism ?

SHRI LOKANATH MISRA : It is the Congress which is the most vested. After having replaced the Rajas and Maharajas, it is the Ministers who have become the rulers now, and he is one of the followers of the Ministers, he having not come to the level of a Minister yet.

I have limited time, Madam. If there is any interruption from the Members opposite, I would beg of you to allow me some more time, because I am prepared to face them for all their interruptions provided you kindly give me a little more time on that consideration. T shall be always open for intenuptions provided the Chair allows me time.

SHRI CH1TTA BASU (West Bengal) : Not at the cost of your time.

SHRI LOKANATH MISRA : It should not be done at the cost of my rime, because I have a lot of things to say.

SHRI N. SRI RAMA REDDY : Please go ahead.

SHRI CHITTA BASU : Not at the cost of the time of the House either.

SHRI LOKANATH MISRA: Now what the Ministers should do, if they have faith in whatever Mahatma Gandhi

[Shri Lokanath Misra.] has said, is that they should themselves live for a part of their tenure of office in the Bhangi colony, naturally because that would raise the status of the Bhangi colony as a whole. People from different parts of India would flock i;i there because they have a lot of things to be done by the Ministers. Now that itself would raise (he status of Harijans and the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, and that is why Mahatma Gandhi, the Father of the Nation, lived with the Bhangis; he lived in the Bhangi colony; not that he was less intelligent than our Ministers now. Definitely he was the Father of the Nation, and much more intelligent than the ones who adorn the benches opposite. And they could take that example from Mahatma Gandhi, land they should start living in the Bhangi colony frself for a part of the year at least. That would reorient the entire attitude of the non-Scheduled people towards the Scheduled Castes. And without doing that basic thing if you start spending money, then it all becomes a colossal waste. Madam, subsequently 1 shall show how all this money goes down the drain. Unless you do this basic thing, you cannot change the attitude the people in general towards untouchability, towards the Scheduled Caste people and towards the Scheduled Tribes people also.

One hon. lady Member brought 10 the notice of the House how scavengers even today after eighteen years of our independence, are still carrying head-loads of night-soil. I myself have also seen them do it. If the authorities had only thought of some alternative arrangement, there would hav$_e$ been no difficulty in having this practice stopped. If you could erect plants like those at Bhilai, if you could erect plants like those at Rourkela or at Durgapur, there was nothing too difficult in providing push-carts so that these scavenger women would not have to carry such headloads of nightsoil. In the urban areas, particularly where the State Chief Ministers ind other Ministers live. I do not know —how they would be feeling when thtfy see these scavenger women carrying headloads of night-soil along the middle of the streets. It is something ridiculous really, that we have not been able to put an end to this practice all these eighteen years of our independence.

श्री शीलभद्र याजी : अगर पेट में ही वह रह जा सकता तो फिर सिर पर उठाने की जरूरत ही नहीं होती । यह तो सब के पेट में है ।

SHRI LOKANATH MISRA : The trouble with my hon. friend Mr, Yajee is that whenever I get up and speak he is scared of me.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI TARA RAMCHANDRA SATHE) : You please go on with your speech.

SHRI LOKANATH MISRA : What should be done now is that in *tin* urban areas, particularly, the Government should make it a point to see that no housing plan is approved without there being a flush system. Whatever houses have (existed there without this flush system, they have to continue because they cannot now be removed.

SHRI P. K. KUMARAN (Andhra Pradesh) : What about towns where there are no drainage systems ?

SHRI LOKANATH MISRA . For having a flush system it is not absolutely necessary to have a drainage system also.

DR. S. CHANDRASEKHAR (Madras) : They can have septic pits.

SHRI LOKANATH MISRA : Yes, they can have those pits. Such things they can improvise. So even without having a drainage system, I think a flush system can be introduced and the Government should make it a point and the hon. Minister in charge should kindly direct all the State Governments and the municipalities that no new houses, no new plans for construction of houses should be allowed or approved without their having a flush system of their own, so that at least we could minimise the hcadload of these

scavengers. We could reduce their loads to a minimum.

Another thing that I would like to point out, Madam, is that the categorisation that is now in vogue is wrong. Somebody is called a Scheduled Caste man or a Scheduled Tribe man just because he has been born in that particular caste or tribe. Hon. Members opposite would be happy if I gave an example. Shri Kamaraj, the Congress President, is a bright example. He belongs to one of the Scheduled Castes, I am told.

SEVERAL HON. MEMBERS : No, no.

SHRI MULKA GOVINDA REDDY: In U.P. they are listed as Scheduled Castes.

SHRI LOKANATH MISRA: Or backward classes, I think, so-called backward classes. The community is considered as Scheduled Caste elsewhere. But because of his brilliance

(Interruptions)

I am saying, something in favour of Shri Kamaraj. Why do my hon. friends start shouting even now ? First, let them please listen to me, to whatever I have to say and then they can come to **their** decisions or conclusions about it. Mr. Kamaraj, because of his brilliance, because of his eminence, now occupies a position which is probably unique in India.

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE (SHRIMATI MARAGATHAM CHANDRASEKHAR) : May I correct the hon. Member? Shri Kamaraja Nadar does not belong to the Scheduled Castes. But that community also suffered certain disadvantages as the Scheduled Castes at present suffer. But because of their economic position they could rise and because of their economic **status** they have got out of these disabilities.

SHRI LOKANATH MISRA : So in certain cases when Scheduled Caste members come to a position of eminence or become wealthy or become educated and occupy positions in the I.A.S. or I.P.S., they are no longer looked upon or considered as untouchables. Now, what is happening now is due to the fact that we have not looked after the education of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes people. If we had educated them on proper lines, on methodical lines, I think the entire situation would have been different. What is now being done is this. Madam, there are some Lok Karya Kshetras. I am told, put up in different parts of India. The main object of these. Loka Karya Kshetras is to educate the people and to look after their welfare. But they are not doing anything of that sort because even though the whole thing is organised by the Planning Commission, the disbursing authority is the Bharat Sevak Samaj and the Bharat Sevak Samaj., I don't know why, has taken up a lot of work much beyond its own limitations.

SHRI N. PATRA (Orissa) : If the hon. Member does not know, how does he say all this ?

SHRI LOKANATH MISRA : What do I not know ?

SHRI N. PATRA : About this Bharat Sevak Samaj, you said just now.

SHRI LOKANATH MISRA: I know many things about the Bharat Sevak Samaj and if I were to start enumerating them, probably I would be offending many hon. Members sitting opposite.

As I was saying, the Bharat Sevak Samaj is the disbursing authority for the money meant for the Lok Karya Kshetras, even though the appointing authority is the Planning Commission. Their functions have been specified. But I know that in certain cases where the Lok Karya Kshetra intends to educate the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, because of the interference of

[Lokanath Misra.] the Bharat Sevak Samaj, they are not able to do it. The Bharat Sevak Samaj want to do it on political lines, on party lines and so this good work cannot be done. I have got specific instances and if the hon. Minister wants to know about it I shall definitely be prepared to furnish the information about these things. That is how money is being wasted. Bharat Sevak Samaj is more interested in taking up contracts in order to make profit. They are not now keen to have welfare^ activities.

SHRI SHEEL BHADRA YAJEE : Are we discussing the Bharat Sevak Samaj now or the Report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes ?

SHRI LOKANATH MISRA: You don't understand. My hon. friend seems to understand nothing at all. He should understand first of all what is being discussed. As Members of Parliament we are supposed to understand things.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI-MATI TARA RAMCHANDRA SATHE) : You go on.

SHRI SHEEL BHATJRA YAJEE : I have to interrupt when you are irrelevant.

SHRI LOKANATH MISRA : It is then a disease. You do it not because you understand the thing but becatise it is a disease.

SHRI SHEEL BHADRA YAJEE: We should discuss the Report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

SHRI LOKANATH MISRA : I would suggest that if the hon. Minister wants to have the-se Loka Karya Kshetras and if they are keen on improving the lot of the Scheduled Tribes and ihe Scheduled Castes, then they should apportion money separately so that they could be dealt with directly by the Planning Commission. The Bharat Sevak Samaj should not come in-between. It is actually a hurdle coming in-between.

SHRI P. K. KUMAR AN : What about the finance ?

SHRI CHITTA BASU : Where does the Bharat Sevak Samaj get the money from ? Do they get it from the Departments ?

SHRI LOKANATH MISRA : The money is being granted by the Planning Commission but then it is being misused.

SHRI P. K. KUMARAN : The Bharat Sevak Samaj must have some finance.

SHRI LOKANATH MISRA : Now, Madam, regarding exploitation of these people by others, there has been some reference in the Commissioner's Reports. There are references to exploitation even today by officials. In my area, particularly in Orissa I can cite many instances. There are certain tribes living in the jungles. Their only job is !he rearing of goats and sheep. But the officials of the Forest Department harass them day in ■ and day out. Some area which is meant for grazing of sheep is sometimes announced as "demarcated" only because the Forest Ranger is ia need of a goat for a feast in his house. He snatches away one or two goats from that particular community called Golas. And they have been complaining against it for years. They have sent me a lot of material about it.

SHRI N SRI RAMA REDDY : From where ?

SHRI LOKANATH MISRA : From Orissa. You must be having Golas in your area also.

SHRI N. SRI RAMA REDDY-I am one myself.

SHRI LOKANATH MISRA : You are one yourself? I think after becoming a Member of Parliament you have forgotten all about it.

Now the hon. Minister should look into the cases of these Golas. They are an uneducated community and exploitation by officials is maximum in their case. Certain grazing ground should

be allotted to them; they will confine themselves to that particular area if it is specified. Since there is no specified area, maybe one from the herd strays into the demarcated forest but that does not entitle the forest ranger to snatch away one or two of the goats for his own feasting.

Now as far as publicity is concerned, I have a submission to make. The All India Radio goes on broadcasting verbatim speeches of our Ministers when they are of a political nature but no time is allotted for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Particulaily they have got the (ime to broadcast the rate chart submitted to them by the Chamber of Commerce. They do not deal with these items; nobody can get a kilogram of potato from the All India Radio. Still they announce it for somebody else and it is all wrong announcements because the rates are very much different in the market. They have so much time to make such announcements but regarding the privileges, the rights and other things of these Scheduled Castes and Scheduled Tribes no announcement is made. Publicity is necessary because today even in rural areas we have radio sets, community sets, and people listen to them very attentively. So I think this suggestion should be immediately implemented; some time should be allotted for the education of the Scheduled Caste and Scheduled Tribe people.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI-MATI TARA RAMCHANDRA SATHE) : You have already taken 23 minutes; you will have to wind up within two minutes.

SHRI LOKANATH MISRA : The smaller newspapers should be put to use. Even In cases where you require Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates for filling the posts in the I.A.S. and I.P.S. the advertisements are published only in the bigger newspapers, national newspapers. In certain areas the national newspapers are not read at all, particularly in the rural areas. If you want them to respond to your advertisements you should get them published in the regional newspapers, language newspapers, rather than in the national newspapers. The Director of Advertising and Visual Publicity should be instructed accordingly so that these advertisements meant for Scheduled Caste and Scheduled Tribe areas should only go to the regional newspapers and not to the national newspapers.

I have another point. In certain cases complaints against officials are only dealt with by brother officials. In such cases what happens is that the brother officer who is entrusted with the work of investigation or inquiry is more liable to take the line of helping his brother officer rather than helping the complainant. Therefore, in such cases wherever there are complaints against an official, wheiher he belongs to the State or to the Centre., there should be a Committee consisting of public men and of officers who do not belong to ihat particular area.

Then there is the question of lawyer's fees to be paid to those who take the brief on behalf of Scheduled Castes or Scheduled Tribes. That should be paid in advance. Unless money, is paid in advance no lawyer would come forward, becoming benevolent, to take up the brief of a Scheduled Caste man or a Scheduled Tribe man. As it is, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes are ignored in the society and if money is not paid in advance who would come forward ?

Now, Madam, there is some restriction on the transfer of land from an Adivasi to a non-Adivasi. In my area particularly I know some cases where transfer of land from the Adivasi's name has been effected so that the non-Adivasi can get a larger amount of compensation for the land, larger than what he paid for the land. How could the transfers be effected if you had rules, regulations and restrictions on the transfer of land ? How are these transfers to non-Adivasis effected? And what is more the non-Adivasis who are more enlightened knew that a dam was coming up in that particular area and that

[Shri Lokanath Misra.] they would get good compensation. So they got the lands transferred to their own names from the Adivasis and thus they got a huge amount as compensation for the land when the time came. This should be looked into and wherever such cases had happened, at least a part of the compensation paid should go to the Adivasis.

Thank you, Madam.

श्री दयाल दास कुर (मध्य प्रदेश) : उप-सभाध्यक्ष महोदया, सदन के सामने दो रिपोर्टें 62-63 और 63-64 की एक साथ ही विचारार्थ प्रस्तुत हुई हैं। यथार्थ में होना चाहिए कि चर्चा क्रमशः एक-एक रिपोर्ट पर, जैसी कि यहां प्रति वर्ष चर्चा होती थी, उसी तरह से होनी चाहिए थी। पहली रिपोर्ट, जैसा कि माननीय डिपुटी मिनिस्टर महोदया ने बताया, 24-11-64 को सदन के पटल पर रखी गई और दूसरी 3-5-66 को। बताया गया कि हिन्दी के ट्रांसलेशन और छपाई आदि की अव्यवस्था के कारण ये रिपोर्ट सदन के सामने विचारार्थ रखने में देरी हुई। यह तो एक रवैया-सा हो गया है कि शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब कमिश्नर की रिपोर्ट सदन के सामने आती है, उस पर विचार होता है। शासन रिपोर्टों के ऊपर किस तरह से कार्य करता है यह कुछ सोचने और समझने की बात है। मैंने रिपोर्ट को देखा और इसमें कुछ विषयों पर अपने विचार आपके सामने रखता हूं।

3 P.M.

इनमें सबसे पहली बात जो मैंने देखी वह यह कि शेड्यूल कास्ट के लोगों को जितनी जमीन वगैरह देने की सुविधा होनी चाहिए उसका रिपोर्ट में बहुत कुछ अभाव पाया। कमिश्नर ने हर स्थान में, प्रत्येक प्रान्त में शेड्यूल्ड कास्ट के उन लोगों को जिनके पास जमीन नहीं है और जिनके लिए जमीन की व्यवस्था होनी चाहिए थी उस विषय पर प्रकाश तो डाला है, लेकिन उसमें यह नहीं बताया है कि किस प्रान्त में किस प्रकार की जमीन निकाली गई और उन गरीब शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों में वितरित की गई। इसका ठीक तरह से चित्रण नहीं हुआ है। आज हम चाहते हैं कि देश में अन्न का उत्पादन बढ़े और हमें विदेशों से उसका आयात नहीं करना पड़े और यदि हम देश में जितने खेती के साधन हैं उनको एक्चुअल, सही रूप में, देखें तो शिड्यूल्ड कास्ट के ही लोग खेती करते हैं, बड़े लोगों के पास जितनी जमीन है वह स्वतः खेती पर अपने को नहीं लगाते हैं। असल में यदि खेती कोई करता है तो शिड्यूल्ड कास्ट के लोग ही करते हैं। यदि इस परिश्रमी क्लास के लिये उनकी सुविधा के अनुसार जमीन का प्रावधान किया जाय, जो जमीन बेकार पड़ी हुई है, सरकार उनको वितरित करे तो हम अपने देश में अन्न का उत्पादन बहुत अधिक कर सकते हैं और आज जो हमारे अन्न के आयात की मात्रा बहुत बड़ी तादाद में बढ़ गई है उसको हम कम कर सकते हैं। मुझे यह कहते हर्ष हो रहा है कि मध्य प्रदेश शासन ने जंगल विभाग से लगभग 4 लाख एकड़ जमीन अलग से निकाली है और उन्होंने आदिवासी और शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों में जमीन के वितरण करने का एक नया ढंग निकाला है। तो मध्य प्रदेश का शासन इस काम के लिये बधाई का पात्र है। दूसरे स्टेटों को भी चाहिये कि इस प्रकार की जमीन, चाहे वह जंगल विभाग की हो या सीलिंग द्वारा निकाली गई हो, चाहे परती जमीन हो जिस पर खेती नहीं की गई हो उसको निकाल कर जो छोटे किसान शिड्यूल्ड कास्ट के हैं उनमें और आदिवासियों में वितरित करें तो इससे हमारी अन्न की समस्या बहुत कुछ हल हो सकती है।

दूसरी बात रिपोर्ट में मैंने पाई कि शिक्षा विभाग के द्वारा होस्टल आदि की व्यवस्था आदिवासियों को और शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को दी गई है। मैंने रिपोर्ट में देखा कि शिड्यूल्ड कास्ट के नाम से 1963-64 के बजट में मध्य प्रदेश में होस्टल के लिये बिलकुल ही व्यवस्था नहीं की गई है जब कि मैंने दूसरे प्रदेशों में पाया क आन्ध्र प्रदेश को 55 लाख

of the Commissioner for and Scheduled Tribes

30 हजार रुपये का प्रावधान तृतीय पंचवर्षीय योजना में होस्टल के लिये रखा गया, बिहार के लिये 37 लाख रुपये, गुजरात के लिये साढ़े 7 लाख रुपये, केरल के लिये 14 लाख 40 हजार रुपये, मद्रास के लिये 20 लाख रुपये, महाराष्ट्र प्रान्त के लिये 53 लाख 20 हजार रुपये, मैसूर के लिये 90 लाख 71 हजार रुपये, उड़ीसा के लिये 32 लाख 65 हजार रुपया और उत्तर प्रदेश के लिये 50 लाख रुपया रखा गया है। इस प्रकार का वितरण तृतीय पंचवर्षीय योजना के बजट में किया गया, परन्तु मध्य प्रदेश में होस्टल के नाम पर बिलकुल ही व्यवस्था नहीं की गई है। इसलिये मैं शासन से अनुरोध करूंगा कि यह जो चौथी पंचवर्षीय योजना हमारी आ रही है उसमें मध्य प्रदेश को भी ध्यान में रखा जाय। क्या कारण है कि मध्य प्रदेश को इसके लिये रकम नहीं मिली? या तो हो सकता है मध्य प्रदेश शासन ने इस पर कोई मांग नहीं की या जो मध्य प्रदेश शासन को अपना हिस्सा देना चाहिये था वह हिस्सा देने में असमर्थ हुआ, इसलिये नहीं मिली। इस विषय पर शासन ध्यान रखे और अधिक से अधिक रकम इस मद में रखने के लिये आगे की व्यवस्था की जाय।

आदिवासियों के लिये शिक्षा को अधिक ऊंचे स्तर पर लाने के लिये होस्टलों और छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई है। शिड्यूल्ड कास्ट के लिये शिक्षा प्रसार के वास्ते होस्टल, छात्रवृत्ति आदि की व्यवस्था में मैंने देखा कि कम्यूनिटी होस्टल का एक प्रावधान है। कम्यूनिटी होस्टल में शिड्यूल्ड कास्ट और गैर-शिड्यूल्ड कास्ट के विद्यार्थी रखे जाते हैं, उनके साथ भोजन की व्यवस्था और छात्रवृत्ति की व्यवस्था उन विद्यार्थियों को है। अभी हमारे पूर्व वक्ता माननीय वर्मा जी ने बताया कि कम्यूनिटी होस्टल की व्यवस्था शासन की तरफ से उन्हीं स्थानों में की गई है जहां एक विशेष वर्ग के लोग रहते हैं और उसकी सुविधा उन्हीं लोगों को दी जाती है—उस वर्ग का नाम भी उन्होंने बताया—मैं कहूंगा मध्य प्रदेश में जितने भी छात्रावास हैं, चाहे वे कम्यूनिटी होस्टल हों या जनरल होस्टल हों, जहां शिड्यूल्ड कास्ट के विद्यार्थी रखे जाते हैं, वे किसी वर्ग विशेष सीमा के अंदर नहीं हैं। मध्य प्रदेश के सभी कोनों में जायं उनकी तादाद के अनुसार होस्टल की व्यवस्था की गई है। न शासन की दृष्टि से, न जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं, जिन्होंने कम्यूनिटी होस्टल आदि की व्यवस्था की है उनके मन में यह भावना है कि किसी वर्ग विशेष के लिये इस तरह की व्यवस्था हो। मैं मध्य प्रदेश से आता हूं।

श्री निरंजन वर्मा : विदिशा में केवल चमारों के लिये पहले रखा गया था। अब मुशकिल से हुआ है।

श्री दयाल दास कुरे : शासन की ओर से कोई जाति विशेष को लेकर ऐसी रचना किसी प्रकार से नहीं की जाती। वह तो एक सामूहिक भावना से सारे लोग उसमें स्थान रखते हैं। उसी भावना से शासन ने होस्टल्स आदि की स्थापना की है। इस संबंध में मेरा एक नम्र सुझाव है कि जिस प्रकार कम्यूनिटी होस्टल में 75 प्रतिशत विद्यार्थी शिड्यूल्ड कास्ट के और 25 प्रतिशत विद्यार्थी गैर शिड्यूल्ड कास्ट के रखे जाते हैं, जिन्हें छात्रवृत्तियां दी जाती हैं, उसी प्रकार गैर शिड्यूल्ड कास्ट होस्टल्स में शिड्यूल्ड कास्ट विद्यार्थियों के लिये स्थान रखे जायं और उनके अंतर्गत उसकी सीमा पूरी की जाये। यह मेरा नम्र सुझाव है।

केन्द्रीय शासन की तरफ से कुछ सर्विसेज की भी यहां पर रिपोर्ट में चर्चा की गई है और उसमें यह बताया है कि केन्द्रीय शासन की ओर से शिड्यूल्ड कास्ट के उम्मीदवारों को उचित स्थान शासन द्वारा शासकीय नौकरियों में दिया गया है। उनमें से एक आंकड़ा मैं यहां पर दे रहा हूं जो मैंने उस रिपोर्ट में पाया :

कामर्स एन्ड इन्डस्ट्री : यह 1963-64 की रिपोर्ट में है, इसमें फर्स्ट क्लास में 188

[श्री दयाल दास कुर्रे]

पोस्ट्स में से केवल 4 शिड्यूल्ड कास्ट के उम्मीदवारों को मिली, एक्सटर्नल अफेयर्स में 415 फर्स्ट क्लास के पोस्ट्स थे उसमें केवल 4 शिड्यूल्ड कास्ट को और दो शिड्यूल्ड ट्राइब्स को स्थान प्राप्त हुए हैं, फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट में 614 पोस्ट्स में से 4 शिड्यूल्ड कास्ट को और शिड्यूल्ड ट्राइब को एक भी नहीं मिला। फूड एण्ड एग्रिकल्चर में 213 पोस्ट्स फर्स्ट क्लास के थे जिसमें से शिड्यूल्ड कास्ट का केवल एक उम्मीदवार लिया गया, रेलवे में 2,193 पोस्ट्स फर्स्ट क्लास के थे जिसमें से केवल 29 पोस्ट्स शिड्यूल्ड कास्ट को और 3 शिड्यूल्ड ट्राइब्स को मिले, ट्रान्सपोर्ट एन्ड कम्यूनिकेशन्स में 293 पोस्ट्स में केवल 3 शिड्यूल्ड कास्ट के लिये गये और शिड्यूल्ड ट्राइब्स वाले को एक भी नहीं मिल पाया।

इसी प्रकार के और भी महकमों के बारे में रिपोर्ट में चर्चा की गई है। अब हम देखें तो जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता ने बताया कि भारत में 15 प्रतिशत शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों की संख्या है इसलिये 15 प्रतिशत स्थान सरकारी नौकरियों में, चाहे वे फर्स्ट क्लास की सर्विसेज हों या सेकेन्ड या थर्ड क्लास की हों, सुरक्षित होने चाहियें, पर इस रिपोर्ट से ऐसा लगता है कि एक प्रतिशत भी उनके जो सुरक्षित स्थान रखे गये हैं उनमें जो पूर्ति होनी चाहिये वह भी नहीं हो पा रही है। अपने प्रस्तावना भाषण में माननीया डिपुटी मिनिस्टर महोदया ने प्रकाश डाला है कि एक प्रतिशत भी उनकी संख्या जो सुरक्षित स्थानों में पूरी होनी चाहिये वह नहीं हो पायी है, तो शासन का ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करूंगा कि उन्नीसवां वर्ष हमारी स्वतंत्रता का चल रहा है, हमारे संविधान में भी इसका पूरा ध्यान रखा गया है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स एन्ड अदर बैकवर्ड क्लासेज के लोगों की जो पोस्ट होनी चाहियें उसमें पूर्ण स्थानों को भरने की कोशिश की जाय। इस रिपोर्ट में एक स्थान पर गृह मंत्रालय का एक आदेश है, वह भी मने देखा, और उसमें स्पष्ट है कि यदि "सूटेबल" केन्डीडैट्स एक बार में नहीं मिलते हैं, पहली साल तो उसे दूसरे वर्ष के लिये भी रखा जाय। इसमें लिखा है :

"Even in the case of temporary posts, the prior permission of **the** Ministry of Home Affairs should be obtained before filling up a reserved post by a non-Scheduled Caste or non-Scheduled Tribe candidate."

This is the first order.

इसके 2 मई, 1963 को दूसरा आर्डर निकाला गया जो इस प्रकार है :

2nd May, 1963 :—

"It will be observed that all the vacancies treated as unreserved in the old roster are to be brought forward into the new roster, so that none of the vacancies previously reserved for the Scheduled Caste and Scheduled Tribe are lost. As in the past, reserved vacancies, which have to be treated as unreserved for want of Scheduled Caste or Scheduled Tribe candidates, will have to be carried forward to two recruitment years."

तो इस तरह की पोजीशन है और जो यह आदेश है उससे स्पष्ट हो जाता है कि जिन स्थानों की पूर्ति नहीं हुई है, या अच्छे उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, उनके लिए दूसरे वर्ष भी ठहरा जाय। यह बात रिपोर्ट में बिल्कुल साफ है मगर इसकी अवहेलना की गई है और यह बात आंकड़े भी साफ बतला रहे हैं कि शासन की तरफ से इस बात की अवहेलना की गई है। मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि शासन को इस ओर ध्यान देना चाहिये और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जिसके अधीन शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का भाग्य आधारित है, उसको दूसरे विभागों को यह आदेश देना चाहियें कि इस तरह की खामियों को दूर करें।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI TARA RAMCHANDRA SATHE) : There is a long list of speakers. Nobody should take more than ten minutes.

श्री दयाल दास कुरे : अब मैं पंचायत के सिलसिले में एक शब्द कहना चाहता हूं। जिस प्रकार पार्लियामेंट और विधान सभाओं में इन लोगों के लिए सुरक्षित स्थान रखे गय हैं, उसी प्रकार पूरे देश में जहां जहां पंचायतें हैं, जहां निर्माण होने जा रही हैं, वहां पर इन लोगों के लिए सुरक्षित स्थान रखे जाने चाहिये। अगर इस तरह का प्रबन्ध कर दिया गया तो इस जाति के लोग अब इन पंचायतों में जायेंगे तो वहां पर अपनी बातों को अच्छी तरह से रख सकेंगे।

हमने इस रिपोर्ट में देखा है कि अलग अलग प्रदेश में तरह तरह के प्रतिनिधि इन जाति के लोगों के हैं। कहीं पर नामजद किये जाते हैं, अगर पूरी पंचायत में 20 प्रतिनिधि हैं तो शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के एक या दो प्रतिनिधि लिये जाते हैं। मध्य प्रदेश के पंचायत के बारे में मैं यह कहूंगा कि वहां की पंचायतें अनुकरणीय हैं। वहां की पंचायत का जो संविधान बना हुआ है उसमें इस ओर विशेष ध्यान दिया गया है कि प्रत्येक गांव में, प्रत्येक पंचायत में जिनका निर्माण होने जा रहा है उसमें शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए एक अलग एरिया घोषित है, वहां पर अलग निर्वाचन क्षेत्र बने हुए हैं और इन जातियों के लोगों की संख्या के अनुसार उनके प्रतिनिधि लिये जाते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश का जो पंचायत ऐक्ट है वह काफी अनुकरणीय है और दूसरे प्रदेशों को उसकी नकल करनी चाहिये।

छात्रवृत्ति के संबंध में इस रिपार्ट में जो बात आई, उसके संबंध में मुझे एक ही बात कहनी है और वह यह है कि पोस्ट-ग्रेजुएटों को जो छात्रवृत्ति दी जाती है वह काफी प्रशंसा के योग्य है। पहले तो दो तीन हिस्सों में छात्रवृत्ति देने का अधिकार था मगर अब प्रान्तीय सरकार को इस बारे में अधिकार दे दिया गया है जिससे काफी सुविधा हो जायेगी। पोस्ट-ग्रेजुएटों को जो छात्रवृत्ति दी जाती है वह काफी संतोषजनक है।

एक बात और कहनी है और वह यह है कि मिडिल स्कूल और हाई स्कूल में जो लड़कियां पढ़ती हैं, विशेषकर शिड्यूल्ड कास्ट तथा शिड्यूल्ड ट्राइब्स की लड़कियां पढ़ती हैं, उन्हें ज्यादा छात्रवृत्ति दी जानी चाहिये और हर प्रदेश को इस ओर ध्यान देना चाहिये ताकि स्त्री शिक्षा और बालिकाओं की शिक्षा में विशेष तौर पर वृद्धि हो सके। मैं चाहता हूं कि प्रांतीय शासन इस ओर विशेष कदम उठायेंगे जिससे शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की लड़कियां देश की और दूसरी जातियों की लड़कियों के साथ शिक्षा के क्षेत्र में साथ-साथ कदम बढ़ा सकें।

شریمتی انیس قدوائی (اتر پردیش) : میڈم وائس چیرمین — شیڈولڈ کاسٹ، شیڈولڈ ٹرائبس اور ہریجنوں کا جو مسئلہ ہے وہ ہمارے ہندوستان کے لئے سب سے زیادہ شرمناک مسئلہ ہے یہ جو مسئلہ ہے یہ نیا مسئلہ نہیں ہے بلکہ بہت پرانا ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری حکومت نہ اب تک اس پرابلم کو حل کر سکی ہے - اور نہ وہ اس میں پوری طرح سے کامیاب ہو سکی ہے - ابھی مسرا جی نے کہا کہ یہ کام صرف حکومت کا ہے کہ وہ ان نوٹوں کو آگے بڑھاوے - ان کو اوپر اٹھانے کی کوشش کرے اور ان کے تمام معاملوں کو طے کرے

ی رہنے والی ہوں اور مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ جتنی بھی پچھڑی جاتیاں ہیں ان کے ساتھ کسی نہ کسی شکل میں اور کسی نہ کسی روپ میں چھوا چھوت برتی جاتی ہے - جو لوگ اس کے خلاف پرچار کرتے تھے - جو اس کے لئے موو منٹ چلاتے تھے جو گاؤں میں جا کر یہ پروپیگنڈا کرتے تھے کہ یہ چیز بری ہے آج وہ لوگ خود چھوت چھات برتتے ہیں اور ان لوگوں کو نیچ سمجھتے ہیں سن ۱۹۶۲ میں سن ۶۲ کے الیکشن میں مجھے لوک سبھا کے ایک ممبر کے ساتھ گاؤں میں جانے کا اتفاق ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ لوک سبھا کے جو امیدوار تھے وہ برھمن تھے اور دوسرے اسمبلی کے کنڈیڈیٹ تھے وہ ہریجن تھے - تو ہم سب لوگوں کو ایک جگہ دعوت دی گئی اور میز پر کھانا لگایا گیا مگر اس ہریجن کے لئے زمین پر کھانا رکھا گیا جب براھمن کنڈیڈیٹ اس پر ناراض ہوا کہ ان کے لئے کھانا زمین پر کیوں لگایا گیا تب دوسری میز پر ایک پتل میں ان کے لئے کھانا رکھ دیا گیا - تو اس طرح کی باتیں گاؤں میں چلتی ہیں اور سب پردیشوں میں چلتی ہیں - بہار میں بھی اس طرح کا برتاؤ ہوتا ہوگا -

श्री शीलभद्र याजी : आपने इसकी शिकायत क्यों नहीं की और उसको कांग्रेस से क्यों नहीं निकाला ?

[شریمتی انیس قدوائی]

لیکن مجھے ذرا ان سے اس معاملہ میں اختلاف ہے - میں یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ شیڈولڈ کاسٹ ہوں یا ہریجن ہوں یا پچھڑی جاتی والے لوگ ہوں ان کے جتنے بھی معاملے ہیں یہ سب ہمارے سماجی مسئلے ہیں اور اس پر ہزاروں برس گذر چکے ہیں مگر ابھی تک طے نہیں ہو سکے - دنیا کے کسی ملک میں اسطرح ایک بہت بڑی کمیونیٹی یا ایک بہت بڑے گروہ کو ایسا ذلیل نہیں کیا گیا ہے جس طرح ہمارے ملک میں کیا گیا ہے - یہ اتنی شرمناک چیز ہے کہ یہ جتنی جلدی ختم ہو اتنا اچھا ہے - سب سے پہلے گاندھی جی نے اس کے خلاف اپنی پوری آواز اٹھائی تھی یا اس سے پہلے آریہ سماج کے نیتاؤں نے کوشش کی تھی سکھ گورو نے کوشش کی تھی لیکن جو کچھ بھی انہوں نے کیا تھا وہ مذہب کے بہانہ سے کیا تھا لیکن باپو نے ان لوگوں کا معاملہ اس بنا پر نہیں اٹھایا - انہوں نے لوگوں کا دھیان اس طرف کھینچا کہ تمہاری ہی طرح کے وہ انسان جن کے آنکھ، ناک، کان ہیں تم نے ان کو اتنی بری حالت میں ڈال رکھا ہے وہ برابری کے مستحق ہیں - ابھی ایک صاحب نے کہا کہ پیشہ کے لحاظ سے صرف بھنگی اور بسوڑ ہیں جن کے خلاف چھوا چھوت برتی جاتی ہے اور باقی لوگوں کے لئے نہیں - میں تو یو - پی - کے دیہات

انکی طرف توجه نہیں کرتیں کہ نوکریوں میں شیڈولڈ کاسٹ اور شیڈولڈ ٹرائبس کے لوگوں کو جگہ دی جانی چاهئے لیکن میں عرض کرنا چاهتی هوں که مرکزی سرکار کو اسٹیٹ گورنمنٹس کی توجه اس طرف دلانی چاهئے ۔

وہ اگر چاهیں تو برابری کا رتبه ان کو دے سکتی هیں ۔ پرانے زمیندار بادشاہ یا جاگیردار لوگ چمر ٹولے بنوایا کرتے تھے آج هم نے ماڈرن قسم کے چماروں کے ٹولے هریجن بستی کے نام سے بنا دئے هیں ۔ تو کیا وجهه هے که ان کے لئے ایک الگ ایریا مخصوص کیا جائے ان کے لئے الگ مکان بنوائے جائیں اور ان کو مجبور کیا جائے که تم کو کنٹریبیوشن دیا جائے گا ۔ تم اس ایریا میں جا کر مکان بناؤ ۔ جہاں وہ رہ رهے هیں یا جس جگه وہ مکان بنانا چاهتے هیں یا جس گاؤں میں وہ رہ رهے هیں اس میں اگر کہیں کوئی زمین بکتی هو تو اس کو خریدنے کا اور اس میں مکان بنانے کا ان کو ادهیکار هونا چاهئے ۔ اس طرح جہاں وہ مکان بنانا چاهیں وهاں ان کو مکان بنانے کا حق هو جیسا که عام آدمی کے لئے مکان بنانے کا حق هوتا هے ۔ آج جب ان کو حق دینے کے لئے یه گورنمنٹ هی تیار نہیں هے تو پھر کمشنر کی رپورٹ پر کچھ اعتراض کرنا بےکار هے۔

شریمتی انیس قدوائی : کوئی کانگریس سے نہیں نکالا جاتا ۔ کانگریس کے اندر بھی یه چیز موجود هے۔ یه چیز آپ کے دماغوں میں بسی هوئی هے که هم اونچی ذات کے لوگ هیں اور جب تک یه رهے گی اس وقت تک یه مسئله حل نہیں هوگا ۔ اس کا ایک هی طریقه هے اور وہ یه هے که گورنمنٹ کو چاهئے که وہ جاتی کا لکھنا ختم کرا دے نه پھر یہاں کوئی مسرا هو نه کوئی شرما هو نه کوئی ماتھر هو نه کوئی هندو هو یا مسلمان هو سب کو اپنی جاتی کا نام لکھنا منع کر دیں اس طرح سے شائد اس چیز کو ختم کیا جا سکتا هے ۔ آخر میں پہچان کیلئے باپ کا نام جوڑ دیجئے ۔ آج کل جو فارموں پر چھپا هوتا هے که فلاں کا بیٹا هے یہی باقی رهے اور فلاں جاتی کا هے یه سب ختم هو جانا چاهئے ۔

श्री निरंजन वर्मा : अब तो जाति लिखना बंद हो गया है।

شریمتی انیس قدوائی : اگر جاتی لکھنا بند هو گیا تو پھر یه مسرا اور شرما کیوں لکھا جا رها هے ؟ جہاں تک مجھے معلوم هے یه چیز اب بھی چالو هے لیکن میرا جو کہنا هے وہ یه هے که اس چیز کو ختم کیا جانا چاهئے ۔ کمشنر صاحب برابر توجه دلاتے هیں که اسٹیٹ گورنمنٹ نے اس کی سفارش کی ۔

پیشہ کے بعد نہا دھو کر ہاتھ صاف کرکے آ جائیں اور دوسرے آدمیوں کے برابر رہ سکیں ۔ کیا وہ خود اس حالت سے نہیں نکلنا چاہتے ہیں ۔ میں ایک واقعہ آپ کو بتاؤں ۔ پچھلی مرتبہ میں یکبارگی اپنے گاؤں پہنچ گئی اور مجھے معلوم ہوا کہ وہاں کوئی ہریجن سمیلن ہونے والا ہے ۔ میں نے کہا کہ کیا بات ہو گئی ۔ تو انہوں نے بتایا کہ کوئی جھگڑا ہو گیا تھا اس لئے انہوں نے سمیلن بلایا ہے ۔ اس سمیلن سے ایک دن پہلے میں نے ان لوگوں کو بلایا اور پوچھا کہ کیا تم کو کوئی شکایت ہوئی جس کی وجہہ سے تم نے سمیلن بلایا ہے ۔ انہوں نے بتایا کہ بات یہ ہے کہ ہم اس نائی کے یہاں حجامت بنوانے کے لئے گئے تو اس نے کہا جیسے پہلے ہم تمہاری حجامت تمہارے محلہ میں آ کر رات میں بناتے تھے ویسے ہی بنائینگے لیکن دن میں نہیں بنائینگے ورنہ اونچی ذات کے لوگ ہمارے یہاں بال بنوانا چھوڑ دینگے ۔ تو میں نے کہا کہ میں ابھی اس مسئلہ کو طے کر دیتی ہوں ۔ تم جا کر پانچ اونچی ذات کے ہندوؤں کو لے آؤ ۔ پانچ ہریجنوں کو لے آؤ اور میں پانچ مسلمانوں کو پکڑ کر لے آتی ہوں اور اس طرح ایک ہی استرے سے سب کی داڑھی مونچھوں کی صفائی کرائے دیتے ہیں اور اس کے بعد امید ہے تم لوگوں کو کوئی شکایت نہیں

[شریمتی انیس قدوائی]

ایک بات مجھے اور کہنی ہے ۔ لوگ گورنمنٹ کو الزام دے لیں یا اپوزیشن پارٹیاں کانگریس پارٹی کو الزام دے لیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس معاملہ میں ہم سب مجرم ہیں ۔ ان کروڑوں انسانوں کو کبھی برابری کا رتبہ دیا نہیں اور نہ آج ہی دینے کے لئے تیار ہیں ۔ اس کے لئے کسی حد تک وہ لوگ خود بھی قصوروار ہیں ۔ انہوں نے اپنے رہن سہن کا معیار کبھی اونچا نہیں کیا ۔ انہوں نے اپنے کو اس قابل کبھی نہیں بتایا کہ جس طرح سے سارے لوگ رہتے سہتے ہیں اسی طرح سے وہ بھی رہ سکیں اور کبھی پیشہ کی بات نہ کی جائے ۔ اس سلسلہ میں آپ کو میں ایک واقعہ بتا دوں جب میں سعودی عربیہ ، سیریا اور لبنان گئی تھی تو وہاں میں نے دیکھا کہ غسل‌خانہ صاف کرنے والے ، لیٹرین صاف کرنے والے آتے ہیں باہر آواز لگاتے ہیں ۔ لوگ ان کو پیسہ دیتے ہیں اور لیٹرین وغیرہ صاف کرا لیتے ہیں ۔ اس طرح غسل‌خانے صاف ہو جاتے ہیں، مکان صاف ہو جاتے ہیں کپڑے دھل جاتے ہیں ۔ اس کے بعد وہ نہا دھو کر ہمارے ساتھ کرسیوں پر آ کر بیٹھ جاتے تھے لوگوں سے ہاتھ ملاتے تھے اور مسجد میں جا کر نماز پڑھتے تھے ۔ آخر دوسرے ملکوں میں جب ایسا ہوتا ہے تو ہمارے یہاں کیوں نہیں ہو سکتا کہ وہ اس

طرح سے عام لوگ رہتے ہیں اس طرح سے نہیں رہینگے تب تک کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا - اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے سے مل جل کر کام کریں - اور دعائیں مانگ کر الگ ٹولی بنانے کی کوشش نہ کریں -

جہاں تک اس کمیشن کی رپورٹ کا سوال ہے اور حکومت کے کچھ کرنے کا سوال ہے حکومت جو کچھ کر رہی ہے اس میں جتنی بھی کمیاں ہیں ان کو حکومت کو دور کرنا چاہئے - بےشک ایجوکیشن کے معاملہ میں حکومت نے بہت اچھی طرح سے کام کیا ہے اور میں سوچتی ہوں کہ اور اس سے زیادہ ان کے واسطے ہونا چاہئے - کیوں کہ اس پچھڑی ہوئی قوم کے لئے جتنا بھی ہم اس کو آگے بڑھانے کے لئے بندوبست کر سکیں اتنا ہی اچھا ہے -

ان چند الفاظ کے ساتھ میں آپ سے معافی مانگتی ہوں کیوں کہ میں نے کچھ ایسی چیزیں کہدی ہیں جو لوگوں کو ناگوار معلوم ہوئی ہیں لیکن اس کے باوجود میں سوچتی ہوں کہ یہ معاملہ ہمیں حل کرنا ہے - اگر ہم کو ہندوستان کو آگے بڑھانا ہے - تو سب کو ایک سطح پر لانا ہوگا -

†[**श्रीमती अनीस क़िदवई** (उत्तर प्रदेश) : मैडम वाइस चेयरमैन, शिड्यूल्ड कास्ट,

†[ ] Hindi transliteration.

رہیگی - وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم بالکل تیار ہیں لیکن یقین مانئے ان کو پانچ اونچی ذات کے لوگ نہیں ملے - میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پانچ ہریجن بھی اس کے لئے تیار نہیں ہوئے - نتیجہ یہ ہوا کہ سمیلن ہوا اور انہوں نے جو جو مانگیں رکھیں ہم نے ان ساری مانگوں کو پورا کیا - لوگوں سے ہم نے کہا کہ بھائی اس معاملہ میں آپ لوگ ذرا رواداری برتئے - حالت یہ ہے کہ ہر گاؤں کا ایک پرانا دستور چلا آ رہا ہے اور اس دستور کو ہم لوگ نہ تو توڑنے کے لئے تیار ہیں نہ ہریجن اس کو توڑتے ہیں نہ اونچی ذات والے توڑتے ہیں - اس لئے جب تک ایک موومنٹ نہیں چلیگا جب تک ہم پوری طرح سے اس کے لئے تیار نہیں ہونگے تب تک اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا - اگر آپ کا راجدوت بن کر کوئی ہریجن چلا گیا یا آپ نے کوئی گورنر ہریجن بنا دیا یا کوئی آفیسر ہریجن بن گیا تو اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا - ہریجنوں کو یہ مانگنا چاہئے کہ ان کو برابر کا رتبہ ملے - لیکن وہ خود اس کو مانگنے کے لئے تیار نہیں ہیں یہ مجھے ان سے شکایت ہے - جب تک وہ اور انسانوں کی طرح رہنا نہیں سیکھینگے جب تک وہ اپنے رہن سہن میں اپنے عادات و اطوار میں اپنے طریقہ میں تبدیلی کرکے جس

[श्रीमती अनीस क़िदवई]

शिड्यूल्ड ट्राइब्स और हरिजनों का मामला हमारे हिन्दुस्तान के लिए सबसे ज्यादा शर्मनाक मसला है। यह नया मसला नहीं है बल्कि बहुत पुराना है लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी हुकूमत न अब तक इस प्राब्लम को हल कर सकी है और न वह इसमें पूरी तरह से कामयाब हो सकी है। मिश्र जी ने कहा कि यह काम सिर्फ हुकूमत का है कि वह उन लोगों को आगे बढ़ावे। उनको ऊपर उठाने की कोशिश करे और उनके तमाम मामलों को तै करे लेकिन मुझे ज़रा उनसे इस मामले में अख्तलाफ है। मैं यह अर्ज़ करना चाहती हूं कि शिड्यूल्ड कास्ट हों या हरिजन या पिछड़ी जाती वाले लोग हों उनके जितने भी मामले हैं यह सब हमारे समाजी मसले हैं और उस पर हज़ारों बरस गुजर चुके हैं मगर अभी तक तै नहीं हो सके। दुनिया के किसी मुल्क में इस तरह एक बहुत बड़ी कम्यूनिटी या एक बहुत बड़े गिरोह को ऐसा ज़लील नहीं किया गया है जिस तरह हमारे मुल्क में किया गया है। यह इतनी शर्मनाक चीज़ है कि जितनी जल्दी खत्म हो उतना अच्छा है। सब से पहले गांधी जी ने इसके ख़िलाफ अपनी पूरी आवाज़ उठाई थी। इससे पहले आर्य समाज के नेताओं ने कोशिश की थी, सिख गुरू ने कोशिश की थी लेकिन जो कुछ भी उन्होंने किया था वह मज़हब के बहाने किया था लेकिन बापू ने उन लोगों का मामला इस बिना पर नहीं उठाया। उन्होंने लोगों का ध्यान इस तरफ खेंचा कि तुम्हारी ही तरह के वह इन्सान जिन के आंख, नाक, कान हैं तुमने उनको इतनी बुरी हालत में डाल रखा है, वे बराबरी के मुस्तहक हैं। अभी एक साहब ने कहा कि पेशे के लिहाज़ से सिर्फ़ भंगी और बसौढ़ हैं जिनके खिलाफ छुआछूत बरती जाती है और बाकी लोगों के लिए नहीं। मैं तो यू० पी० के देहात के रहने वाली हूं और मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि जितनी भी पिछड़ी जातियां हैं उनके साथ किसी न किसी शक्ल में और किसी न किसी रूप में छुआछूत बरती जाती है। जो लोग इस के खिलाफ प्रचार करते थे, जो उसके लिए मूवमेंट चलाते थे, जो गांव में जाकर यह प्रोपेगैंडा करते थे कि यह चीज़ बुरी है आज वे लोग खुद छूत-छात बरतते हैं और उन लोगों को नीच समझते हैं। सन् 62 के इलेक्शन में मुझे लोक सभा के एक मेम्बर के साथ गांव में जाने का इत्तेफाक हुआ था। मैंने देखा कि लोक सभा के जो उम्मीदवार थे वह ब्राह्मण थे और दूसरे एसेम्बली के जो कैन्डिडेट थे वह हरिजन थे। तो हम सब लोगों को एक जगह दावत दी गई और मेज पर खाना लगाया गया मगर उस हरिजन के लिए जमीन पर खाना रखा गया। जब ब्राह्मण कैंडिडेट इस पर नाराज़ हुआ कि उनके लिए खाना जमीन पर क्यों लगाया गया तब दूसरी मेज़ पर एक पत्तल में उनके लिए खाना रख दिया गया। तो इस तरह की बातें गांव में चलती हैं। और सब प्रदेशों में चलती हैं। बिहार में भी इस तरह का बर्ताव होता होगा।

श्री शीलभद्र याजी : आपने इसकी शिकायत क्यों नहीं की और उसको निकाला क्यों नहीं ?

श्रीमती अनीस क़िदवई : कोई कांग्रेस से नहीं निकाला जाता। कांग्रेस के अंदर भी यह चीज़ मौजूद है। यह चीज आपके दिमागों में बसी हुई है कि हम ऊंची ज़ात के लोग हैं और जब तक यह रहेगी उस वक्त तक यह मसला हल नहीं होगा। इस का एक ही तरीका है और वह यह है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वह जाति का लिखना खत्म करादे। न फिर यहां कोई मिश्रा हो, न कोई शर्मा हो, न कोई माथुर हो, न कोई हिन्दू हो या मुसलमान हो सबको अपनी जाति का नाम लिखना मना कर दें। इस तरह से शायद इस चीज को खत्म किया जा सकता है। आखिर में पहचान के लिए बाप का नाम जोड़ दीजिए आजकल जो फार्मों में छपा होता है कि फलां का बेटा है वह बाकी रहे और फलां जाति का है यह सब खत्म हो जाना चाहिए।

श्री निरंजन वर्मा : अब तो जाति लिखना बंद हो गया है।

श्रीमती अनीस क़िदवई : अगर जाति लिखना बन्द हो गया है तो फिर यह मिश्रा और शर्मा क्यों लिखा जा रहा है ? जहां तक मुझे मालूम है यह चीज़ अब भी चालू है लेकिन मेरा जो कहना है वह यह है कि इस चीज़ को खत्म किया जाना चाहिए। कमिश्नर साहब बराबर तवज्जो दिलाते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट उनकी सिफारिश की तरफ तवज्जो नहीं करतीं कि नौकरियों में शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को जगह दी जानी चाहिए। लेकिन मैं अर्ज़ करनी चाहती हूं कि मरकज़ी सरकार को स्टेट गवर्नमेंट्स की तवज्जो इस तरफ दिलानी चाहिए। वे अगर चाहें तो बराबरी का रुत्बा उनको दिलवा सकती हैं। पुराने जमींदार बादशाह या जागीरदार लोग चमर टोले बनवाया करते थे। आज हमने माडर्न किस्म के चमारों के टोले हरिजन बस्ती के नाम से बना दिये हैं तो क्या वजह है कि उनके लिए एक अलग एरिया मखसूस किया जाए, उनके लिए अलग मकान बनवाए जाएं और उनको मजबूर किया जाए कि तुमको कन्ट्रीब्यूशन दिया जाएगा तुम इस एरिया में जाकर मकान बनाओ। जहां वह रह रहे हैं या जिस जगह वह मकान बनाना चाहते हैं या जिस गांव में वह रह रहे हैं, इसमें अगर कहीं कोई जमीन बिकती हो तो उसको खरीदने का और उसमें मकान बनाने का उनको अधिकार होना चाहिए। इस तरह जहां वह मकान बनाना चाहें वहां उनको मकान बनाने का हक हो जैसा कि आम आदमी के लिए मकान बनाने का हक होता है। यह आज जब उनको यह हक देने के लिए यह गवर्नमेंट ही तैयार नहीं है तो फिर कमिश्नर की रिपोर्ट पर कुछ एतराज करना बेकार है।

एक बात मुझे और कहनी है। लोग गवर्नमेंट को इल्जाम दे लें या अपोजीशन पार्टियां पार्टी कांग्रेस को इल्जाम दे लें लेकिन वाक्या यह है कि इस मामले में हम सब मुजरिम हैं। हमने इन करोड़ों इन्सानों को कभी बराबरी का रुत्बा दिया नहीं और न आज ही देने के लिए तैयार हैं। उसके लिए किसी हद तक वे लोग खुद भी कसूरवार हैं। उन्होंने अपने रहन सहन का मयार कभी ऊंचा नहीं किया, उन्होंने अपने को इस काबिल कभी नहीं बताया कि जिस तरह से सारे लोग रहते सहते हैं उसी तरह से वे लोग भी रह सकें और कभी पेशा की बात न की जाए। इस सिलसिले में आपको मैं एक वाक्या बता दूं जब मैं सऊदी अरब, सीरिया और लेबनान गई थी तो वहां मैंने देखा कि गुसलखाना साफ करने वाले, लेट्रीन साफ करने वाले आते हैं, बाहर आवाज लगाते हैं। लोग उनको पैसा देते हैं और लेट्रीन वगैरह साफ करा लेते हैं। इस तरह गुसलखाने साफ हो जाते हैं, मकान साफ हो जाते हैं, कपड़े धुल जाते हैं। इसके बाद वह नहा धो कर हमारे साथ कुर्सियों पर आकर बैठ जाते थे, लोगों से हाथ मिलाते थे और मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते थे। आखिर दूसरे मुल्कों में जब ऐसा होता है तो हमारे यहां क्यों नहीं हो सकता कि वे इस पेशे के बाद नहा धोकर हाथ साफ करके आ जाएं और दूसरे आदमियों के बराबर रह सकें। क्या वह खुद इस हालत से नहीं निकलना चाहते हैं ? मैं एक वाक्या आपको बताऊं। पिछली मर्तबा मैं यकबारगी अपने गांव पहुंच गई और मुझे मालूम हुआ कि वहां कोई हरिजन सम्मेलन होने वाला है। मैंने कहा कि क्या बात हो गई। तो उन्होंने बताया कि कोई झगड़ा हो गया था इस लिए उन्होंने सम्मेलन बुलाया है। इस सम्मेलन से एक दिन पहले मैंने उन लोगों को बुलाया और पूछा कि क्या तुमको कोई शिकायत हुई जिसकी वजह से तुमने सम्मेलन बुलाया है। उन्होंने बताया कि बात यह है कि हम उस नाई के यहां हजामत बनवाने के लिए गये तो उसने कहा जैसे पहले हम तुम्हारी हजामत तुम्हारे मुहल्ले में आकर रात में बनाते थे वैसे ही बनाएंगे

[श्रीमती अनीस क़िदवई]

लेकिन दिन में नहीं बनाएंगे वरना ऊंची ज़ात के लोग हमारे यहां बाल बनवाना छोड़ देंगे। तो मैंने कहा कि मैं अभी इस मसले को तै कर देती हूं। तुम जाकर पांच ऊंची ज़ात के हिन्दुओं को ले आओ, पांच हरिजनों को ले आओ और मैं पांच मुसलमानों को पकड़ कर ले आती हूं और इस तरह एक ही उस्तरे से सबकी दाढ़ी मूंछों की सफाई कराए देते हैं और इसके बाद उम्मीद है तुम लोगों को कोई शिकायत नहीं रहेगी। वे लोग कहने लगे कि हम बिल्कुल तैयार हैं लेकिन यकीन मानिए उनको पांच ऊंची ज़ात के लोग नहीं मिले। मैं आपको यह भी बता दूं कि पांच हरिजन भी उसके लिए तैयार नहीं हुए। नतीजा यह हुआ कि सम्मेलन हुआ और उन्होंने जो जो मांगें रखीं हमने उन सारी मांगों को पूरा किया। लोगों से हमने कहा कि भाई इस मामले में आप लोग ज़रा रवादारी बरतिए। हालत यह है कि हर गांव का एक पुराना दस्तूर चला आ रहा है और उस दस्तूर को हम लोग न तो तोड़ने के लिए तैयार हैं, न हरिजन उसको तोड़ते हैं, न ऊंची ज़ात वाले तोड़ते हैं। इस लिए जब तक एक मूवमेंट नहीं चलेगा, जब तक हम पूरी तरह से इसके लिए तैयार नहीं होंगे तब तक इससे कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपका राजदूत बन कर कोई हरिजन चला गया या आपने कोई गवर्नर हरिजन बना दिया या कोई आफिसर हरिजन बन गया तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। हरिजनों को यह मांगना चाहिए कि इनको बराबर का रुत्बा मिले। लेकिन वे खुद इसको मांगने के लिए तैयार नहीं हैं। मुझे उनसे शिकायत है जब तक वे और इंसानों की तरह रहना नहीं सीखेंगे, जब तक वे अपने रहन सहन में अपने आदात व अतवार में अपने तरीके में तबदीली करके जिस तरह से आम लोग रहते हैं उस तरह से नहीं रहेंगे तब तक कोई नतीजा नहीं निकलेगा। इसका तरीका यह है कि वह एक दूसरे से मिल जुल कर काम करें और दुआएं मांग कर अलग टोली बनाने की कोशिश न करें।

जहां तक इस कमीशन की रिपोर्ट का सवाल है हुकूमत जो कुछ कर रही है उसमें जितनी भी कमियां हैं उनको हुकूमत को दूर करना चाहिए। बेशक एजूकेशन के मामले में हुकूमत ने बहुत अच्छी तरह से काम किया है और मैं सोचती हूं कि और इससे ज्यादा उनके वास्ते होना चाहिए। क्योंकि इस पिछड़ी हुई कौम के लिए जितना भी हम उसको आगे बढ़ाने के लिए बन्दोबस्त कर सकें उतना ही अच्छा है।

इन चन्द अल्फाज़ के साथ मैं आपसे माफी मांगती हूं क्योंकि मैंने कुछ ऐसी चीजें कह दी हैं जो लोगों को नागवार मालूम हुई हैं लेकिन इसके बावजूद मैं सोचती हूं कि यह मामला हमें हल करना है। अगर हमको हिन्दुस्तान को आगे बढ़ाना है तो सबको एक सतह पर लाना होगा।]

श्री बी० एन० मंडल (बिहार) : मैडम, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की दशा को देखने के लिये जो कमिश्नर साहब बहाल हुये हैं और उनकी जो रिपोर्ट अभी हाउस के सामने है, उसको देखने पर उसमें कुछ चीजों को देख कर के मुझे बहुत दुख हुआ है। जो छात्रों का एनरोलमेंट होता है उसमें मद्रास राज्य में शिड्यूल्ड ट्राइब्स के छात्रों का नाम लिखने में 52.28 की कमी हुई है। उसी तरह से प्रोफेशनल एजुकेशन में जो कमी हुई है उसका भी मैं जिक्र कर देना चाहता हूं। आसाम में शिड्यूल्ड कास्ट्स के छात्रों की भर्ती में जो कमी हुई है वह 29.20 है, बिहार में 15.99 है, गुजरात में 51.53 है, केरल में 19.48 है, मध्य प्रदेश में 44.94 है, मद्रास में 12.30 है, मैसूर में 72.38 है, पश्चिमी बंगाल में 15.38 है। इसके अलावा शिड्यूल्ड ट्राइब्स की आसाम में 6.98 है, बिहार में 46.20, गुजरात में 95.13, मद्रास में 52.28, पश्चिमी बंगाल में 9.68 और पंजाब में 32.12 की कमी हुई है। इसका

मतलब यह होता है कि वहां की जो प्रांतीय सरकारें हैं, वे इसके बारे में उदासीन हैं और इसलिये इन छात्रों का जो स्कूलों में दाखिला होना चाहिये, वह दाखिला नहीं हो पाता है।

इसी तरह से जो एजुकेशन का एक्सपेंडीचर 1961-62 से ले कर के 1963-64 तक है, उसमें हमने देखा है कि थर्ड प्लान टार्गेट समूचे सेंटर, स्टेट्स और यूनियन टेरीटरीज को मिला कर के 19 करोड़, 56 लाख 23 हजार रुपये का प्रोविजन था, लेकिन एक्चुअल एक्सपेंडीचर हुआ है 11 करोड़, 55 लाख और एक हजार रुपये। यह तो हरिजनों के लिये है। शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये टार्गेट था 15 करोड़, 10 लाख, 99 हजार रुपया, लेकिन एक्चुअल एक्सपेंडीचर हुआ है 6 करोड़, 56 लाख, 68 हजार रुपया। इन आंकड़ों को देखने से ही मालूम पड़ जाता है कि चाहे वह केन्द्रीय सरकार हो, या राज्य की सरकारें हों या यूनियन टेरीटरीज की सरकारें हों इन सरकारों को जितनी दिलचस्पी के साथ इन लोगों के ऊपर ध्यान देना चाहिये था, उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसके कारण के बारे में तो मैं पीछे कहूंगा।

एक बात जो मैं इस हाउस में कहना चाहता हूं वह यह है कि कुछ प्रांतों ने और केन्द्रीय सरकार ने इस सिद्धांत को मान लिया है कि अब जो बैकवर्डनेस का क्राइटेरिया रहेगा, वह आर्थिक आधार रहेगा। मैं इसका विरोध करता हूं और इस लिये विरोध करता हूं कि बैकवर्डनेस में सिर्फ अगर आर्थिक आधार रहेगा तो जो संविधान की मंशा है कि समाज के जो कमजोर अंग हैं, उन अंगों को उठाया जाय, वह बात नहीं हो सकती है। क्योंकि हिन्दुस्तान जैसे मुल्क मे जहां जाति-प्रथा आज हजारों वर्ष से चली आ रही है, आर्थिक कमजोरी पर ही ध्यान न दें, सामाजिक और सांस्कृतिक कमजोरियों पर भी ध्यान दें—इस बात को ध्यान में रखते हुए नीति का निर्माण नहीं किया तो जो संविधान की मंशा है वह सरकारी कार्यवाही से सिद्ध नहीं हो सकती। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार फिर से इस बात पर गौर करे और बैकवर्डनेस की जो डेफिनीशन इन्होंने बनायी है उसके बजाय जो पुराना आधार था उसी को फिर से चालू करें।

शासन जो चलता है, उसकी कार्यवाही में जो गड़बड़ी होती है उस ओर भी हमारा ध्यान गया है। मेरे अपने जिले सहरसा में मुझे देखने को मिला है और समूचे देश के पैमाने पर यही बात है। जो शासनतंत्र चल रहा है उसको चलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने हजारों वर्षों से हिन्दुस्तान का शासन चलाया है। हिन्दू समाज के दो टुकड़े हुए—द्विज और शूद्र—जिसमें क्रमशः बड़ी और छोटी जाति के लोग हैं। उसका प्रभाव समाज के ऊपर गहरा पड़ा है। इसका प्रभाव पुराने समाज में यह हुआ कि जो शूद्र क्लास के लोग थे उनको राजकाज, समाज के इन्तजाम से वंचित कर दिया गया। और समाज के इन्तजाम से जो लोग वंचित रहते हैं वे सांस्कृतिक तरीके से और दूसरे तरीके से भी, जैसे राजनीतिक दृष्टि से भी पिछड़ जाते हैं। वे पिछड़ तो जाते ही हैं, उनके उठाने का जो उपाय होना चाहिए वह नहीं हो पाता क्योंकि समाज के इन्तजाम में उनका कोई हाथ नहीं रहता। इसलिए राजनीतिक क्षेत्र में या राज्य में उनको स्थान मिलना और यथेष्ट स्थान मिलना जरूरी है।

आज जो स्थिति हिन्दुस्तान में है उसमें ऐसे पिछड़े हुए लोग हैं जिनका शोषण शुरू से हुआ है, जैसे स्त्री। सेक्स के नाम पर स्त्री का शुरू से शोषण हुआ है और वह समाज में पिछड़ गई है। उसी तरह से जो आदिवासी हैं उनका शोषण शुरू से हुआ है, वे पिछड़ गए हैं। शिड्यूल्ड कास्ट के जो हरिजन हैं वे भी समाज के इन्तजाम से हजारों वर्ष से वंचित रखे गए हैं, वे भी पिछड़ गए और अभी भी समाज

[श्री बी० एन० मंडल]

के कमजोर अंग हैं। उसी तरह से जो बैकवर्ड क्लासेज हैं हिन्दुओं के, मुसलमानों के, जुलाहा, धुनिया वगैरह या क्रिश्चियन में भी जो नेटिव क्रिश्चियन हैं, छोटी जाति के क्रिश्चियन हैं—ऐसे लोग समाज के बहुत कमजोर अंग हैं। उनकी संख्या समाज में करीब-करीब 95 प्रतिशत है। पांच परसेंट ही लोग ऊंची जाति के हिन्दुस्तान में शासन चलाते हैं। ऊंची जाति के 5 परसेंट में से सिर्फ एक परसेंट जो अमीर और ऊंची जाति के हैं उन्हीं के हाथ में हिन्दुस्तान का शासन है। इसलिए हिन्दुस्तान का शासन एक संकुचित गिरोह की मनोवृत्ति के आधार पर चलाया जाता है जिसका नतीजा होता है कि राज्य की सारी कार्यवाही में एक कृपणता या संकीर्णता आ जाती है, एक गड़बड़ी आ जाती है। मेरे विचार में जो ब्राड-बेस्ड का इन्तजाम होना चाहिए, जो ब्राड-बेस्ड एक्सपीरिएन्स का आधार उसे मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पाता है। यही कारण है कि जो हमारी पंचवर्षीय योजना चलती है, उस पंचवर्षीय योजना के नीति निर्धारण या एक्जीक्यूशन में समाज का जो पिछड़ा अंग था उसको लाभ नहीं हो पाया जबकि प्लान का सारा बोझ उनके ऊपर चला गया और नफा दूसरे ही लोगों को हुआ है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज सरकार की जो भी कार्यवाही हो उस कार्यवाही में इस बात का ख्याल रखा जाय कि ऐसे लोग जिनका बराबर शोषण ही शोषण हुआ है उनके अनुभव को ही शासन का आधार बनाया जाय और उनके अनुभव को शासन का आधार बनाने के लिए जरूरी है कि शासन में उनका अनुपात जैसी कि उनकी संख्या 95 प्रतिशत है वैसा नहीं तो कम से कम 60 प्रतिशत जरूर होना चाहिए। इसलिए मेरा आग्रह सरकार से है कि अपनी सारी कार्यवाही में, चाहे वह प्लान हो या जो देश का इन्तजाम चल रहा है उस इन्तजाम के सिलसिले में इन बातों को सामने रख कर सारी पालिसी बनाए और उसको एक्जीक्यूट करे।

हमारा सहरसा जिला है। हमने देखा है कि वहां जो बड़ी जाति के अफसर जाते हैं एक गांव में जहां 99 आदमी छोटी जाति के हैं और एक बड़ी जाति का आदमी है तो वह अफसर के यहां जाता है और उससे अपनी गलत बात को करवा लेता है और 99 आदमियों को पेलता रहता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि शासन का आधार बदलना चाहिए। शासन के आधार बदलने के सिलसिले में मैंने सुझाव दिए हैं, उनके मुताबिक सरकार को काम करना चाहिए।

श्री महाबीर दास (बिहार) : मैडम, वाइस चेयरमैन, हरिजन और आदिवासियों के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट आज विचारार्थ है उसके सम्बन्ध में बहुत बातें कही गई हैं। मैं सरकार के कामों की सराहना करते हुए यह बताना चाहूंगा कि यद्यपि सरकार शेड्यूल्ड कास्ट की उन्नति के लिए बहुत कार्यवाहियां कर रही है, फिर भी कुछ और करने की जरूरत है।

अभी हमारे एक भाई ने ध्यान दिलाया है कि हरिजन जो हैं सिर्फ दो जाति के ऐसे हैं जिनके लिए छुआछूत है, बाकी हरिजन छुआछूत से बाहर हैं। मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं। उन्होंने आदिवासियों के सम्बन्ध में भी कुछ कहा है कि आदिवासी को बन या जंगली जाति कहना अच्छा है। मैं उनकी इस राय से सहमत नहीं हूं। बात यह है कि आदिवासी और हरिजन के सिलसिले में आप यह देखेंगे कि हरिजन समाज में आदिवासियों से ज्यादा पीछे हैं। इस पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए क्योंकि आदिवासियों को समाज में कहीं छुआछूत के भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ता, आदिवासी को कोई अछूत नहीं मानता जबकि आप देखेंगे कि हरिजन गरीब रहते हुए अछूत माने जाते हैं, लोग उनसे घृणा करते हैं, अछूत मानते हैं। इसलिए हरिजनों और आदिवासियों में यह फर्क है। आदिवासी स्वतंत्र रहते हैं पहाड़ या जंगलों पर कब्जा करके, परन्तु हरिजन हर तरह से गुलामी की

जंजीर में पड़े हैं। यह दूसरा फर्क है। हरिजनों के बारे में आप विचार करेंगे तो देखेंगे कि हरिजनों की दशा क्या है। हरिजनों पर तीन बन्धन थे। पहले कानूनी बन्धन था, कानून बना हुआ था हरिजनों के लिए कि तुम अछूत हो, तुम्हें छूना नहीं होगा, तुम मन्दिर में नहीं जा सकते, तुम सरकार की नौकरी नहीं कर सकते। हमारी इस लोकप्रिय सरकार ने क्या किया? उसने इन बन्धनों को काट डाला कानून के जरिए। कानून के जरिए उनके राजनीतिक बन्धन कटे, धार्मिक बन्धन कटे, सामाजिक बन्धन कटे और हमें शिक्षा की सुविधा मिली।

दूसरी बात क्या है? दूसरी पार्टियों के लोग और हम सब बैठ कर विचार करें कि यह छुआछूत क्यों कायम है, इसके लिए दोषी कौन है, क्या सरकार की मशीनरी इसको दूर कर सकती है? सरकार सहारा दे रही है हरिजनों को आगे बढ़ने का और मुकाबला करने का, लेकिन असल में छुआछूत को कम करने की जिम्मेदारी किसी पर है तो सवर्ण भाइयों पर है। उनका मनोवैज्ञानिक इलाज होना चाहिए, उनके दिमाग में परिवर्तन होना चाहिए, उनकी भावनाओं को बदलने की जरूरत है ताकि छुआछूत मिट जाय। जब तक उनकी भावनाएं दूर नहीं होतीं, तब तक सरकार को कानून बनाते ही रहना होगा, सरकार को हरिजनों की मदद करनी ही पड़ेगी, उनको अपने बल पर खड़ा होने का सहारा देना पड़ेगा, वरना ये हरिजन कभी भी खड़े नहीं हो सकते। हमारे भाई ने कहा कि हरिजन लोगों के प्रति छुआछूत खत्म हो गई है, लेकिन आप देखेंगे कि '55 में अनटचेबिलिटी आफेन्सेज एक्ट बना। अभी तक सब हरिजन इसको जान नहीं पाए कि ऐसा कोई ऐक्ट बना है कि जो हमारे खिलाफ काम करे उसे सजा भी दिलवा सकें। जो जान सके, उनका किस्सा जानते हैं? 1963 का आंकड़ा जो कि पूरा नहीं है उसमें 3,871 केसेज रजिस्टर्ड हुए।

श्री लोकनाथ मिश्र : बोलिए कि रेडियो पबलिसिटी करें। वे अनपढ़ हैं, रेडियो से सुन सकेंगे।

श्री महाबीर दास : 3,871 केसेज रजिस्टर हुए, 771 को सजाएं हुई। कोर्ट सबूत दे रही है कि छुआछूत एक्जिस्ट कर रही है। और 1,815 केसेज में सुलहनामा हुआ यानी आपस में मेलजोल हो गया और तब 1,106 केसेज कोर्ट में चल रहे थे, मालूम नहीं उसके बाद कितनी वृद्धि हुई होगी। तो यह साबित करता है कि छुआछूत कितनी दूर तक है। क्या ये सिर्फ भंगियों के केसेज हैं? नहीं ये सभी जातियों के हैं, कुछ जातियां छुटी हुई हों ऐसा नहीं है। तो इससे साबित होता है कि सब जातियों के साथ छुआछूत की बातें अभी तक हैं।

आपने सुना कि सरकार को इसे देखना चाहिये और सरकार इसे देख रही है। फिर आप देखें कि हरिजन होस्टल 151 हैं और 40 हरिजन कंवर्टस होस्टल चल रहे हैं और साथ साथ पबलिक आर्गेनाइजेशंस को मदद दिए जा रहे हैं जिसमें हरिजन सेवक संघ, भारतीय डिप्रेस्ड क्लासेज लीग, ईश्वर सरण आश्रम, इंडियन रेड क्रास सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन और आदिवासियों के लिये भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, टाटा इंस्टीट्यूट आफ सोशल साइंसेज, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, आंध्र प्रदेश आदिम जाति सेवक संघ इत्यादि हैं। ये सब बाहर की संस्थायें हरिजनों के लिये काम कर रही हैं जिनको सरकार मदद दे रही है और मदद सरकार इसलिये दे रही है कि हरिजनों की उन्नति हो, आदिवासियों की उन्नति हो। तो ये संस्थायें काम कर रही हैं और सरकार का प्रयास इससे सिद्ध होता है कि कमिश्नर के द्वारा जो कार्य होते हैं उसमें बाहरी आर्गेनाइजेशंस से भी सहायता ले कर सरकार प्रयत्नशील है कि जितनी जल्दी हो सके हरिजनों की तरक्की हो और हरिजन तरक्की कर सकें।

[श्री महाबीर दास]

हमने देखा कि बिहार की एक फ़िगर दी है और उससे पता लगता है कि 1961-62 में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 4 लाख 6 हजार 177 थी। तो यह प्रगति सरकार की है कि इतने बच्चों की शिक्षा बढ़ रही है। यह एक स्टेट का है और स्टेटों में और भी होगा, जिससे मालूम होता है कि प्रगति हमारी हो रही है, सरकार प्रगति कर रही है, लेकिन इस प्रगति में और भी प्रगति लाना है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि अभी आई० पी० एस०, आई० ए० एस० के लिये जो ट्रेनिंग इलाहाबाद में हरिजनों के लिये चल रही है उसका विस्तार होना चाहिये, हर स्टेट में यह हो इसकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये। तो सब से बड़ी बात यह है कि छुआ-छूत की बात दिमाग में जहां मैन्युफैक्चर होती है वहां इसको खत्म किया जाय और वह मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज हैं यूनिवर्सिटीज, जहां से कि विद्वान लोग निकलते हैं और जहां विद्वान लोग पढ़ कर शिक्षा देते हैं वहां हरिजनों का प्रवेश शायद कहीं एक दो हुआ हो तो हुआ हो, लेकिन उन युनिवर्सिटीज में, उन कालेजों में, प्रोफेसर, लेक्चरार या प्रिंसिपल, हरिजन शायद ही कहीं हों, हमें तो इसका अंदाजा नहीं है। एकाध अगर जाते हैं तो फिर रखे नहीं जाते। बिहार में, भागलपुर में एक हरिजन मैनेजिंग कमेटी द्वारा कालेज में बहाल हुआ, मारवाड़ी कालेज में, उसने छः महीने काम किया और वहां की युनिवर्सिटी कमीशन को एप्लीकेशन दिया कि उसका पर्मानेंट एप्वाइंमेंट किया जाय लेकिन उसको इंटरव्यु तक के लिये नहीं बुलाया गया। वह छः महीने तक काम भी कर चुका था, उसको एक्सपीरियेंस भी हो चुका था लेकिन उसे नहीं बुलाया गया, इससे मालूम होता है कि युनिवर्सिटीज में यह हालत है। अगर इस सम्बन्ध में सरकार विचार नहीं करेगी तो आगे चलकर जब यह रिजर्वेशन इत्यादि की बात का एबोलिशन हो गया तो फिर आपके सामने दिक्कत पैदा होगी और वे फिर अछूत के अछूत ही गिने जायेंगे। इसलिये जितने भी क्षेत्र हैं वहां सब में हरिजनों को स्थान दिया जाय और तमाम हरिजन और सवर्ण आपस में मिल कर खान-पान में, विद्या में, तरक्की में, संस्कृति में, सब में मिल कर मेलजोल के साथ उठ सकें यही कहना है। धन्यवाद।

DR. S. CHANDRASEKHAR: Madam, I want to look at this report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the years 1963-64 and 1962-63 both as an official document and as a scientific report. At the very outset I want to congratulate the Government, both the Ministers, hon. Shri Asoka Meh^a, and hon! Deputy Minister, Shrimati Chan-drasekhar, for having done a lot of good in the period covered as adumbrated in these two reports but with that my congratulation and commendation finish. And I want to look at it to find a lot of things wrong with these.

The very first thing I find is, like almost all the Government reports, we seem to be always behind times. I have always found, in the last 25 years, for instance., the official annual report of vital statistics published both by the State Governments and the Central Government, always comes at least 3 to 4 years later than the year stipulated. *So* anybody who wants to work with these figures finds that it is talking about figures at least 5 years behind time. Now the report of the Commissioner seems to follow that official established pattern of talking about ancient history in current modern context. I hope, since the distinguished and brilliant Minister for Planning is also in **charge** of this, he will prod these people to see that we get these reports annually and in time to that we might know the latest picture of what the position of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes is and which will enable the House to debate and give certain correctives or commendations wherever necessary for office action taken by the Commissioner or by the administrative organisation.

Now I come to the report itself. As a Government document which is usually meant not to be studied **but** to be

put in the shelves—like *Pusthakam Hasihabhushanam,* the Government reports are *shelf bhushanam*—this is all right but if you look at it as a scientific study, I must say that many things are wrong with it. If this document was submitted to a commercial publisher with a possibility of a buyer buying it at Rs. 10 or Rs. 20 a copy no publisher will undertake to publish it and not a single copy will be sold but here we are Members of this House and therefore we read it. That is about the way it is written.

The firstling wrong is this. The man who wants to talk about the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes must give an introductory chapter of the demographic picture of the population. This is sadly missing here. 1 went through it carefully. I find nowhere could we get exactly from, shall we say, 1901 to 1961 the census figures, the total Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, they say the definition has been evolving with many changes., their distribution between the States and districts, their age structure, the six composition, their occupational distribution and other data from which we can know whether these population groups are either increasing or decreasing or maintaining a stabilised position. We know nothing of the kind. I am not here casting any aspersion on Shri Chanda because I happen to know him. He is a very distinguished and a very able officer but he seems to follow the usual pattern and procedure of Government publications, of going through the routine of getting the reports, putting them together, giving to the press and doing it as one of the chores to be done and not with imagination and scientific perception.

I hope and trust, if I may request the Government, that something ought to be done with these Government reports, especially since they deal with a very important segment, a vulnerable segment, whose progress we are dedicated to honour. This report happens to be a reflection of what the Government is endeavouring to do through the years to these people so that they might ultimately become an integral part of the main stream of the Indian way of life.

We come to the question of Harijans. Now a great deal has been said in this House and nobody to-day is naive or unscientific enough to think of or suggest even for a fleeting moment that untouchability has been abolished from this country. It is there in as strong a measure as it ever was thought from the external point of view it appears to be somewhat a trifle watered down but in its basic essentials., untouchability is an integral part of the caste system in the rural and even in some parts of urban India. It is very much there and if there is anybody who thinks that *ua*-touchability has been abolished, I am reminded of a cartoon in a newspaper the other day which said that some housewife wanted to buy some vegetables from a New Delhi vendor and quoted the price saying "This is what the A.I.R. says'. The man said : 'Go and buy it from the A.I.R. Delhi'. So when people say that untouchability has been abolished, yes, constitutionally in the minds of some of our eminent sons and daughters but not in the practical working of our culture. In the far-flung, half a million villages in this country, it has not been eradicated.

Now take a general observation on this question and see how we are going to eradicate untouchability. With the single, great exception of Mahatmaji, I do not think, today, anybody, either in the Government or in private or public life, has taken upon himself the supreme task of dedicating his entire life, energy, abilities and capacities to uproot this terrible system lock, stock and barrel, and make this country worthy of its ancient Vedic traditions before untouchability was introduced.

SHRI G. RAMACHANDRAN (Nominated) : One minute. Thakkar Baba was one.

DR. S. CHANDRASEKHAR : Thank you. With the exception of Thakkar Baba besides Gandhiji nobody has dons anything about it. The reason is this. We are perhaps going about in a wrong

[Dr. S. Chandkrasekhar.]

way to solve this problem. Government measures, legislation and court decisions are all right. They are good up to a point, but you cannot bring about a change in an entire nation with five thousand years of history of this great black sin on our conscience unless we change the minds and hearts of our people, which cannot be done through legislation, no matter how well intentioned it might be, unless you change the people through persuasive propaganda on the lines that Mahatmaji did. I hope and trust that the Government will give a fillip, encourage such of those people who are in voluntary organisation, who have the time and inclination and ability to do this kind of thing across the length and breadth of our country, to do something, so that at least today the so-called caste Hindus like ourselves are made to feel utterly ashamed that this thing is allowed to exist on the face of Mother India. It is no longer the Scheduled Castes or the Harijans, but the whole country is affected by it, because the strength of a convoy is conditioned by the slowest vessel, just as the strength of a chain is conditioned by its weakest link, and nobody can pretend to be advanced in any sense of the term sociologically, anthropologically, economically or socially until and unless they pick up the very weak vulnerable segment and take it along with them in the nation's march towards a prosperous and better life. Therefore I do not . . . (Time *bell rings.)*

Madam, I have just begun my first point.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI TARA RAMCHANDRA SATHE) : No, you will not have more time. There are so many speakers.

DR. S. CHANDRASEKHAR : Then I come to the next one.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI TARA RAMCHANDRA SATHE) : Only touch the points.

DR. S. CHANDRASEKHAR : Thank you, Madam. Then the next question is that religious discrimination i cannot be eradicated unless there is economic motive inside it. Now somebody—I forget the name of the hon. Member—mentioned that the moment you give him a position, not in I.A.S. but in I.P.S., the moment you pick up a Harijan or a member of the Scheduled Tribe, even without the necessary qualifications, and give him a job, preferably a job as an Indian Police Officer, then half his problems are solved, because we find in practical experience that when economics knocks at the door, religion jumps out of the window. The moment you impart economic security, economic stability, economy, strength, the people somehow respect Him forgetting all prejudices and barriers and treat him, more or less as an equal.

The third thing I want to touch is about (he Harijans hostel. I can speak with some personal knowledge of only three States in the south. I am opposed to these Harijan hostels completely. The reason why we abolished the caste appellation in the census questionnaire was this. After we became free, there was an agitation that by calling a particular man by a particular caste you were perpetrating the caste system. Therefore, thanks to Sardar Vallabhhhai Patel, we decided that this should be dropped in the census. And the moment you removed the appellation, people came to forget much about the caste system. And now what is the use of putting only Harijan people in Harijan hostels and saying, "These are Harijan hostels meant exclusively for the Harijans, and nobody else can go there." By so doing the Harijans will continue to be Harijans for another two thousand years. Therefore I would like the integration of both caste Hindu and Harijan students in Harijan or other hostels, and I would not like hostels meant only for Harijans.

One more minute and I am done. Now the last thing is—this is something on which I feel very strongly; I wish I could give you the sociological evidence, for which we have no time—that the Government must do everything in its power to promote inter-caste, inter-sub-caste and inter-tribal marriages. This

is *the* only real solution, and we find enormous evidence in support of it both in the United States and the Soviet Union. If we do that, then only we will be true to our concept of national integration. Unless we say some day—I hope and trust and pray we will have the wisdom and the strength in this country to pass a very simple law— people may laugh at it but still I would like to mention it—if we pass a simple law- saying that no boy or girl can marry in his or her caste, then we will have a tremendous mixture leading to that rare zoological specimen called the Indian.

Thank you, Madam.

SHRI CHITTA BASU : Madam, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes constitute a very large chunk of our population. As a matter of fact it constitutes one-third of our population of the entire country and, naturally, the development of the nation as a whole is inextricably connected with the development of this segment of our population. Therefore it is the duty of the Planning Commission to have special programmes for accelerating the pace of development of this huge section of our population. Not only that; we should also bear in mind that there are other social disabilities and economic disparities which sometimes contribute to the very shameful condition of these down-trodden masses.

Madam, the Members adorning the benches opposite, time and again swear by the name of Mahatma Gandhi the Father of the Nation, but *to* swear by the name of one great leader is one thing;' to practise is another. Madam, once Mahatma Gandhi made a very remarkable observation. He said that the persons who are at the helm of affairs should remember the fate of the poorest of the poor while formulating the policy of the Government and the nation. He further observed that the extent to which the poorest of the poor gets material benefit from the Government's policy is the true criterion for determining the efficacy and correctness of the policy and programme itself. Madam, may I know whether the Deputy Minister herself, or anybody in the L74RS//66—6 Treasury Benches who formulates the policy of the Government towards these down-trodden human masses, does ever remember the fate of the poorest of the poor while formulating Government's policy towards the Scheduled Castes and Scheduled Tribes ? Madam, the Report itself will bear me out that the Government is not so serious to uplift the condition of these down-trodden masses. The Report itself is the saddest commentary on the performances of the Government. What does this Report reveal ? Does it reveal a comprehensive socio-economic study of the condition of life and work of these masses ? Does it present us with some picture of the future? Does it offer us an imagination and vision for the future, so that we may reach such a stage of society where equality of opportunity for all is ensured to enjoy the fruits of freedom and progress ? Nothing, Madam., is there. No perspective is there. No imagination is there. No vision is there. What' is there then ? It is nothing but a bundle of outmoded figures collected from the reports of the reluctant State Governments, that is, the cut and dried figures, and sometimes it surprised me, when I went through this Report, that there has been verbatim reproduction of the earlier reports themselves. What is the good of spending some lakhs of rupees for appointing such a huge staff, and a whole-time Commissioner who has got not that foresight *to* go into the depth of the problem itself, and place it before the House, so that we may consider it in a scientific way ? Madam, therefore, it is the saddest commentary that the Government could not produce a comprehensive socio-economic study of these communities for which lakhs and crores are being spent.

4 P.M.

I want to discuss in a very brief manner the basic problem of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. Madam, if you look into the census figures you will find that 13.1 crore scheduled Caste and Scheduled Tribe people pursue agricultural operations. They are agriculturists. Agriculture is their only avocation in life. That

[Shri Chitta Basu.]

is what we find from the census figures. And from this Report also we find that out of 13.1 crores of agriculturists who are Scheduled Castes and Scheduled Tribes, 3.15 crore* are landless. Madam, they have not got an inch of land to till. They do not have an inch of land to plough and they do not have even an inch of and to work upon. They eke out their existence under inhuman conditions of life. And what is more., in the countrywide drive of eviction by the big landlords and land owners, it is these poor Scheduled Castes and Scheduled Tribes who fall the first victims. They are evicted from whatever land some of them may have.

SHRI LOKANATH MISRA : That is the case even in the case of dams built by the Government.

SHRI CHITTA BASU : Yes, I am coming to that. These people are ignorant and they are being evicted from their land. Being ignorant and illiterate, they do not understand the laws of the land. They have not organised themselves. As I said, they are ignorant people. They cannot take the help of the law. Therefore, they are being evicted from the land and the army of the landless continues to grow. Madam, I know the problem of the landless is there. I do not want to quote figures from the Agricultural Labour Inquiry Commission's Report wherein it will be found that there is a very huge army of the landless in our country. Madam, I only want to point out one thing. The incidence of the landless is highest among the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. So far as I know, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes constitute about 15 per cent of the total agricultural population and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes constitute 33 per cent of the landless agricultural population of the country. This is a reflection of the actual condition of the life and work in the rural areas, particularly among the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. Madam, I expected that these Reports would contain Bomething about ways of fighting out these economic disparities between the rest of the population and these Scheduled Castes and Scheduled Tribes. But what I find to my surprise is that even the few schemes that were there, were being executed in a half-hearted, hesitant manner. So far as I know, the Ministry of Food and Agriculture sponsored a programme by which they suggested that there should be a survey conducted in each district to find out the wasteland. Madam, you will be surprised to hear from me that even this survey was not completed in most of the States. Most of the States did not even care to report to the Central Government, save two States. And yet for this purpose a huge sum of money was sanctioned and each district got about Rs. 23,000 only for this survey work. Yes, as I said, Madam, this survey was taken up only in two States. And nobody has got any land out of that survey. I think they just appointed somebody to patronise him and he conducted this survey. No land was distributed to these unfortunate people.

Madam, I will only quote one thing, the opinion of the Central Advisory Committee for Harijan Welfare, regarding this work of land distribution. I have got so many things to quote., but I refrain from doing so because of the shortage of the time at my disposal. The Central Advisory Committee for Harijan Welfare—it is a committee for the Welfare of Harijans—says this :

> "Views were also expressed that the acceptance of the principle of giving priority to Scheduled Castes in the matter of allotment of land, as has been done in some States would not suffice because these provisions were not followed in actual practice."

{Time bell rings.)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRJMATI TARA RAMCHANDRA SATHE) : You have to wind up.

SHRI CHITTA BASU : Madam, I have got some points to make.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRiMATI TARA RAMCHANDRA SATHE) : You will not get more time.

SHRI CHITTA BASU : I want only two minutes more.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI TARA RAMCHANDRA SATHE) : You have one minute, You may just mention your points.

SHRI G. RAMACHANDRAN ; Are we to close this debate today ?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI TARA RAMCHANDRA SATHE) : Yes.

SHRI G. RAMACHANDRAN : Supposing the matter is very important and many people want to speak, can we not conclude it tomorrow?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI TARA RAMCHANDRA SATHE): I feel that everybody who wants to speak should get some time. So nobody should elaborate very much. I find there is the repetition of points. If there are new points, then these points can be given.

SHRI CHITTA BASU: Then I mention my points. Wasteland should be reclaimed and distributed among the Scheduled Tribes and Scheduled Castes. I have quoted the views of the Central Advisory Committee for the Welfare of Harijans. Then land is being alienated from these Scheduled Tribes in a large number of cases. I can quote thousands of examples where these Scheduled Castes and the Scheduled Tribes are falling easy victims to these great land sharks, these big village landlords and these big village peasants.

SHRI LOKANATH MISRA : The land collected as Bhoodan should be distributed only *to* the Harijans.

SHRI CHITTA BASU: I have got those suggestions and I will give them when I come to the stage of giving suggestions.

Madam, there is bonded labour even today in some places of our country. We are living in the sixties of the twentieth century and our Government claims so loudly that ours is an advanced democracy. But I would tell our Planning Minister that even now in the villages there is bonded labour and thousands are living in that condition of serfdome and slavery. What have you done to break as under the shakles of serfdome and bondage of slavery ? You have done nothing. There was no legislative measure, no punitive measure to help those held in bonded labour for generations, together. *(Time bell rings.)* Madam, what can I do now, except to stop?

SHRI SHEEL BHADRA YAJEE: You can take your seat now by obeying the Chair.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI TARA RAMCHANDRA SATHE) : If there are any new points, just mention only those points.

SHRI CHITTA BASU : I have many points.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI TARA RAMCHANDRA SATHE) : If there is any new point, I mean, you can mention that point.

SHRI CHITTA BASU : I want that the Land which has been received as Bhoodan should be distributed to these poor peasants of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. Also priority should be given to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in the matter of allotment of land which has been acquired by the State Governments under the land and Estate Acquisition Act, and other Acts.

Then there is the problem of unemployment. Greater attention should be given to the matter of providing work to the Scheduled Tribes and the Scheduled Castes. I will just give two figures. The number of those belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes who were registered in the live registers as unemployed for the year 1963 was of the order of 4,60,940. The failure of the Government can be highlighted by this one fact that the number of placements in 1963 was only 60,954. That is to say, as many as 4 lakhs who were registered as unemployed young men belonging to the Scheduled Tribes and Scheduled Castes, could not be provided with jobs. They were able to give jobs only to some 60,000. So far

[Shri Chitta Basu.] as the educated unemployed are concerned, that problem also is there. I could quote a few figures.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI TARA RAMCHANDRA SATHE) : Please don't. Give only points.

SHRI CHITTA BASU : Then I would say that there should be special measures so that these people may be provided with jobs which may enable them to improve their economic life and raise their general level so that those in this sector may be able to contribute for the all-out development of our country. Thank you.

SHRI G. RAMACHANDRAN : Madam, I speak with considerable diffidence in dealing with this Report. I specially came back to the Rajya Sabha after an absence of a couple of weeks to have my say if that were possible on this Report. I think these Reports are of tremendous significance for us in this country. As my friend, Dr Chandrasekhar, said, the speed of the fleet is the speed of the last boat. If you apply that test to what is happening in India and look at the speed with which this last boat of Scheduled Castes and Scheduled Tribes is moving up the stream of national reconstruction I do not think a single one of us can afford either to be complacent or to be happy. Eighteen years after independence untouchability is very much real in this country and caste has become even more diabolic than in pre-indepen-dent India. No less a person than Pandit Nehru, and some time before that, no less a person that Mr. Kama-raja Nadar, President of the Indian National Congress, admitted that caste still remains one of the greatest obstacles to social reconstruction in this country. I remember the words of Dr. Ambedkar in the old days when some of us differed from him and he differed *from* Mahatma Gandhi in many matters of work. Dr. Ambedkar said at that time that so long as there is the caste there will be the outcaste. Now caste is stronger than ever before and the elections are coming and you will now see what a death dance this caste system will perform in this country. Caste candidates, caste voters, all this will come back into the picture again. So untouchability is as hard as ever. As somebody has said, externally things have changed like fans in the platforms of railway stations which are supposed to have improved railway travelling considerably. It is some such thing that is happening; and these Reports are full of routine matters, routine items. There is nothing dynamic in it, nothing soul-stirring in it. But the whole subject is something of such significance that it cannot be treated in this humdrum routine manner. I have a high regard for the Minister Mr. Asoka Mehta but he is a very busy man with other matters on his hand and this great thing concerning the life of the weaker sections, millions of them, crores of them, is a subject which requires the undivided attention of a single Minister at the Cabinet level. If somebody would propose that my hon. friend, Shrimati Maragatham Chandrasekar, should be elevated to Cabinet rank tomorrow 1 shall vote for it because this is a matter which cannot be tackled at any lower level. Somebody has to go at this matter hammer and tongs. Take one small thing, drinking water. Even today in thousands and thousands of places in this country of Gandhi and Nehru the so-called Harijan—I have come to dislike this word 'Harijan now I do not want this world; I want everybody to be called Indians; why should some be called Harijans ?—even in this year of Grace, nineteen hundred and sixtysix, with all the laws which you have passed, is unable to go and take water from the common well of the village. If this is what is happening what is this Commission doing ? I know they are running schools and I »m glad they are running schools. I know they are running hostels and I am glad they are running hostels. I a.m glad they are doing a hundred other things but they are not touching the crux of the matter. The crux of the matter is not merely the poverty of the Hari-«ans not merely the poverty of the Scheduled Castes—there are millions of other people who are poor in this country—but they labour under a speci-

lie difficulty called untouchability and we are not attacking this, we are not pulverising it and so long as we do not do that all your other namby-pamby work will not matter in the eradication of untouchability. The so-called untouchables —as they should never have been called *are* bitter in this country, are angry in this country. Ther$_e$ is a wave of anger rising in their hearts today. Take a man like Mr. Jagjivan Ram. He has been a Minister in the Central Cabinet from the iirst day our Central Government started functioning to this day. He came to preside over the anniversary of Gandhi Giam and one of the things he said was : "Our anger is growing; our discontent is growing and some day there would be an eruption in this country if somebody does not deal with this." Who says this ? Not Ramachandran, not an agitator but a Cabinet Minister of the Government of India who is himself a Harijan. He says their hearts are bitter, their anger is growing and some day there will be an eruption in this country. And what are we doing ? Sitting on a volcano complacently ? I want to tell Mr. Asoka Mehta that if he is very busy with his planning he must tell the Government that he has no time to do this work and somebody else should be put in charge of it. If that is the truth of the matter he, should say so to the Government.

Take the tribals, Madam. You have given me only a few minutes and I shall finish in a few minutes. There is a wave of unrest among the tribals from one end of the country to the other. You begin wirh the Nagas, then the Mizos, then all the hill tribes at that end, then in Madhya Pradesh and we do not know where else. I remember the annual meeting of the Adim Jati Sangh held some years ago when Dr. Rajendra Prasad was in the Chair and Pandit Nehru was also speaking. And Pandit Nehru pleaded with an unerring instinct that we must help these people in the imi.ner in which they like to be helped, not doing something we liked and then steamrollering. He enunciated a policy of highest understanding of the tribal people and yet why are our tribals up in arms everywhere ? Why this discontent, why this anger everywhere? The other day there was an article in one of our leading papers by Mr. Frank Moraes. He went to Australia where he studied the condition of th$_e$ tribal people of that country and he says something which amazes me. He says that the Australian Government is taking greater care of their tribal people than we in India are taking care of our tribal people. How can that be ? We have a special clause in the Constitution; we have a Special Commissioner and that a very fine man too, my frend, Mr. Chanda, and yet what is happening ? Why is it that our tribal people are discontended ? Why does Mr. Jagjivan Ram say that anger and discontent are growing in the hearts of the Harijans and there will be an eruption some day ? The truth of the matter, Madam, is that we are facing up to the crux of the matter, and the crux of the matter is not poverty, is not illiteracy—it is common to many others, millions of people—but there is a special difficulty and that special difficulty persists even today. We want something far more revolutionary than this routine reformist work which this Commission is doing. I know it is a thing which the Government alone cannot do; it is a matter to which each one of us must lend our hand. I can say that some of ns are doing the best we can in this direction. So while on the one hand I am glad that Mr. Asoka Mehta is there, Shrimati Maragatham Chandrasekhar is there and my frend, Mr. Chanda is there, on the other hand I am totally dissatisfied with the pace of development in regard to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Something far more drastic and real has to be done and I want the Ministers to sit together, think it over and give us a programme by which we can pull these people up from the ruts of centuries. We have left them there for centuries and if we have to bring ihem up on par with us we shall hnve to do far more than what we are doing now.

Thank you, Madam.

SHRI N. SRI RAMA REDDY: Madam Vice-Chairman, it is a very tragic state of affairs that in our great Indian society a section of people called Scheduled Castes and Scheduled Tribes are still persisting. But, Madam, what can we

[Shri N. Sri Rama Reddy.]

do? It is a fact of history. They have been handed over to us from thousands of years and this has come to stay. Of course time and man, both together, must eradicate this evil that has come to stay in our society and which has bean there for thousands of years now. It is no use getting angry with this state of affairs. We are not responsible for it. It has been there. How to eradicate it is the question. Let us all put our shoulders to it, take the entire mass of humanity with us in eradicating this great evil that persists. For many it is not an evil; it is a tradition, it is a habit which they are not able to get over. Therefore there is no use ..getting angry on this situation. The only thing is we must face facts as they are and try to solve them.

Now, Madam, we are discussing the Reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the years 1962-63 and 1963.64. I now come to the actual facts. But is what all we are doing sufficient ? Does the occasion demand only this much and nothing more ? These are questions which Parliament should consider. According to me the Report reveals a number of shortfalls in every field. For instance, the greatest evil that we are now faced wi'h is untouchability. Are we doing anything about it ? I agree with my friends who said here that untouchability is not a wee bit less than but it was years ago. It might be so in urban areas, but in rural areas untouchability is not a all eradicated. Even according to this Report—I have no faith in the figures that are given in the Report—in regard to the extent of removal of untouchability, what are the facts ? In twenty-two districts some survey has been conducted. Here, those who practised untouchability in one form or another came to 35.95 per cent. Those who practised untouchability in an acute, naked form, came to 32.8 per cent. In all 68 or 70 per cent of the people tried to do it in one form or another. Only 30 per cent, according *to* the sample survey conducted, are supposed to have given up untouchability. Even these figures I doubt, but this is what we have been able to achieve in about twenty years of independence. Time is the essence of the matter. We have to do much more. How to do it—that I leave to Mr. Asoka Mehta who is the Planning Minister as well. Now, the evil that persists in society is so great in my part of the country that among the so-called Harijans or Scheduled Castes and Scheduled Tribes, there are castes. One caste does not mix with another. There are what are called lefthanders and right-handers. In Andhra they call them as Madigas and Malas. From one and the same well they refuse to take water, come what may. They refuse and nobody can make them draw water from the same well. I have not been able to make them do it in my own village, where probably I could put some pressure. I found that the Madigas and Malas refuse to take water from the same well, whereas I was taking water from the well. The evil persists. So, in the matter of eradication of this evil, time alone can solve it and in the meantime we must do a lot for educating these people.

There are what are known as untouchability offences. What is the state of affairs here ? In 1956, 693 offences were booked. It has been declining year after year and in 1963 the number is 275. Does it mean that touchability has increased so much that there were no untouchability offences booked in the normal course. I do not think so. The best interpretation and the correct interpretation that I can put on this figure is the indifference of the Government and its aparthy to tackling the problem in all its seriousness.

Now, there are a number of welfare scheme like education, etc. In the First Plan Rs. 32 crores was the outlay and Rs. 27 crores was spent. In the Second Plan the outlay was Rs 79 crores and the expenditure was Rs. 67 crores. I cannot understand why there should have been a shortfall of Rs. 12 crores, when the need was so great and when everybody was crying for help. In the Third Plan there was a provision of Rs. 100 crores. Out of this[1] Rs. 29.99 crores was intended for Scheduled Castes for three years and only Rs. 13.85 crores was spent. Out of a provision of about Rs. 68 crores for the Scheduled Tribes

only Rs. 29 crores was spent. Why ? Of course, the Report also gives the reasons for this shortfall The Report says that the State Governments are said to have revised their Plan outlays. They have reduced it. They have said in the beginning that the State Governments are not coming forward in full measure to cooperate with the Central Government in allotting the required amount. That is what the Report says. Then, what are we doing about it. Have we no con'rol over the State Governments and say : "You shall do it", or expose the State Governments concerned ? Even the Report has not properly exposed the State Governments.

Now, I come to education. Now, the general literacy, all over India, works out to 24 per cent. Literacy among the Scheduled Caste is 10 per cent and among the Scheduled Tribes 8 per cent. Statewiss examination of these figures shows that Andhra is very backward and Madhya Pradesh, Madras and Rajas-than have come below 4 per cent. All these States are below 4 per cent even in the matter of their education. Now, educa'ion is a most important thing. Some improvement is being shown already. During 1961-62, seven per cent of trie Scheduled Castes received general education. In respect of professional education the percentage was 24. This is taking place, but what is most important is s must concentrate on education My a^ ce to the Government is they must concentrate on education. Every Scheduled Caste and Scheduled Tribe, whoe income is not up to the standard, should be given everything that is required by the Government. Educate them and everything will be all right. Education is the key to the removal of these social evils. I would advise the Government to provide a larger number of hostels. Provision of hostel accom-modnt on is not enough.

In regard *to* the Services also it is verv bad. In respect of the IAS, in 1959 there were 35 Scheduled Caste candidates and this has increased to 81 in 1964. Similar is the case in respect of the IPS. In the case of IFS, they are not coming forward in large numbers. They must stand a little of inefficiency. even if it is necessary. Prescribe some less standard and give them jobs, so that they will grow.

Only one point more I want to say. In this connection, in addition to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe, there are what are called ihs Backward Classes. They have removed their caste completely. Every other class has been put together in this category. They are huddled together for all purposes, for giving scholarships, for considering their economic criteria, for the pumose of giving jobs, for the purpose of admission to the nearest schools and colleges, etc. For this an economic criterion has been fixed. All the other castes have been huddled together, especially in South India. I would like to tell the hon. Minister that there are a number of cas'es which are backward, which axe sometimes worse than—why sometimes, in many cases worse than-Scheduled Castes themselves. They arc touchables, but those people have been huddled together, with the rest of the people, with the result that there is great hardship felt among the so-called Backward Classes. They are touchables all light, but their economic condition is absolutely bad. Therefore, unless extra educational facilities are given to these Backward Classes, their conditions will not improve. Because the word "Backward Class" is also mentioned in this Report, a different criterion has got to be applied in their case. Otherwise, they will remain where they are. That is as dangerous as the situation with regard to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes formerly. Thank you very much.

SHRI D. THENGARI 'Utfai Pradesh) : Madam, in the first place, the time-lag between the presentation of the Report to the President and placing it before Parliament is objectionable. I urge that there should be no repetition of such inordinate delays in placing subsequent reports before Parliament. Having gone through the Report, I have carried an imoression that the nomadic, the semi-nomadic and the ex-criminal tribes have not received the attention they deserved. As a matter of tact, soecral measures have to be taken for their improvement and I think that in

[Shri D. Thengari.]

times to come their plight will be specially attended to. Even the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, to whom lip service is paid by official circles, have not received justice at the hands of the Central Government and State Governments. Though much has been said by way of proclamation, nothing substantial has been achieved in this respect. Many facts can be cited to illustrate or substantiate this point. For example, the funds allotted under different heads for this purpose remain unutilised. There are shortfalls in the Central as well as State sectors, the actual expenditure on this item falling far short of the original allocation. For example, in the First and Second Five Year Plans, out of an outlay of Rs. 32 crores and Rs. 79 crores respectively, an expenditure of Rs 27 crores and Rs. 67 crores was incurred on their welfare schemes. Progress reports relating to the various welfare schemes have not been received from a number of States and Union territories within proper time. Whenever received, these reports were not complete.

The legal aid schemes are not liberal in coverage of all types of cases in which the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe people generally get involved. And again, they are not adequately published.

The functionaries connected with the Community Development and the Panchayati Raj have failed to appreciate and fulfil their role in this direction. Gram Panchayats, Panchayat Samitis and the Zilla Parishads themselves practise discrimination against the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. This is so not only regarding their representation on different Committees but also in regard to seating arrangements in the Panchayats or Samitis themselves. The Progress Evaluation and Co-ordination Cells are not carrying out the functions for which they were constituted. The Central Co-ordination Committee and the Co-ordinating Committees at the State level do not meet at proper intervals.

There are no research officers and investigators in the regional offices.

On social level, the conditions consequently are too deplorable, even after 19 years of our independence. In the rural areas the untouchability is almost as intact as it used to be before 1947. Even in the urban areas this evil has not been completely eradicated. It seems that even amongst the Scheduled Castes some castes are particularly despised and boycotted. The valmikies in Delhi and other adjacent areas; the Donds from Bihar; Bhangis from all the States; the Mangs from Maharashtra; the Lobars, Badhis and Dumnas from Himachal Pradesh, are some of these castes that seems to have distinction of being specially discriminated against.

Even different Scheduled Castes observe untouchability amongst themselves. They do not interdine or allow other communities to draw water from their wells. The barbers refuse to shave them. They are not allowed entry in temples and hotels. The law regarding untouchability, that is, the Untouchability (Offences) Act, 1955, is not sufficiently publicised among people for whom it is meant. The number of cases registered under this Act has been going down. And the cases already registered take quite some time for their disposal.

In all the States except Nagaland, Manipur, the Andaman and Nicobar Islands and the Laccadives, this problem is as aggravated as before. Even complete information on this problem is not available or collected by the State Governments. They are depending on the unrealistic data furnished by the reluctant officials. The Directorate of Advertising and Visual Publicity had discontinued its propaganda work in this respect.

The Tribal Welfare Officers and the Social Welfare Officers have been found lacking in the necessary missionary zeal, which is a prerequisite for the success of this department.

The persons belonging to these castes are not given adequate interest-free loans refundable in course of time, in easy instalments. The other facilities given to them officially are also denied

to them in practice because of their ignorance about the same.

The Government has taken up Housing as a priority item in urban areas. But the Scheduled Castes in rural areas are not extended the benefit of housing schemes. There are no schemes in the Central sector of the Third Plan for providing funds for the construction of houses for the Scheduled Castes. In the State sector, as against the total allocation of Rs. 345.39 lakhs, the expenditure incurred during three years as reported here amounts to only Rs. 140.72 lakhs, that is, 40.74 per cent, which is obviously very poor. Assistance under the Slum Clearance Scheme and the Village Housing Projects has been quite inadequate.

The Scheduled Castes comprise mainly of the landless agricultural labour. In its ostrich-like attitude the Government has thought it proper to bifurcate the economic from the social aspect of the problem. This is highly unrealistic. The Scheduled Castes are not courageous enough to take advantage of the Untouchability Act and other facilities for the simple reason that they are not independent economically and they have to depend upon the higher castes, and therefore they are nervous in defying them and in asserting themselves. They cannot be expected to play their own part in this task of self-improvement so long as they do not attain economic independence.

Thus the malady is manifold. The strong prejudices of the so-called higher castes; the ignorance and economic dependence of the Scheduled Castes themselves; the inefficacy of the various Government machineries and the lack of missionary zeal on the part of the officials concerned—all these factors have combined to perpetuate the misery of the Scheduled Castes. Even the Bhangis of the capital city of India have not been an exception to this generalisation.

So faT as the social aspect of this problem is concerned, Madam, it would be useless to blame only the Government machinery or the officials. The very approach of the Government is wrong. What is needed is the revolutionising of the social mind. This has never been achieved in any country through legislation or official drives. In our own land, the great leaders had dedicated their lives to this cause in the p re-independence era. Raja Ram Mohan Roy and Mahatma Fule opened the gates of their homes and hearts to the untouchables even at the risk of incurring popular wrath. Shahu Chhatrapati in his Presidential Address at a conference held at Nagpur for this purpose in December, 1920 made a fervent appeal to the Caste Hindus to consider the Scheduled Castes as the flesh of their flesh and blood of their blood. Shri Narayan Guru Swami of Kerala who preached and practised his well known principle, 'Uru Jati, Uru Matam, Uru Deivam"—that is, one caste, one religion, one God—tried in his own inimitable way to solve this problem. Dr. Babasaheb Ambedkar who like Booker T. Washington dedicated his entire life for the uplift of his caste men, tried a different strategy of "New Caste, New Religion, New God'. Dr. Hedge-war, the founder of the Rashtriya Swayamsevak Sangh, tackled this problem in still a different way. Instead of harping upon the differences he laid great stress upon the fundamental oneness of the entire Hindu society. Mahatma Gandhi had made this cause his life mission. No moment of his life he was oblivious of and indifferent to the tragic conditions of the Scheduled Castes.

The great leaders of the nation strove their best to bring about the social and the psychological revolution.

The Government is trying to achieve through legislative and administrative measures what should be the life mission of the social and the spiritual giants. Regarding good literature, it has been observed that Hamlet could never have been written by a special Sub-Committee appointed by the Parliament. In the same strain I should like to say that a David Livingstone, a Florence Nightingale, a Father Daniel or to top the list, the Son of a Man would never have been created or born in the materialistic West just by or through a piece of legislation.

[Shri D. Thengari,] I urge upon the Government to appreciate this basic fact and strive to revolutionise the entire psychological environment of the country so as to facilitate the resurgence of the spirit of Raja Ram Mohan Roy, Mahatma Fule, Swami Vivekananda, Shri Narayana Guru-swamy, Dr. Babasaheb Ambedkar, Dr. Hedgewar, Karmavir Shinde and Mahatma Gandhi.

श्री शीलभद्र याजी : माननीय वाइस चेयरमैन महोदया, यह बहुत दुख और कलंक की बात है कि आजादी के इतने वर्ष पश्चात् भी अभी तक छुआछूत है और जो शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोग हैं उनकी माली हालत में अभी तक सुधार नहीं हुआ है लेकिन अपने पूर्व वक्ताओं के जो ख़यालात मैं सुन रहा था उसमें मुझको कुछ नई बात मालूम नहीं पड़ रही थी। जो राजा महाराजाओं की पार्टी के लोग हैं, जो कि स्वतंत्र पार्टी के नाम से विख्यात है वे भी घड़ियाल के आंसू बहा रहे थे जैसे कि कहते हैं कि एक शैतान स्क्रिप्चर को कोट करता है जिसको अंग्रेजी में ' A devil is quoting the Scripture ' उसी तरह से महात्मा गांधी की दुहाई दे दे कर कहा गया, जो लोग महात्मा गांधी को कभी मानते नहीं थे उन्होंने उनकी दुहाई दे दे कर शासक पार्टी पर, शासक पार्टी के लोगों पर आक्षेप किया कि हरिजनों के सुधार के लिये, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के सुधार के लिये सारी चीजें करने का प्रयत्न वे नहीं कर रहे हैं।

SHRI LOKANATH MISRA : The devil is he who does not implement the schemes about the Adivasis, Scheduled Castes, etc.

श्री शीलभद्र याजी : सारा प्रकोप उनका शासक पार्टी पर था। जिस समाज ने, जिन राजे महाराजों ने हरिजनों को, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को, बिना घर के बना दिया, उनकी ज़मीन बिकवा दी, आज वे घड़ियाल के आंसू बहा बहा कर ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे और चढ़ाई उसी तरफ हो रही थी। तो आज यह जरूरत है, मने शुरू में कहा, यह कलंक की बात है, लज्जा की बात है, दुख की बात है, कि अभी तक उनकी माली हालत में सुधार नहीं हो रहा है। लेकिन जो हमारे नेता लोग और शासक पार्टी के लोग हैं, जो वह इलाज कर रहे हैं उस इलाज से कभी भी इस तरह की उनकी माली हालत में सुधार नहीं हो सकता। रिपोर्ट निकलेगी, साल भर म उस पर बहस होगी, लेकिन जहां तक मौलिक परिवर्तन का सवाल है, हरिजन और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की तो बात ही क्या है, यहां तो मुल्क के अंदर एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण के हाथ का छुआ नहीं खाता। यह हिन्दुस्तान ऐसा देश है जहां पचास तरह के ब्राह्मण हैं, कहावत भी है : "तीन कनौजिए तेरह चल्हे।" यहां तो जो सवर्ण क्लास के मुसलमान हैं वे कितना आपस में एक दूसरे से नफरत करते हैं।

तो समाज में इतनी जो असमानता है उसमें समानता लाने के लिये सिर्फ ज़मीन बांट देने से, कुछ पढ़ाई लिखाई कर देने से, यह काम नहीं होने का है। यह जरूर है कि जिस तरह से मनुःस्मृति को बदल कर अम्बडकर स्मृति बना, मौलिक परिवर्तन हुआ हिन्दू समाज में, और वह जो पुराना चला आ रहा था मनुः-स्मृति शास्त्र, जिसमें वर्ण व्यवस्था थी, उसमें बदलाव आया इसलिये अम्बेडकर को आधुनिक मनु कहते हैं, उसी तरह से एक समाज को बदलने के लिये एक नये तरह की स्मृति लानी पड़ेगी और इस तरह के जो काम हो रहे हैं उनसे यह जरूर है कि उनके बीच में ज़मीन बांटने से उनकी माली हालत में सुधार होगा लेकिन मैंने देखा है कि जिस हरिजन या शिड्यूल्ड ट्राइब वाले के पास 25 बीघा ज़मीन है वह खाट पर बड़े बड़े लोगों के साथ बैठता है, जो ग़रीब है वह नहीं बैठ पाता। इसलिये जब तक उनकी माली हालत में सुधार नहीं होगा, इकानामिक कंडीशन में सुधार नहीं होगा तब तक इस तरह से जो 'पीसमील' काम चल रहा है इसमें कितने दिनों में समाज

से छुआछूत जायगी यह कहना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, जिस तरह से हमारा देश अभी चल रहा है उसमें हमारी सरकार का प्रयास है, केवल महात्मा गांधी से लेकर ही नहीं बल्कि शुरू में भी बड़े-बड़े हमारे बंगाल में, सारे हिन्दुस्तान में, प्रचारक और सुधारक बने और शताब्दियों पूर्व महात्मा बुद्ध ने भी जांत-पांत को तोड़ा, लेकिन फिर वह व्यवस्था चल पड़ी लेकिन वह वर्ण व्यवस्था तब तक नहीं सुधरती जब तक कि हरिजन हरिजन का छुआ पानी नहीं पीता। इसको किसी डंडे के जरिये से कैसे हटाया जायेगा यह मेरी समझ में नहीं आता। इसलिये मैं समझता हूं इसके लिये एक ही उपयुक्त चीज है। जबतक उनमें, शिक्षा का प्रचार नहीं होगा तब तक हम उनकी माली हालत में सुधार नहीं कर सकते हैं। इसलिये माली हालत सुधारने के लिये ये जो चीजें अभी हमारी चल रही हैं इनसे माली हालत में सुधार नहीं होगा।

यदि हमें समाज से असमता लाने वाले कास्ट सिस्टम को तोड़ना है, वर्ग व्यवस्था को तोड़ना है तो उसके साथ ही साथ जो मौजूदा निजाम है, पूंजीवादी व्यवस्था है, जब तक उसको हमारी सरकार पक्के मानों में, सही मानों में, नहीं तोड़ती, जब तक समाजवादी व्यवस्था नहीं बनेगी तब तक यह हरिजनों का रोना चलता रहेगा और उनके लिये जो मौलिक परिवर्तन लाना है उसमें सुधार नहीं होगा। इसलिये हमारी गुजारिश है कि हरिजनों के लिये और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये और जो भी बैकवर्ड क्लासेज हैं उनके लिये, उनकी माली हालत सुधारने की खातिर, पढ़ाई लिखाई का, मकान बनाने का सब काम कर दीजिए लेकिन उसके साथ हमारी जो सोशलिज्म की रफ्तार, गति है उसको तेज कीजिए और जब तक हम समाजवादी कदम जल्द से जल्द नहीं उठाएंगे तब तक समाज में मौजूदा निजाम की व्यवस्था नहीं टूटेगी। अभी जो आप देख रहे हैं इस तरह से असमानता है वह असमानता मिटने वाली नहीं है। इसलिये मैं तो मंत्री महोदया से भी गुजारिश करूंगा कि इस चीज को करें। यह ठीक है कि हमारे कांग्रेस अध्यक्ष कामराज जी भी बोलते हैं, इंदिरा जी भी बोलती हैं समाजवाद के पक्ष में और समाजवाद का बहुत प्रचार हो रहा है, लगातार हो रहा है, लेकिन लेक्चर देने के साथ साथ समाजवाद के लिये जल्द कदम उठाना चाहिये, रफ्तार के साथ उठाना चाहिये और अगर ऐसा हुआ तो मैं समझता हूं यह छुआछूत सब खत्म हो जायेगी। यह ठीक है महात्मा गांधी ने इस काम को शुरू किया, उनसे पहले भी लोगों ने इसको किया, लेकिन जब तक आर्थिक व्यवस्था में असमानता रहेगी तब तक यह छुआछूत रहेगी। तो जब तक मौलिक परिवर्तन तेजी से नहीं होता तब तक यह टुकड़े टुकड़े काम करने से सुधार नहीं हो सकता। मैं मुखालिफ पार्टी के लोगों से और ये जो बड़ी-बड़ी पार्टी के लोग राजे महाराजे हैं इनको भी कहूंगा कि समाज के नाम पर, कम से कम हरिजन और शिड्यूल ट्राइब्स के नाम पर जो सरकार ने प्रोग्राम दिया है उसमें अपना सहयोग दें। आप भी तो उसी क्लास से आते हैं, चाहे आप चले गये हैं राजे महाराजों की पार्टी में, लेकिन आप उसी तबके से पले हैं उसी से पैदा हुए हैं। इसलिये उनसे भी कहना है कि यदि सही मानों में उनकी हालत में सुधार करना है तो समाजवादी प्रोग्राम में विरोधियों को भी मदद देनी चाहिये।

श्री लोकनाथ मिश्र : आप इसलिये कह रहे हैं क्योंकि आप कांग्रेस के लिये वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI-MATI TARA RAMCHANDRA SATHE) : Mr. Patra. Will you pleased limit your speech to five minutes?

SHRI N. PATRA: Madam Vice-Chairman, from the speeches that have been delivered on the two Reports of the Commissioner for Scheduled Castes

[Shri N. Patra.] and Scheduled Tribes, by now it will be evident to the Minister in charge of this department that there is a unanimous demand to do away with the indignities suffered by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in this country. They have been neglected, of course, by Hindu India for centuries. We cannot . . .

AN HON. MEMBER : There was no 'Hindu India'.

SHRI N. PATRA : By our country, by our forefathers, by our ancestors. They neglected all these people and so it,b«»s come down in history that a section of our people remain very very backward and untouchable even after the 19th year of our independence. The problem is colossal and though we have made sufficient allocation of funds in the Plans, we have failed to tackle the problem in a proper manner. There is a separate Ministry for it, there is a separate Commissioner also appointed. I want to know what it is doing except producing voluminous Reports year after year.

AN HON. MEMBER : It is unproductive.

SHRI N. PATRA : My friend says that it is unproductive. If the provisions of these Reports are not implemented and the benefit is not made available to the people, it goes unproductive. From the funds allotted during the Second Five Year Plan, about 11 to 61 per cent, allotted for the multi-purpose development block schemes meant for the Scheduled Tribe people was not spent. Even in the Third Five Year Plan, in the beginning in the first two years of the Plan, not even one-fifth of the amount was being spent. I do not know what amount is going to be allotted for the Fourth Five Year Plan. There is a cell in the Planning Commission to plan schemes for the welfare of these communities. Before they finalise the Fourth Five Year Plan they must think out and plan out in such a way that not even a single paisa is left unspent and the schemes are properly implemented.

Then, Madam, the State Governments which are supposed to be responsible for drawing up schemes for the welfare of these castes do not send their report in time; they send it very late. The money is not properly spent, and at the end of the year when they find a lot of money lying unspent, then much of it is uselessly spent.

(Time bell rings.)

While there is not much time at my disposal, I want to bring to the notice of the hon'ble lady Minister that in 1953 under article 340 of the Constitution a Commission was appointed to investigate into the economic, educational and social conditions of the backward classes of this country. Kakasaheb Kalelkar headed this Commission. They visited different parts of the country. They made spot studies and reported on the difficulties suffered by vast backward sections of the country, difficulties due to lack of proper education and bad economic condition. But nothing has been done since. Under a Constitutional provision a Commission has been appointed. In the beginning the Government sanctioned some stipends to these classes of students. But when there was a hue and cry from other economically backward sections of the higher and privileged caste people, the recommendations of the Commission were given a good-bye. Now for some time past some of these backward classes have not been shown as such. Instead there is another big section included in the list for amelioration of their condition. I want to draw the attention of the Minister to that report to see that something is done. Now from newspapers I learn that some people interested in the upliftment and economic and educational betterment of the condition of these classes have gone on a hunger strike to impress on the Ministry the urgency of the problem. I hope the Ministry will heed their legitimate request.

SHRI K. P. MALLIKARJUNUDU (Andhra Pradesh) : Madam, I wish to speak out a few words about the community of fishermen inhabiting Andhra

Pradesh. They constitute 15 lakhs of population living in the remotest parts of costal areas. They are called by various names like Agrikulakshatriya (Pallis), Ganga Putras (Besta) and Vada Balja and Jalari in that part of the country. They live in isolated villages far removed from densely populated areas, villages which are inaccessible, which have no means of communication, no hospitals or any educational facilities. They eke out their living by fishing, going to sea, exposing themselves to great dangers. They wear simple loin cloth. They are economically, socially, politically and educationally backward. Previously they Were classified by the Madras Government as "Backward Classes". Similarly, the Andhra Pradesh Government have also classified such people as "Backward Classes". They are also classified as Scheduled Classes for certain specified purposes. *Banjar* lands are granted to these people on that basis. I now understand that the State Government have recommended to the Government of India their inclusion in the list of Scheduled Classes. We also understand that in Madhya Pradesh people belonging to the fishermen class are included in the list of Scheduled Classes. So what I wish to urge upon the Government u that these fishermen who belong to Andhra Pradesh may as well be classified as Scheduled Castes/Scheduled Tribes in any revision that may be undertaken by the Government. Of course, the report also refers to classification of various Scheduled Caste people. It has been pointed out that for the last so many years the Government have not revised the list of Scheduled Classe. It is high time that the Government should revise this in such a manner that the fishermen of Andhra Pradesh are also included in this list.

श्री राम सहाय (मध्य प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। अभी हाउस में जो हरिजन आदिवासियों के बारे में चर्चा चल रही है, मेरा ऐसा ख्याल है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस बारे में काफी सुधार हुआ है। लेकिन जितनी आवश्यकता है उतनी नहीं हुई है, यह बात जरूर है। लेकिन यह कहना कि इस बारे में कुछ नहीं हुआ है, सही नहीं है।

अगर हम स्कूलों के बारे में आंकड़े देखेंगे तो पायेंगे कि शिडयूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को जितने स्कालरशिप मैट्रिक क्लास, पोस्ट ग्रेजुएट क्लास के लिए दिये जाते हैं, मेडिकल कालेज के लिए दिये जाते हैं, टैकनीकल कालेजों के लिए दिये जाते हैं, डिग्री कोर्स के लिए दिये जाते हैं, उन सब से पता चलता है कि इस दिशा में काफी सुधार हुआ है। लेकिन यह निश्चय है कि जितना सुधार होना चाहिये उतना नहीं हुआ है। मेरा तो ऐसा ख्याल है कि शेड्यूल्ड कास्ट वालों के बारे में काफी सुधार हुआ है मगर शेडयूल्ड ट्राइब्स के बारे में बिल्कुल नहीं हुआ है और मेरा ऐसा ख्याल है कि उनके लिए तो नहीं के बराबर हुआ है। मैंने इस हाउस में कई मर्तबा अभुज माढ़ के आदिवासी लोगों के बारे में चर्चा की है। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि हमारी मां बहिनें जो गरीब हैं बिल्कुल नग्न रहते हैं, उनके कमर में एक रस्सी होती है जिसे जेबड़ा कहते हैं, वह बंधी रहती है और सामने एक छोटा-सा कपड़ा या छाल का टुकड़ा बंधा रहता है। इस प्राकार की जो स्थिति है वह हम सब लोगों के लिए लज्जाजनक है। इसके बारे में मैंने यही नहीं बल्कि राष्ट्रपति जी को भी लिखा, होम मिनिस्टर साहब को भी लिखा और हमारे जो पहले के कमिशनर थे उनसे भी यहां की हालत के बारे में निवेदन किया था। मैं निवेदन करना चाहता हूं और मेरा ऐसा ख्याल है कि अभुज माढ़ का इलाका जो मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में है किसी सरकारी अफसर ने आम तौर पर उसको देखने की कोशिश भी नहीं की। स्टेट गवर्नमेंट के जो लोग हैं वे सब भी साधारणतया वहां नहीं जाते हैं। वहां जाने के कोई साधन भी नहीं हैं। हजारों की आबादी वहां है, लेकिन वहां जाने के कोई साधन अब तक नहीं हैं। उन लोगों के रहनसहन का तो कोई ठिकाना ही नहीं है कि किस तरह से वे लोग रहते हैं। वहां हमारी

[श्री राम सहाय]

मां बहनों की यह हालत है कि एक संतान या दो संतान होने के बाद उनको ऐसा रोग हो जाता है जो कुष्ट रोग को तरह होता है और उनका स्वास्थ्य बहुत ही खराब हो जाता है। मैं डिप्टी मिनिस्टर महोदया से यह निवेदन करूंगा कि वे स्वयं कुछ तकलीफ करें, वहां जाएं तो ज्यादा अच्छा हो। वह एक ऐसा इलाका है जो मैंने देखा है। और इलाके भी हमारे भारतवर्ष में ऐसे हो सकते हैं। मेरा निवेदन है कि हमें उनकी तरफ ज्यादा तवज्जह देने की जरूरत है। हम वहां जा कर के देखें और उनके लिये जो भी साधन हो सकें, वह हम उनके लिये जुटाएं। वहां यातायात के साधनों की बहुत जरूरत है। उन बेचारों को नमक तक खाने को नहीं मिलता है, यह तो उनकी स्थिति है। मुझ से कहा गया था पिछली बार कि वहां कोई मल्टी-परपज सोसाइटी खोली गई है उसका पता नहीं क्या हुआ। मैं यह जानना चाहता हूं कि वहां यातायात के साधन जुटाने के लिये और उनकी हालत सुधारने के लिये क्या किया गया है।

चूंकि मुझे समय बहुत कम दिया गया है, इस लिये मैं आप का और अधिक समय नहीं लूंगा और बस, इतना ही समय लूंगा।

DR. (MRS.) MANGLADEVI TALWAR (Rajasthan): Madam, much has been said on this Report and it is a very deserving subject, a very important subject that we are dealing with, this afternoon. No society, no nation can progress if a section of its population is backward in every respect and this section, called the Scheduled Castes/ Scheduled Tribe—was so dear to our Father of the Nation that he gave the Scheduled Castes the name of Harijans, God's own people. Much has been done no doubt. Our Constitution has given them equality. They have the same vote as anyone else. The Government Departments of the Central and State Governments are doing their best but th* problem is very vast, and there are prejudices in the hearts of the people. It is social problem as well as a political problem for the whole nation. Therefore, I just suggest a few points. Dedicated workers are needed. They are there, a few of them but more are needed and I think the Ministry should keep this point in view that it is not only the work of dedicated workers, because one, two or four workers cannot do this vast work, but it is everybody's work and all types of communicative agencies should be used for this. The word of mouth, the radio and other methods of publication should be devoted for this cause. Education is most important in changing the minds of the people. They are very backward in education because while the figure for national literacy is 25 per cent, the figure for the Backward Classes is only 10.27 per cent.

About integration, I am not in favour of separate hostels and schools. The institutions for the Scheduled Castes are good but they should be integrated with the others. The feeling should be there that they are our brethren and sisters. Inter-caste marriage suggested by Dr. Chandrasekhar, is a very good step.

They should be helped in every way. But they should also be taught self-help. None can absorb help, none can take the institutions for education, social help, oneself is not there. This point should not be lost sight of that when we have the institutions for education, social help etc.— all these things should be there— but they should also be taught self-help because otherwise they can be exploited if they are not actively participating in all the projects meant for them. That is what is happening. In many places, because they do not know how to take help, others are taking undue advantage of them. They money is mis-spent if the people for whom it was meant are not participating in it and are not actively participating. At the same time they are people who have to be helped in every way.

Thank you very much.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI TARA RAMCHANDRA SATHE) : The Minister will reply tomorrow. The House stands adjourned till 11 A.M. tomorrow.

The House then adjourned at seven minutes past five of the clock till eleven of the clock on Wednesday, the 17th August 1966.

L 74RS/66—570—2-5-67—GIPF.